

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

केवल आंतरिक परिचालन के लिए

सेंट्रलाइट CENTRALITE

खंड / Vol. 44 - 2022, अंक - 1

मार्च / March 2022



नारी शक्ति को प्रणाम

अंतर्राष्ट्रीय
महिला
दिवस



दिनांक 31.03.2022 को केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई द्वारा आयोजित ई-राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर बैंक की हिंदी गृहपत्रिका 'सेंट्रल मंथन' (ऊपर) एवं हिंदी पोस्टर (नीचे) का विमोचन करते हुए श्री एम. वी. राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साथ में हैं श्री आलोक श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक, श्री विवेक वाही, कार्यपालक निदेशक, श्री राजीव पुरी, कार्यपालक निदेशक, एवं श्री राजीव वार्ण्य, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा).





... न हि ज्ञानेन सदृशं ...

संपादक

स्मृति रंजन दाश

संपादक मंडल

नमिता रॉय शर्मा
वास्ती वेंकटेश
एस. एच. अच्युती
राजीव वार्ष्य

संपादकीय सहायक

छाया पुराणिक
अभय कुलकर्णी

Editor

Smruti Ranjan Dash

Editorial Board

Namita Roy Sharma
Vasti Venktesh
S. H. Ayubi
Rajiv Varshney

Editorial Assistant

Chhaya Puranik
Abhay Kulkarni

ई-मेल / E-mail

centralite1982@gmail.com

इस पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं से बैंक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Articles Published in this magazine does not necessarily contain views the Bank.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही गृह-पत्रिका

A Quarterly House - Journal of Central Bank of India

• खंड / Vol. 44 - 2022 • अंक - 1 • मार्च / March, 2022

विषय-सूची / CONTENTS

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश / Message From Managing Director & CEO	4
कार्यपालक निदेशक का संदेश / Message from Executive Director	5
संपादकीय / Editorial	6
क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)	7
Digital Banking-EASE 4.0	9
बैंकिंग का नया अवतार : मोबाइल बैंकिंग	11
बैंक इंश्योरेंस- आज के समय की आवश्यकता	14
बैंकिंग में ग्राहक सेवा का महत्व	20
स्वतन्त्रता के 75 वर्ष	16
बसूली और ऋण निगरानी	28
अतीत के इतिहास के साथ विश्व की आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतियां और हमारा बैंक	30
काव्यकुंज - गज़ल	32
केन्द्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस	33
गणतंत्र दिवस	34
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	35
दिनांक 31.03.2022 को राजभाषा विभाग केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया	39
विभिन्न अंचल तथा क्षेत्र में आयोजित राजभाषा सम्मेलन	42
विविध	43
पुस्तक प्रदर्शनी	45
स्वतंत्रता संग्राम में ओडिशा राज्य की महिला सैनानियों की भूमिका	47
बैंकों में ऋण निगरानी - एक अंतर्दृष्टि	49
एक भरोसा	51
महिला बैंककर्मी	53
भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम	55
हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2022-23 का वार्षिक कार्यक्रम	56

डिज़ाइन, संपादित तथा प्रकाशित : श्री स्मृति रंजन दाश, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 001 के लिए तथा उनके द्वारा उचीथ ग्राफिक प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड. आइडियल इंडस्ट्रीयल इस्टेट, मथुरादास मिल्स कंपनी, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013.

Designed, Edited and Published by Shri Smruti Ranjan Dash for Central Bank of India, Chandermukhi, Narimanpoint, Mumbai - 400 001

Designed and Printed by him at Uchitha Graphic Printers Pvt. Ltd. 65, Ideal Industrial Estate, Mathuradas Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013.



प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश Message from Managing Director & CEO



प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियों,

सर्वप्रथम हमारे बैंक के बेहतर वार्षिक परिणाम हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.

पिछले कुछ वर्षों से, हमारे बैंक के वार्षिक परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे थे. हमारा प्रयास था कि इस स्थिति में परिवर्तन आना ही चाहिये और सेन्ट्रलाइट साथियों के निरंतर अथक परिश्रम से यह संभव भी हो गया. हमारे बैंक ने वर्ष 2021-2022 हेतु बेहतर वार्षिक परिणाम प्रदर्शित किये हैं. यह हमारे लिये हर्ष और प्रसन्नता का अवसर है. इस प्रसन्नता को बनाये रखने के लिये अब हम सबको इस वातावरण को उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम बनाने की दिशा में काम करना होगा.

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया एक व्यवसायिक बैंक है. एक व्यवसायिक बैंक के स्थायित्व और प्रगति के लिये उसके व्यवसाय में लगातार वृद्धि होते रहना अति आवश्यक है. बैंक के व्यवसाय को बढ़ाने के लिये जमा और ऋण दोनों में सतत वृद्धि होनी चाहिये. इसके लिये आवश्यक है कि हमारे बैंक की ग्राहक सेवा सर्वश्रेष्ठ हो. यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि हमारे परिसर में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति एवं ग्राहक हमारे व्यवहार से प्रसन्न हो. जिससे आने वाला व्यक्ति हमारा ग्राहक बनकर जाये तथा हमारा ग्राहक हमारी सेवा से संतुष्ट होकर जाये. याद रखिये कि एक संतुष्ट ग्राहक चलता फिरता विज्ञापन होता है.

किसी भी व्यवसायिक बैंक के लिये केवल उसकी जमाओं में वृद्धि अथवा केवल उसके ऋणों में वृद्धि को सही नहीं माना जाता है. एक अच्छे बैंक के लिये उसकी लाभप्रदता अच्छी होनी चाहिये. बैंक की लाभप्रदता के लिये उसका ऋण-जमा अनुपात बहुत अच्छा होना चाहिये. जमाओं और ऋणों की वृद्धि के संबंध में हमारी प्रत्येक शाखा को तदनुसार कार्य करना चाहिये. प्रदत्त लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्यनीति बनाई जाये. सभी संवर्ग के प्रत्येक कर्मचारी को जमा और ऋण तथा वसूली के लक्ष्यों के संबंध में जानकारी दी जाये. शाखा के सभी सदस्यों को शाखा प्रबंधक के नेतृत्व में एक टीम के रूप में कार्य करने पर सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना सहज होता है.

बैंक ऋण के संबंध में आवश्यक है कि वह स्वच्छ और स्वस्थ हो. वह पूरी अवधि स्वस्थ बना रहे, क्योंकि एक स्वस्थ ऋण ही बैंक की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है. इसलिये ऋणों के संबंध में हमें सभी आवश्यक सावधानियां रखनी चाहिये. शाखा में ऋण

आवेदन प्राप्त होने के साथ ही उसके संबंध में समुचित सावधानियां प्रारंभ हो जानी चाहिये. ऋण स्वीकृति से पूर्व, ऋण आवेदक यानि संभावित ऋणी का चरित्र, उसकी आर्थिक स्थिति, ऋण की किशत चुकाने में उसकी सक्षमता, ऋण चुकौती के संबंध में उसका रिकार्ड इत्यादि के संबंध में परी जानकारी ऋण स्वीकृतकर्ता के पास होनी आवश्यक है. हमारे बैंक की ऋण नीति के अनुसार सब कुछ सही होने पर ही ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिये.

ऋण की स्वीकृति और उसके संवितरण के बाद उस ऋण की निगरानी का कार्य प्रारंभ होता है. ऋण देने वाली शाखा को यह ध्यान रखना है कि जिस कार्य के लिये ऋण दिया गया है, ऋणी द्वारा उसी कार्य के लिये ऋण राशि का उपयोग किया जाता है. ऋण की निगरानी, ऋण की पूर्ण चुकौती होने तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. ऋण की किशतों का समय से आना तथा उसके ब्याज का नियमित रूप से चुकाया जाना, एक स्वस्थ ऋण की पहचान है. इसमें चूक होने पर हमारा सतर्क होना आवश्यक है. ऋणी से संपर्क किया जाये, संवाद किया जाये, चूक का कारण जाना जाये. चूक न करने का सुझाव दिया जाये. ऋणी को अवगत करवाया जाये कि चूक के कारण उसका खाता एनपीए होने पर, उसका सिविल रिकार्ड खराब हो जाता है तथा उसकी साख खराब हो जाती है. इसके फलस्वरूप उसे भविष्य में ऋण नहीं मिल पाता है. इन प्रयासों में सफलता न मिलने पर वसूली के लिये आवश्यक आगामी कार्रवाई प्रारंभ की जाये.

एक बैंकर के रूप में हमारा कार्य ऋण प्रदान करके उसकी वसूली भी करना होता है. दिये गये ऋण का वसूल न होना और ऋण का एनपीए हो जाना बैंक की लाभप्रदता के लिये तथा बैंक की प्रगति के लिये उचित नहीं होता है. इसलिये हर शाखा द्वारा यह प्रयास किया जाये कि उनकी शाखा का कोई भी ऋण एनपीए न हो, क्योंकि एनपीए बैंक की प्रगति में बाधक होते हैं, लाभप्रदता पर दुष्प्रभाव डालते हैं. बैंक की प्रगति के लिये बैंक ऋणों का स्वस्थ रहना आवश्यक है.

आपके प्रयासों में सफलता हेतु हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

(एम. वी. राव)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी





कार्यपालक निदेशक का संदेश Message from Executive Director



प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियों,

सर्वप्रथम हमारे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम बी राव के नेतृत्व में वित्त वर्ष 2021-2022 में बैंक के उत्कृष्ट व्यवसायिक प्रदर्शन के लिये आप सभी को हार्दिक बधाई।

यह सर्वविदित है कि एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रदान किये गये ऋण उस बैंक की आय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ऋणों से प्राप्त आय से ही बैंक अपनी जमाओं पर ब्याज देता है। ऋणों से प्राप्त आय से ही बैंक के अन्य खर्चों की पूर्ति होती है। किसी ऋण से बैंक को आय होती रहने के लिये जरूरी होता है कि वह ऋण पूरी अवधि के दौरान अच्छा बना रहे तथा एनपीए न हो। जब तक कोई ऋण अच्छा रहता है, बैंक को उससे आय होती रहती है। जैसे ही कोई ऋण खराब हो जाता है, बैंक को उससे होने वाली आय बंद हो जाती है। आय बंद होने से वाणिज्यिक बैंक का लाभ अवरुद्ध होता है। इसके अतिरिक्त आय बंद होने से वाणिज्यिक बैंक की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है तथा भावी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधायें आने लगती हैं।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अपनी ऋण नीति है। ऋण स्वीकृतकर्ताओं को इसका पूर्ण अनुपालन करना चाहिये। नियमानुसार स्वीकृति किये जाने वाले ऋण के खराब ऋण या एनपीए होने के अवसर अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं। हमारे बैंक की अपनी ऋण निगरानी नीति भी है। उसका भी दृढ़ अनुपालन किया जाना चाहिये। किसी ऋण खाते में खराबी के संकेत मिलते ही आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिये। हर परिस्थिति में किसी ऋण खाते का खराब खाते के रूप

में स्लीपेज रोका जाना आवश्यक है। इसके लिये उधारखाते की सतत निगरानी और उधारकर्ता से नियमित संपर्क बनाये रखना आवश्यक होता है।

बैंक के एनपीए क्योंकि उसकी लाभप्रदता पर दुष्प्रभाव डालते हैं, इसलिये एक ऋण खाते का एनपीए में परिवर्तन हो जाना सही नहीं है। हमारे बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण, हमारे बैंक की संपत्ति होते हैं। अपने बैंक की प्रत्येक संपत्ति, जिसमें हमारे बैंक द्वारा दिये गये ऋण भी सम्मिलित हैं, की रक्षा करना प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व है। हमारी शाखाओं को, क्षेत्रों और अंचलों को अपने सभी प्रकार के ऋणों की निगरानी करनी चाहिये। जिससे ऋण खातों के एनपीए में परिवर्तन होने के अवसर न्युनतम हो जायें।

ऋण खातों में वसूली के लिये भी हमारा पूरा ध्यान होना चाहिये। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अपनी वसूली नीति है। हमें अपने ऋणों की वसूली के लिये वसूली नीति का अनुपालन करते हुये हर सम्भव उपाय करना चाहिये। जिससे हमारे सभी ऋण खाते अर्थात् संपत्तियां सुरक्षित रहें और नियमित आय प्रदान करते रहें जिससे हमारे बैंक की प्रगति का पथ निर्बाध रहे और हमारा बैंक निरंतर आगे बढ़ता जाये।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

आलोक श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक





75
आजादी का
अमृत महोत्सव



संपादकीय Editorial

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियों,

वित्त वर्ष 2021-2022 में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम वी राव के कुशल नेतृत्व में हमारे बैंक का व्यवसायिक प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। इस उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिये मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ।

बैंकिंग उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इस उद्योग में ऋण वसूली एवं ऋण निगरानी का महत्व हम सभी जानते हैं। बैंकिंग उद्योग के समक्ष ऋण वसूली की समस्या आ जाने पर देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक होता है। बैंक द्वारा ऋण देने का अर्थ है कि दी गई धनराशि निर्धारित समय पर बैंक को वापस मिल जानी अपेक्षित है। अर्थात् उसकी वसूली होनी आवश्यक है। उधारकर्ता द्वारा समय पर ऋण वापस किया जाना अपेक्षित होता है। जिससे बैंक वसूल की गई राशि अन्य जरूरतमंद व्यक्ति को ऋण के रूप में प्रदान कर सके और देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।

वास्तव में बैंक द्वारा दिए गए अपने ऋणों को सुरक्षित रखने के लिए ऋण खातों पर निगरानी रखना जरूरी है। ऋण निगरानी का उद्देश्य ऋण दिये जाने संबंधी सभी शर्तों का अनुपालन करना है। ऋण संबंधी दस्तावेजों को विधिक रूप से लागू करने योग्य बनाये रखना है। ऋणों की निगरानी एक नियमित प्रक्रिया के रूप में की जानी चाहिये। इसमें कोई भी चूक बैंक के लिये समस्या

उत्पन्न कर सकती है।

वर्तमान समय में बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बढ़ते हुए एनपीए की समस्या से निरंतर जूझ रहे हैं। एनपीए की समस्या बैंक की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। एनपीए बने ऋण खातों से बैंक के समक्ष कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सर्वप्रथम इससे बैंक की निश्चित आय बंद हो जाती है। एनपीए के लिए बैंक को नियमानुसार धन राशि का प्रोवीजन करना पड़ता है जिससे आय और कम हो जाती है। वसूली के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात करना पड़ता है जिससे बैंक के अन्य कार्य बाधित होते हैं। एनपीए खातों में बैंक की धनराशि भी फंस जाती है, जिससे नये ऋण देने में समस्या हो जाती है तथा बैंक की प्रगति भी बाधित होती है। बैंक की निरंतर प्रगति के लिये हमें ऋण वसूली पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। हर स्तर पर एक टीम के रूप में कार्य किया जाना चाहिए।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

स्मृति रंजन दाश
संपादक/महाप्रबंधक (मासंचित्र/राजभाषा)



क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)



- स्मिता कुमारी
संकाय सदस्या,
सीएलडी, पटना



Cryptocurrency दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है। Crypto जोकि लैटिन भाषा का शब्द है जो cryptography से बना है और जिसका मतलब होता है, छुपा हुआ जबकि Currency भी लैटिन के currentia से आया है, जो कि रुपये-पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्रिप्टोकरेंसी का मतलब हुआ छुपा हुआ पैसा या डिजिटल रुपया।

आमतौर पर क्रिप्टोकरेंसी एक तरह का डिजिटल पैसा है, जिसे आप छू तो नहीं सकते, लेकिन रख सकते हैं। यानी यह मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। यह किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होता है। यह पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। आसान भाषा में कहें तो क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल कैश प्रणाली है, जो कम्प्यूटर एलोरिदम पर बनी है। यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। शुरुआत में इसे अवैध करार दिया गया था, लेकिन बाद में Bitcoin की बढ़ती लोकप्रियता के चलते इसे कई देशों में लीगल कर दिया गया है। कुछ देश तो अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी ला रहे हैं। Bitcoin दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी है।

कैसे काम करती है Cryptocurrency?

पिछले कुछ सालों से क्रिप्टोकरेंसी मुद्राओं की लोकप्रियता बढ़ी है। इन्हें ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डिजिटल मुद्रा इनक्रिप्टेड यानी कोडेड होती हैं। इसे एक डिसेंट्रेलाइज्ड सिस्टम के ज़रिए मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन-देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन होता है। क्रिप्टोग्राफी की मदद से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके ज़रिए खरीदी को क्रिप्टो माइनिंग (Cryptocurrency Mining) कहा जाता है क्योंकि हर जानकारी का डिजिटल रूप से डेटाबेस तैयार करना पड़ता है। जिनके द्वारा यह माइनिंग की जाती है, उन्हें माइनर्स कहा जाता है। आसान भाषा में और समझें तो क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारिक एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी

द्वारा सुरक्षित है। यह सारा काम पावरफुल कंप्यूटर्स के जरिए होता है और इसके कोड को कॉपी करना लगभग नामुमकिन है।

कैसे होता है लेन-देन?

क्रिप्टोकरेंसी में जब भी कोई ट्रैंजेक्शन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है। इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है। इसके लिए वे एक क्रिप्टोग्राफिक (Cryptographic) पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए उचित Hash (एक कोड) खोजते हैं।

जब कोई माइनर पुख्ता hash खोजकर ब्लॉक सिक्योर कर देता है तो उसे ब्लॉकचेन से जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क में दूसरे नोड (Computers) के जरिए उसे वेरिफाई किया जाता है। इस प्रक्रिया को आम सहमति (consensus) कहा जाता है।

अगर consensus हो गया समझिए ब्लॉक के सिक्योर होने की पुष्टि हो गई। वह सही पाया जाता है तो उसे सिक्योर करने वाले माइनर को क्रिप्टोकॉइन (cryptocoins) दे दिए जाते हैं। यह एक रिवार्ड है जिसे काम का सबूत माना जाता है।

क्रिप्टो कैसे खरीदें और बेचें?

Bitcoin Wallet हमारे मोबाइल वॉलेट से काफी मिलते-जुलते हैं। जहां हम अपना पैसा स्टोर करते हैं और उसी से ट्रांजेक्शन करते हैं। WazirX, Unocoin, Zebpay भारतीय कंपनियां हैं जो बिटकवॉइन के कारोबार में हैं। भारत में अभी इसे लेकर बहुत भ्रांतियां हैं क्योंकि देश में इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जरूरी बात ये है कि रेगुलेटेड नहीं होने से फँड और स्कैम की संभावना बढ़ जाती है।

बढ़ती लोकप्रियता के चलते अब बाजार में ढेरो क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं। ऐसे में देश में Bitcoin और Dogecoin जैसी क्रिप्टोकरेंसी को

इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।



खरीदना और बेचना काफी आसान है। पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स में WazirX, Zebpay, Coinswitch Kuber और CoinDCX GO के नाम शामिल हैं। इन्वेस्टर्स Coinbase और Binance जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स से Bitcoin, Dogecoin और Ethereum जैसी दूसरी क्रिप्टोकरेंसी भी खरीद सकते हैं।

सबसे खास बात यह है कि खरीदारी के ये सभी प्लेटफॉर्म चौबीसों घंटे खुले रहते हैं। क्रिप्टोकरेंसी को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया भी काफी आसान है। आपको केवल इन प्लेटफॉर्म्स पर साइन अप करना होगा। इसके बाद अपना KYC प्रोसेस पूरा कर वॉलेट में मनी ट्रांसफर करना होगा। इसके बाद आप खरीदारी कर पाएंगे।

सरकार का क्या है रुख?

क्रिप्टोकरेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है और भारत में किसी भी नियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है। चूंकि इस संबंध में कोई दिशानिर्देश, नियम और विनियम नहीं हैं, इसलिए निवेशक क्रिप्टोकरेंसी में अपने जोखिम पर निवेश कर रहे हैं।

क्रिप्टोकरेंसी के बारे में दो बातें सबसे अहम हैं- एक, ये डिजिटल यानी इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है और दूसरे, इसे पारंपरिक मुद्रा के विकल्प के तौर पर देखा जाता है। क्रिप्टोकरेंसी को इस समय भरोसे के संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी एक ऐसी वर्चुअल दुनिया का हिस्सा है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है और वास्तविक दुनिया के समानांतर भी चलने की कोशिश कर रहा है। सरकार इसे पारंपरिक करेंसी के लिए खतरा मानती है।

कुछ दक्षिणी अमेरिकी देशों ने क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता दी है लेकिन इसके लिए कोई औपचारिक दिशा-निर्देश नहीं है। भारत, अमेरिका सहित लगभग सभी देशों ने क्रिप्टोकरेंसी को अभी मान्यता नहीं दी है। लेकिन कई देशों के केंद्रीय बैंक इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत में क्रिप्टोकरेंसी में लगातार बढ़ते निवेशकों और इसका जोखिम सरकार के लिए चिंता का विषय है।

सरकार इसे असुरक्षित मानते हुए इसके नियमन को लेकर संसद में 'द क्रिप्टोक्यूरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल'

2021' (The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021) पेश करने जा रही है। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के बढ़ते चलन को देखते हुए सरकार खुद अपनी डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) लाने की तयारी में जुटी हुई है। आरबीआई ने हाल ही में कहा है कि वह अपना डिजिटल करेंसी लाने के बारे में विचार कर रहा है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (Central Bank Digital Currency)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा' (Central Bank Digital Currency - CBDC) को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने संबंधी कार्यान्वयन रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC), या राष्ट्रीय डिजिटल करेंसी, किसी देश की साख मुद्रा का डिजिटल रूप होती है। इसके लिए, कागजी मुद्रा या सिक्कों की ढलाई करने के बजाय, केंद्रीय बैंक इलेक्ट्रॉनिक टोकन जारी करता है। इस सांकेतिक टोकन को, सरकार का पूर्ण विश्वास और साख का समर्थन हासिल होता है।

जो मुद्रा चलन में है उसे फिएट मनी कहा जाता है। यह फिएट मनी का एक डिजिटल रूप है। यह वर्चुअल करेंसी से अलग है। CBDC पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होगा। सरकार के नियंत्रण में होने से इसके जोखिम कम हो जाएंगे।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी शुरू करने में चुनौतियाँ :

- संभावित साइबर सुरक्षा खतरा।
- आबादी में डिजिटल साक्षरता का अभाव।
- डिजिटल मुद्रा की शुरुआत से, विनियमन, निवेश और खरीद पर नज़र रखने, व्यक्तियों पर कर लगाने आदि से संबंधित विभिन्न चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं।
- निजता के लिए खतरा: डिजिटल मुद्रा के लिए किसी व्यक्ति की कुछ बुनियादी जानकारी एकत्र करनी आवश्यक होती है, ताकि व्यक्ति यह साबित कर सके कि वह उस डिजिटल मुद्रा का धारक है।

1 जनवरी:

1862 : 'भारतीय दंड संहिता' लागू की गई। 1880 : देश में मनी आर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई। 1915 : महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों के लिये वायसरॉय ने 'केसर-ए-हिंद' से सम्मानित किया।

2 जनवरी:

1954 : भारत रत्न भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इस सम्मान को संस्थापित किया था। कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा और खेल जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उल्लेखनीय राष्ट्रसेवा करनेवालों को 'भारत रत्न' प्रदान किया जाता है।



Digital Banking-EASE 4.0



- Ghanshyam Das Ahirwar
Faculty Member (Chief Manager),
SPBTC, MUMBAI



EASE 4.0 aims to further the agenda of customer-centric digital transformation and deeply embed digital and data into PSBs' ways of working.

Government has taken a number of steps to facilitate digital banking, doorstep banking services and digital lending platforms.

Digital Banking:

It is the digitization (or moving online) of all the traditional banking activities and programs services that were historically only available to customers when physically inside of a bank branch.

This includes activities like Money Deposits, Withdrawals, and Transfers, Checking/Saving Account Management, Applying for Financial Products, Loan Management, Bill Pay, Account Services.

Challenges:

Internet access is not the only barrier to adoption of digital payments.

Educating users as well as ensuring the security of their data is essential.

Journey of PSB Reforms EASE Agenda-

PSB reforms agenda – EASE was launched based on the recommendations made by PSB Whole Time Directors (WTDs) and senior executives in PSB Manthan in November 2017, to ensure prudent and clean lending, better customer service, simplified and enhanced credit, and robust governance and HR practices.

The Reforms Agenda is pursued through a unique Reforms Index that enabled objective assessment of progress on all key areas in PSBs — viz., governance, prudential lending, risk management, technology and data-driven banking, and outcome-centric HR — as well as enhanced transparency and accountability in the wider financial ecosystem.

The first edition of the EASE program aimed at laying the foundation for themes such as Customer Responsiveness, grievance redressal, Stressed Assets Management Vertical (SAMV), improved governance and financial stability, risk-

based pricing, near-home banking by providing branch equivalent services through Bank Mitras and developing personnel for Brand PSBs through initiatives such as the implementation of Performance Management System (PMS).

The second edition of the EASE program for CLEAN and SMART banking was launched for FY20 to further build on the foundation of EASE 1.0. It has been instrumental in further systematically addressing root causes of weaknesses in PSBs effected through hard-wiring of sound IT systems and processes. It has set up comprehensive Loan Management Systems for faster processing and tracking, introduced Early Warning Signals systems and specialised monitoring for time-bound action in respect of stress, put in place focussed recovery arrangements and established outcome-centric HR systems.

The third edition of the EASE reforms (EASE 3.0) was launched in FY21 to help catalyse accelerated adoption of customer-centric digital transformation initiatives across PSBs. Smart Lending was a key theme introduced under EASE 3.0 to simplify access to credit through initiatives such as 'Dial-a-loan' for origination of loans through digital channels available 24X7, 'Credit@click' for end-to-end digital retail and MSME loans with significantly reduced turnaround time, pro-active reach-out to existing bank customers through analytics-based and customer-need driven credit offers, use of cash-flow data based lending, etc. Technology-enabled ease of Banking has been another key focus area in EASE 3.0. PSBs have also leveraged technology to deliver more services near home through Bank Mitras and expand coverage under financial inclusion products and services. PSBs have also made concerted efforts to build cyber-resilience by augmented capabilities. For prudent banking, banks have continued to make progress on the adoption of data-driven scorecards and adherence to risk-based pricing.

EASE 4.0 – Tech-enabled, simplified, and collaborative banking-

The next edition of EASE reforms i.e., EASE 4.0 aims to further the agenda of customer-centric digital transformation and deeply embed digital and data into

3 जनवरी:

1924 - महाड के म्युनिसिपल कार्पोरेशन ने 'चबदार' नामक तालाब असूश्य लोगों के लिए खोल दिया। 1966 - भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयुब खान के बीच ताशकंद में भारत-पाक वार्ता हुई।

4 जनवरी:

1825 - ब्रेल लिपि का आविष्कार करने से पहले इसके आविष्कारक लुई ब्रेल खुद अपनी दृष्टि 3 वर्ष की छोटी सी उम्र में गवां चुके थे।

2) कोलकाता स्थित विकटोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य आज ही के दिन वर्ष 1906 में शुरू हुआ।



PSBs' ways of working. Two new themes have been introduced to deliver on these objectives.

EASE 4.0 with 6 themes is having 26 Aps of which 14 Aps are continuation from EASE 3.0 with enhancements and 12 are new.

EASE 4.0 Six themes

1. Smart lending for Aspiring India
2. New Age 24x7 banking with resilient technology (New Theme)
3. Collaborating for synergistic outcomes (New Theme)
4. Tech-enabled ease of banking
5. Institutionalising prudent banking
6. Governance and outcome-centric HR

EASE 4.0 26 Aps-


Continuing Aps (14 out of 26 Aps)

- AP-1 Enhanced Dial-a-loan
- AP-2 Enhanced Credit@click
- AP-3 Analytics based, and technology driven credit off-take
- AP-4 Digital and data-enabled agri financing
- AP-5 Mobile banking adoption
- AP-7 Cyber resilience
- AP-11 Recovery through eBkary
- AP-18 EASE Banking outlets
- AP-19 Financial inclusion
- AP-20 Risk assessment
- AP-21 Early warning signals (EWS) system
- AP-22 Collections
- AP-23 Leadership development and succession planning
- AP-24 Performance Appraisals

New APs introduced in EASE 4.0 (12 out of 26 APs)

- AP-6 Technology resilience
- AP-8 Automation of manual process
- AP-9 Co-lending with NBFCs
- AP-10 Doorstep banking
- AP-12 Onboarding program for new POs
- AP-13 Outbound call center
- AP-14 Digital payments in semi-urban and rural areas
- AP-15 Top 5 customer complaints
- AP-16 Digital marketing and presence
- AP-17 Analytics based non-credit product outreach
- AP-25 Compliance monitoring
- AP-26 Board capacity for strategic initiatives

Achievement by PSBs across themes



Source: IE

As per Annual report for the PSB Reforms Agenda EASE 3.0 for 2020-21 .

- The overall score of PSBs increased by 35% between March-2020 and March-2021,
- The average EASE index score improved from 44.2 to 59.7 out of 100.
- The highest improvement is seen in the themes of 'Smart Lending' and 'Institutionalising Prudent Banking'.
- Credit@click was a flagship initiative under EASE 3.0: Nearly 4.4 lakh customers have been benefited through such instantaneous and simplified credit access
- Nearly 72% of financial transactions are now happening through digital channels.
- PSBs are now offering services across call centres, Internet banking, and Mobile banking in 14 regional languages such as Telugu, Marathi, Kannada, etc.
- For continual improvement in coverage under financial inclusion initiatives, there was a 13% growth in transactions provided by Bank Mitras in rural areas and 50% growth in enrolments in Micro personal accident insurance in Q4FY21 compared to Q4FY20.

As a part above of providing these digital facilities, our Bank has proposed to introduce "Missed call /SMS facility" by which customers can use a dedicated phone number for giving Missed call / SMS for his Banking services requirements.

The numbers for Missed call facility for loan & Deposits are as under:

1. For Loans (Retail & MSME) - Phone number 90739919191
2. For Deposits (Resources) - Phone number 9073929292

5 जनवरी:

1970 - भारत में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम अस्तित्व में आया था। 11 व 12 अगस्त 2009 - 'हरित राजस्थान अभियान' के तहत झूंगरपुर ज़िला प्रशासन द्वारा बंजर पहाड़ियों की हरितमा लौटाने के लिए 6 लाख से अधिक पौधारोपण की मुहिम को 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में सम्मिलित कर लिया गया।

6 जनवरी:

1664 - सूरत पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमला किया जिसे बैटल ऑफ सूरत कहा जाता है। 1989 - भारत के बँटवारे का फैसला और इंदिरा गांधी के हत्यारों को इसी दिन फांसी हुई।



बैंकिंग का नया अवतार : मोबाइल बैंकिंग



- श्रेता सिन्हा
संकाय प्रमुख
सीएलडी, पटना



समय के साथ बैंकिंग की कार्यप्रणाली में बड़ा परिवर्तन आया है। मोटे-मोटे बही-खातों से शुरू हुआ बैंकिंग बाट के दिनों में कंप्यूटर, उसके की-बोर्ड और माउस तक पहुंचा और अब मोबाइल फ़ोन के जरिए ग्राहकों की जेब तक पहुंच गया है। पहले छोटी खरीदारी से लेकर बड़ी खरीदारी या फिर लेनदेन करने के लिए कैश की जरूरत पड़ती थी। इस कैश को प्राप्त करने के लिए पहले बैंक की लाइन में लगा पड़ता था और फिर सामान खरीदने के लिए टूकान तक जाना पड़ता था। इन सबके बीच कैश की सुरक्षा भी लोगों को लगी रहती थी। परंतु जबसे इंटरनेट बैंकिंग और फिर मोबाइल बैंकिंग की तकनीक का इजाद हुआ है तबसे सभी झाँझटों से एक ही झटके में लोगों को मुक्ति मिल गई है। अब कोई भी सामान खरीदने से लेकर बड़े से बड़े पेमेंट करने के लिए लोगों को बैंक तक दौर लगाने की जरूरत नहीं रह गई है। बैंक अब लोगों की मुट्ठी में समा चुका है। लोगों को अब चौबीसों घंटे और सातों दिन घर बैठे बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है। सरल शब्दों में कहें तो आप अब एक रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की खरीदारी या फिर पेमेंट या लेनदेन अपने मोबाइल के माध्यम से एक ही क्लिक में कर सकते हैं, बशर्ते आप मोबाइल बैंकिंग के ग्राहक हों।

भारत में मोबाइल बैंकिंग का चलन तेजी से बढ़ा है। नोटबंदी के दौर में कैश की किलत बढ़ने से लोगों ने मोबाइल बैंकिंग या फिर यूँ कहें कि डिजिटल पेमेंट को एक बेहतर विकल्प के तौर पर अपनाया है। फिर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' अभियान से प्रभावित होकर भी लोग मोबाइल बैंकिंग के प्रति तेजी से आकर्षित हो रहे हैं और देश 'नगद रहित अर्थव्यवस्था' (Cashless Economy) की ओर चल पड़ा है। सरकार के अभियान से प्रभावित होते हुए बैंक भी अब बैंकिंग के डिजिटल तकनीक को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में जोर-शोर से जुटे हैं।

कहना गलत नहीं होगा कि भारत में अब मोबाइल बैंकिंग रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। इसकी वजहें भी हैं। बैंकिंग की इस तकनीक से न केवल कैशलेस लेनदेन की सुविधा मिलती है बल्कि इससे कई अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही

मोबाइल बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम से ज्यादा सुरक्षित माना गया है। परंतु इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत में मोबाइल बैंकिंग करने वालों की संख्या अभी बहुत कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह देश की एक बड़ी आबादी को इस तकनीक के बारे में पर्याप्त जानकारी का न होना है। इसलिए, आपकी जानकारी के लिए यहां हम आपको मोबाइल बैंकिंग क्या है, इसके लिए कौन-कौन से सॉफ्टवेयर या एप्प उपलब्ध हैं, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और आपको इसका उपयोग करते समय किन-किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।

मोबाइल बैंकिंग क्या है? (What is mobile banking) -

मोबाइल बैंकिंग आपके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से किया जानेवाला पैसों का लेनदेन है। बैंकिंग के इस प्लेटफार्म पर हार्ड कैश कोई मायने नहीं रखता है। इसका संबंध सिर्फ आपके बैंक खाते से और जिनके साथ आप लेनदेन कर रहे हैं, उनके बैंक खाते के साथ होता है। इस माध्यम से लेनदेन करने वालों को न तो बैंक की लाइन में खड़ा होना होता है और न ही जेब में भारी-भरकम कैश लेकर चलने की आवश्यकता होती है। मोबाइल बैंकिंग करने के लिए आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन होना चाहिए और उसमें इंटरनेट की सुविधा हो। हालांकि ऐसे भी मोबाइल बैंकिंग के सॉफ्टवेयर हैं जो साधारण मोबाइल फ़ोन में चलते हैं और उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन भी अनिवार्य नहीं हैं। मोबाइल बैंकिंग के लिए आपको अपने बैंक से एक यूजर आईडी मिलता है और एक मोबाइल पिन (MPIN). कई बैंकों ने तो मोबाइल फ़ोन बैंकिंग को और भी अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आपके उंगलियों के निशान को ही MPIN बना दिया है। इससे धोखाड़ी की संभावना न के बराबर रह जाती है।

मोबाइल बैंकिंग के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर और एप्स

वर्तमान में भारत में डिजिटल क्रांति के दौर में मोबाइल बैंकिंग के सॉफ्टवेयर और कई एप्प उपलब्ध हैं। ये सभी एप्प गूगल प्ले स्टोर या फिर आपके बैंक के वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

7 जनवरी:

1761 - पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। 1789 - अमेरिकी जनता ने जॉर्ज वाशिंगटन को देश का पहला राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान किया।

8 जनवरी:

1026 - सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने 5000 सैनिकों के साथ हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। हिंदुओं के पावन स्थल सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। 1996 - महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला महाराष्ट्र के वर्धा जिले के लिए लिया गया था।



- यूएसएसडी-** यह मोबाइल बैंकिंग का सबसे सुगम और सस्ता तरीका है। इसके लिए आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन होना चाहिए जिसमें सिम लगा होना चाहिए। इसके लिए स्मार्टफोन अनिवार्य नहीं है। साथ ही इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए फ़ोन में इंटरनेट का होना भी अनिवार्य नहीं है। मोबाइल बैंकिंग के इस प्लेटफार्म के जरिए आप किसी भी बैंक खाते में पैसे भेज सकते हैं, अपने खाते का बैलेंस जान सकते हैं और पीछे किए गए चार-पांच लेनदेन का ब्लॉक (मिनी स्टेटमेंट) हासिल कर सकते हैं। यूएसएसडी (USSD) के बारे में विशेष जानकारी और इस्तेमाल के लिए देखें कैशलेस पेमेंट करने के तरीके।
- यूपीआई-** मोबाइल बैंकिंग के इस प्रणाली का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने किया है। यह एक मोबाइल एप है जिसके द्वारा ऑनलाइन भुगतान किए जाने की सुविधा मिलती है। इस प्रणाली का उपयोग करने के लिए आपके पास इंटरनेट सुविधा से युक्त एक स्मार्टफोन का होना जरूरी है। वर्तमान में लगभग 21 बैंक इस प्रणाली के द्वारा अपने ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दे रहे हैं। आप अपने बैंक के वेबसाइट से इस एप को डाउनलोड कर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यूपीआई (Unified Payments Interface) के बारे में विशेष जानकारी और इसका उपयोग कैसे करें के लिए देखें यूपीआई के जरिए डिजिटल ट्रांजेक्शन कैसे करें?
- मोबाइल वॉलेट -** मोबाइल से पेमेंट करने का यह सबसे नया तकनीक है। वॉलेट से आप समझ ही गए होंगे कि यह एक बटुआ है जिसमें पैसे रखा हुआ रहता है और आप जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्तमान में डिजिटल वॉलेट के कई एप उपलब्ध हैं। बहुचर्चित paytm एक मोबाइल वॉलेट ही है और इसके अलावा कई बैंकों ने भी मोबाइल वॉलेट को बाज़ार में उतारा है। इसमें SBI का Buddy, ICICI का Pockets, Citi Bank का MasterPass आदि जैसे कई प्रमुख मोबाइल वॉलेट प्रचलन में हैं। डिजिटल वॉलेट की खासियत यह है कि यह आपने बैंक खाते से नहीं जुड़ा होता है। इसमें पहले पैसे डालने होते हैं यानि इसे रिचार्ज कराना होता है। जितने पैसे आप इसमें डालेंगे उतने ही आप खर्च कर सकते हैं। छोटे-छोटे खर्चे और पेमेंट के लिए मोबाइल वॉलेट सबसे उपयुक्त डिजिटल प्लेटफार्म है। पेटीएम का उपयोग कैसे करें?

मोबाइल बैंकिंग को बनाएं सुरक्षित बैंकिंग -

डिजिटल तकनीक के विकास ने हमारे रोजर्मर्डी के जीवन को जितना सुविधाजनक बनाया है उतना ही जोखिम भरा भी। डिजिटल वित्तीय लेनदेन

के लिए इजाद किए गए तकनीक इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग हमें सुविधा तो देता है परंतु इसमें हुई थोड़ी सी चूक से हमें चूना लगने में भी देरी नहीं लगती। डिजिटल तकनीक में सेंध लगाना आज कोई बड़ी बात नहीं है। वर्तमान में मोबाइल बैंकिंग कितना असुरक्षित है इसका अंदाजा सॉफ्टवेयर सिक्यूरिटी कंपनी ट्रेंड माइक्रो के एक सर्वे से स्पष्ट हो जाता है। इस कंपनी के सर्वे में कहा गया है कि Malware नाम का वायरस जो मोबाइल बैंकिंग को प्रभावित करता है, उससे संक्रमित देशों में भारत का स्थान तीसरा है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ होने वाला मोबाइल बैंकिंग किस हद तक असुरक्षित है। फिर भी असुरक्षा के बावजूद अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो हमारा मोबाइल बैंकिंग खतरे से बचा रह सकता है।

मोबाइल बैंकिंग में क्या-क्या सावधानियां बरतें

किसी भी सूरत में अपना यूज़र आईडी, बैंक खाते की जानकारी और पासवर्ड या मोबाइल पिन से संबंधित जानकारी अपने फ़ोन के डिवाइस में न रखें। किसी गलत हाथों में मोबाइल जाने से आपको नुकसान हो सकता है।

- मोबाइल बैंकिंग से संबंधित एप या तो अपने बैंक के वेबसाइट से या फिर गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, किसी अन्य वेबसाइट से डाउनलोड करने पर आप साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं।
- अगर कहीं आपके मोबाइल को नेटवर्क न मिल रहा हो तो लालच में फ्री वाई-फाई या हॉट-स्पॉट से मोबाइल बैंकिंग का उपयोग न करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके डाटा का चोरी होने का अंदेशा बना रहता है।
- अपने बैंक अकाउंट या मोबाइल बैंकिंग से संबंधित गुप्त डाटा को टेक्स्ट मेसेज के जरिए भेजने की भी कभी गलती न करें।
- साइबर चोर इतने शातिर होते हैं कि वो फ़ोन पर बात करने के दौरान भी आपके फ़ोन से डाटा ट्रान्सफर कर सकते हैं। इसलिए अनजान कॉल आने पर उनसे बात करने में सावधानी बरतें।
- अंत में सबसे जरूरी बात, अगर आपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग मोबाइल बैंकिंग के लिए करते हैं तो फ़ोन को लॉक करने के साथ एप को भी पासवर्ड से लॉक रखना न भूलें।

मोबाइल बैंकिंग के फायदे

मोबाइल बैंकिंग की सुविधा इस समय कई लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। इसके लाभ निम्न लिखित हैं

- मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग से अधिक सुविधाजनक है। जहाँ ऑनलाइन बैंकिंग के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट की आवश्यकता है वहाँ मोबाइल बैंकिंग बहुत आसानी से एक छोटे से फ़ोन के

9 जनवरी:

1903 - महात्मा गांधीजी की स्वदेश वापसी की याद में हर साल 9 जनवरी को पहला 'प्रवासी भारतीय दिवस' मनाया जाता है। 1982 - पहली बार पहला भारतीय अभियान दल बर्फले अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचा था।

10 जनवरी:

10 जनवरी 1975 - महाराष्ट्र के नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनियाभर में हिंदी का प्रचार-प्रसार करना था। इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। हिंदी की लोकप्रियता को लेकर दुनियाभर में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को स्थापित करने का भी उद्देश्य है।



- जरिये भी अंजाम पा सकती है। साथ ही नेट बैंकिंग में सर्वर की दिक्कत हो सकती है, लेकिन मोबाइल बैंकिंग में ऐसी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।
- मोबाइल बैंकिंग की सहायता से कई तरह के बिल घर बैठे ही भरे जा सकते हैं। इसकी सहायता से लम्बी कतारों में खड़े होने से बचा जा सकता है।
 - मोबाइल बैंकिंग अन्य तरह की बैंकिंग से अधिक सस्ती होती है। इसका शुल्क टेली बैंकिंग से बहुत कम होता है। जिसका कारण ये है कि ग्राहक किसी की सहायता के बाहर अपनी बैंकिंग अपने मोबाइल बैंकिंग से कर लेता है। कई बैंक इस सेवा को अपने ग्राहकों के लिए बहुत ही कम शुल्क पर देते हैं।
 - किसी भी समय की जाने वाली बैंकिंग अर्थात् मोबाइल बैंकिंग की सबसे बड़ी सुविधा ये है कि इसकी सहायता से किसी भी समय कहीं से भी बैंकिंग की जा सकती है। बैंक बंद हो जाने के बाद भी ग्राहक अपने मोबाइल बैंकिंग की सहायता से पैसे का ट्रांजक्शन कर सकता है।
 - फ्री बैंकिंग सर्विस मतलब बैंक द्वारा दी गयी मोबाइल बैंकिंग की सुविधा के लिए बैंक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेता, और न ही अपने अकाउंट जाँच करने की कोई सीमा तय है। ग्राहक जितनी बार चाहे अपने बैंक अकाउंट मोबाइल में खोल सकता है।
 - कई बैंकिंग कंपनियां अपने इस सेवा में ग्राहकों को क्रेडिट/डेबिट अलर्ट, अकाउंट बैलेंस की जाँच, लेनदेन करना, फण्ड ट्रान्सफर की सुविधा, न्यूनतम बैलेंस अलर्ट आदि की सुविधा भी देती हैं।
 - ग्राहक और ग्राहक लाभार्थी यदि एक ही बैंक के ग्राहक हो तो पैसे का ट्रांजक्शन बहुत ही जल्द बड़ी आसानी से हो जाता है।
 - कई बैंकों ने इसके लिए अपने अलग एप्लीकेशन तैयार किया है। जिसके अंतर्गत ग्राहक बैंक के मुख्य सर्वर से जुड़ा रह सकता है, और उसके बैंक अकाउंट की कोई भी जानकारी मोबाइल फ़ोन या सिम कार्ड में सेव नहीं होती है। ये एप्लीकेशन इनक्रिप्शन तकनीक से बना होता है, जिसमें सुरक्षा सीमा बहुत अधिक बढ़ जाती है।

मोबाइल बैंकिंग से हानि

मोबाइल बैंकिंग से जहाँ एक तरफ बहुती सी सुविधाएँ हैं वहाँ दूसरी तरफ कुछ हानियाँ भी हैं। अतः मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है।

- हालाँकि मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग से अधिक सुरक्षित है क्योंकि फ़ोन में ट्रोजन और अन्य वायरस कंप्यूटर की तुलना में बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी मोबाइल बैंकिंग में धोखाधड़ी होने का डर रहता है। मसलन ग्राहक के पास कई ऐसे फेक एसएमएस आते हैं जिसमें किसी बहाने से उनसे उनका बैंक अकाउंट का ब्यौरा माँगा जा सकता है। यदि ग्राहक भूल से भी अपनी जानकारियाँ दे देता है तो उनके अकाउंट से पैसे चोरी होने की सम्भावना बढ़ जाती है।
- ऑनलाइन बैंकिंग मूलतः ‘एन्क्रिप्शन’ तकनीक से किया जाता है फलस्वरूप कोई हैकर किसी ग्राहक के विवरणों तक नहीं पहुंच सकता, परन्तु एक बार मोबाइल चोरी हो जाने पर ग्राहक का सभी बैंकिंग विवरण किसी और के हाथ लग सकता है। मोबाइल चुराने वाला किसी तरह से पिन डालने में सफ़ल हो गया तो ग्राहक के अकाउंट के सारे पैसे चोरी हो सकते हैं।
- मोबाइल बैंकिंग की सुविधा सभी फ़ोन में मौजूद नहीं होती। कई बैंकों के इसके लिए अपना अलग सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है। ये सॉफ्टवेयर सभी फ़ोन में इस्तेमाल नहीं हो पाते। इसके इस्तेमाल के लिए ग्राहक को आई फ़ोन, ब्लैकबेरी आदि बड़े फ़ोन लेने पड़ते हैं। ये फ़ोन बहुत महंगे आते हैं। यदि ग्राहक के पास स्मार्ट फ़ोन न हो तो फिर ग्राहक एक सीमा तक ही मोबाइल बैंकिंग का फायदा उठा सकता है।
- यद्यपि मोबाइल बैंकिंग के लिए कुछ खास शुल्क नहीं देना पड़ता है, किन्तु इसके लिए इस्तेमाल किये जा रहे डेटा शुल्क, एसएमएस शुल्क आदि बहुत जल्द काट लिए जाते हैं। कई बैंकों में इस सुविधा के लिए अलग से शुल्क देना पड़ता है। ये शुल्क साल में एक बार अकाउंट से काटा जा सकता है।

स्पष्ट है, एक तरफ जहाँ मोबाइल बैंकिंग की तकनीक से बैंकिंग प्रणाली में क्रांति आई है, वहीं इस सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों के बैंक खातों तक अपराधियों की पहुंच भी आसान हुई है। परन्तु आपके बैंक खातों को नुकसान तभी पहुंच सकता है जब हम इसकी सुरक्षा के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। वैसे तो सभी बैंक अपने स्तर पर मोबाइल बैंकिंग को सुरक्षित और अभेद बनाने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं परन्तु हम भी अगर थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो डिजिटल क्रांति का यह सौगात हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए वरदान साबित होगा।

11 जनवरी:

1922 - डायबटीज के मरीजों को पहली इंसुलिन दी गई थी। अधिनियम 2005 की धारा 6(2) के प्रावधान के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर के लिए भी सूचना का अधिकार (आरटीआई) क्रानून के तहत सूचना देना अनिवार्य है।

12 जनवरी:

1863 - महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के उपलक्ष्य में हर वर्ष देश 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाना।



ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें सब प्राणियों के प्रति स्नेह भरा हो तथा जो सुनते समय सुखद जान पड़े - वेदव्यास

बैंक इंश्योरेंस- आज के समय की आवश्यकता



- डॉ. मनीष कुमार सोनी
राजभाषा अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, बड़दौदा



आज के समय में दुनियां परिवर्तनों एवं चुनौतियों से भरी हुई आर्थिक वातावरण में रह रही हैं। इस आर्थिक वातावरण में बैंकिंग एवं बीमा उद्योगों का तीव्र गति से विकास हुआ है। वैश्विक वित्तीय बाजार के विलय, नई प्रौद्योगिकी के विकास, बैंकिंग उद्योगों के एकीकरण तथा गैर बैंकिंग गतिविधियों में विस्तार के कारण बीमा उद्योग ने संवितरण का एक नया चैनल खोज निकाला है। इस नए चैनल से व्यवसाय के एक नए स्वरूप का उदय हुआ। जहां दो बड़ी वित्तीय कम्पनियों ने साथ साथ आकर, एक होकर अपने पूरे सामर्थ्य एवं प्रयासों से अपने उत्पाद एवं सेवाओं के प्रोत्साहन हेतु विपणन की नवीन तकनीकों को खोजा है। वित्तीय क्षेत्र की जब दो बीमा कम्पनियों अर्थात् बैंक एवं बीमा का गठजोड़ होता है तब इसे बैंक इंश्योरेंस कहते हैं।

आरभिक दौर में बैंक और बीमा का यह पहलू काफी विवादास्पद रहा है कि इस गठजोड़ के कारण बैंकिंग उद्योग का पूरे वित्त सेवा बाजार पर नियंत्रण हो जाएगा। अतः आरभिक में ही इस बैंक इंश्योरेंस पर कई देशों ने पार्टियां लगाईं। किन्तु आज के समय इसकी तीव्र प्रगति को देखकर सभी देशों ने कमोबेश इसे अपना लिया है। हालांकि बैंक इंश्योरेंस प्रगति पथ पर अग्रसर है तथापि हमारे देश में इसे अभी भी वह स्थान नहीं मिल पाया है जिसका वह हकदार है। आज नए आइडिया, नवीन विकास, उन्नयन, सुधार, मूल्यांकन एवं कार्यपद्धति में बदलाव बैंक इंश्योरेंस की महती आवश्यकता है।

बैंक इंश्योरेंस एक फ्रेंच शब्द है जिसका पर्याय बैंक के सुस्थापित वितरण चैनल के माध्यम से बीमा का विक्रय है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो यह बैंक द्वारा स्वयं बीमा उत्पादों का विक्रय किया जाना है। इस शब्द का उपयोग उदारीकरण के दौर में सर्वप्रथम किया गया। यह नए बड़े उद्योग समूहों के गठबंधन के कारण हुए एकीकरण के कारण है। एक ही चैनल के माध्यम से सामान्यतः बैंक की शाखाओं द्वारा बीमा एवं बैंकिंग उत्पादों का विक्रय ही बैंक इंश्योरेंस है। बीमा के विक्रय का तात्पर्य बैंक के माध्यम से बीमा एवं अन्य वित्तीय उत्पादों के वितरण से है। इसमें एक ही प्रयास द्वारा बैंक और बीमा दोनों ही उत्पादों की बिक्री एक ही चैनल के माध्यम से होती है जिसमें मानव श्रम और कार्यकुशल कर्मचारी दोनों ही अपने बैंक से जुड़े हुए ग्राहकों को सीधे सम्पर्क कर बीमा और बैंक

उत्पाद दोनों का ही विक्रय कर सकते हैं। इससे बीमा कम्पनियों में लगने वाले मानव संसाधन की बड़ी जरूरत नहीं होती है। इसलिए यह दोहरा कार्य बैंक शाखाएं आसानी से फील्ड में कर लेती है जिसका प्रत्यक्ष तौर फायदा दोनों ही कम्पनियों को होता है। इस एवज में बीमा कम्पनियों बैंकों को इस कार्य में लगने वाले मानव श्रम का मूल्य चुकाती है।

समय के साथ साथ बैंक इंश्योरेंस बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बीमा कम्पनियों के लिए बैंक अब बड़े वितरण चैनल है और बीमा का विक्रय बैंकों के लाभ का महत्वपूर्ण अंश बनता जा रहा है। यह बैंक की कार्यकुशलता एवं दक्ष मानव संसाधन के कारण सम्भव हुआ है क्योंकि बैंक ही वह माध्यम है जो अन्य चैनलों की तुलना में एक अच्छी कीमत पर बीमा बेच सकते हैं एवं इनकी लागत भी कम है। चूंकि बैंक अपनी बैंकिंग के लिए पहले ही सुस्थापित नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। बैंक इंश्योरेंस मुख्यतः बैंकों के ग्राहकों के साथ बने सुदीर्घ संबंधों पर निर्भर है। बीमा कम्पनियों के लिए एजेंट की तुलना में बैंकों के माध्यम से जोखिम उत्पाद को विक्रय करना अत्यंत लागत प्रभावी है। वहां गिरती बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम लागत पर मिलने वाली शुल्क आधारित आय बैंकों की लाभप्रदता के प्रति एक सकारात्मक कदम है। वर्तमान में, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्रों के अधिकांश बैंकों का बीमा कम्पनियों के साथ टाई-अप है जो बैंकिंग व्यवसाय के साथ बीमा-उत्पादों का विक्रय भी करती है।

भारत में बैंक इंश्योरेंस की सफलता के निम्नलिखित कारण हैं -

- i. बैंक के लाभ मार्जिन पर दबाव - बैंकों को बैंक इंश्योरेंस के अल्प पूँजी के द्वारा या बिना कोई पूँजी लगाए लाभदायकता बढ़ाने हेतु एक क्षेत्र उपलब्ध कराता है। अत्यंत अल्प पूँजी लगाने से इक्विटी में उच्च प्रत्याय होती है।
- ii. एक ही स्थान पर ग्राहक सेवाएं देने की अभिलाषा - आज की तारीख में लोगों की दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन में सहूलियत एक बड़ा मुद्दा है। एक बैंक, जो बीमा उत्पादों के विपणन में समर्थ है, शेष प्रतिस्पर्धियों से काफी ऊपर है। यह अपने ग्राहकों को एक ही स्थान पर सम्पूर्ण वित्तीय आयोजन सेवाएं दे सकता है।

13 जनवरी:

1948 - राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हिन्दू-मुस्लिम में एकता बनाये रखने के लिए आमरण अनशन शुरू किया था। 1930 में पहली बार मिकी माउस कॉमिक स्ट्रिप का प्रकाशन हुआ।

14 जनवरी:

1975 - बीस सूती कार्यक्रम की घोषणा गरीबी हटाओ के तहत इंदिरा गांधी सरकार द्वारा की गयी थी। 14 जनवरी को मनाया जाने वाला मकर-संक्रान्ति हिंदू संस्कृति में भगवान् सूर्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में और असम में बिहू के रूप में मनाया जाता है।



- iii. जटिल उत्पादों के विक्रय के अवसर- बैंक के कुछ उत्पाद बहुत ही सहज और सरल होते हैं तो वहीं कुछ उत्पाद अपनी प्रकृति में बहुत बड़े ऋण और बहुत ही जटिल होते हैं. ऐसे में उन उत्पादों के लिए सुरक्षा जुटाना भी बैंक का ही दायित्व हो जाता है. ऐसे में बीमा कम्पनियां अपने उत्पादों के माध्यम से उनके जोखिम को कम कर देती है जिससे उत्पाद सहज और सरल बन जाता है और फिर विक्रय हेतु भी अवसर प्रदान करता है.
- iv. ग्राहक के जीवन चक्र का अधिक से अधिक प्रबंधन का अवसर- हर प्राणी मरणशील है, प्रत्येक सामान का क्षय होता है. इस कारण बैंक द्वारा प्रदान किए जा रहे ऋणों एवं सुविधाओं का जोखिम कैसे और किस भरोसे से लें. अतः यह जरूरी हो जाता है कि बीमा कम्पनियां इसमें सहायता करें और उक्त जोखिम को कम कर आम आदमी को इन सुविधाओं को जुटाने का अवसर प्रदान करें. इस तरह बैंक अपने जोखिम और ग्राहक की सेवाओं का अधिकतम प्रबंधन कर पाती है.
- v. विद्यमान संबंधों से आय में विविधता एवं बढ़ोत्तरी - ग्राहक बैंक की सेवाओं के साथ अपने सुरक्षित जीवन के लिए बीमा करवाकर अपने परिवार को भी सुरक्षित करता है और इससे बैंक की आय में विविधता और बढ़ोत्तरी भी हो जाती है.
- vi. लाभप्रदता के अंत्य क्षेत्र को टैप कर जोखिम में विविधता-बैंक की लाभ प्रदता अंत्य समय तक बनी रहे इसके लिए बीमा कम्पनियां इन ऋणों को बीमीकृत कर जोखिम को न्यूनतम कर देती है जिससे बैंक को दोहरी लाभप्रदता मिलती है. एक तरफ अपने ऋण की सुरक्षा, वहीं दूसरी ओर बीमा कमीशन की प्राप्ति.
- vii. यह एहसास कि बीमा ग्राहक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, बैंक अपने विद्यमान ग्राहकों के बड़े आधार का उपयोग बीमा उत्पादों के विक्रय हेतु कर सकते हैं.
- viii. बैंक द्वारा अपनी गैर ब्याज आय के प्रतिशत में वृद्धि का उद्देश्य है.
- ix. बैंक परिसर का लागत प्रभावी उपयोग- बीमा कम्पनियां बैंकों की तरह हर जगह फैली नहीं हुई है वे अपनी संरचना में केंद्रीकृत हैं. ऐसे में बैंकों के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें एक परिसर उपलब्ध कराया है और बैंक भी अपने परिसर का लागत निकालने के लिए बीमा कम्पनियों द्वारा दिए गए कमीशन का उपयोग कर सकती है. बैंकों ने यह साबित किया है कि शताब्दियों तक अपना अस्तित्व सफलतापूर्वक कायम रख सकते हैं. यदि वे बैंकिंग उद्योग में होने वाले

एक प्रमुख तथ्य ‘परिवर्तन’ तथा ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें सेवाएं प्रदान करें. बैंकों को नियमित रूप से अभिनव सेवाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो ग्राहकों को किसी भी स्थान से, किसी भी समय उनकी सहूलियत वाले वितरण चैनल से सेवाएं उपलब्ध करा सकें. यह बैंक की लाभप्रदता में वृद्धि का माध्यम भी होगा. विनियामकों को इस संभावना पर गैर गैर करना चाहिए कि बैंक बीमा व्यवसाय के विक्रय हेतु एक से अधिक एश्योरेंस कम्पनी से गठबंधन कर सकें. ताकि ग्राहकों को विभिन्न विकल्प प्राप्त हो. वर्तमान स्थिति को देखते हुए बैंक एश्योरेंस भारत में भविष्य में बैंकों के लिए अपवाद नहीं, वरन् एक मानदंड होगा. बैंकिंग एवं बीमा के बीच की गतिविधि संबंध में संस्था स्तर पर, साथ ही विनियामक के स्तर पर एकदम स्पष्ट पहचान होनी चाहिए. पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ पर्याप्त प्रोत्साहन प्रक्रिया से उन सभी बैंक स्टाफ को प्रेरित किया जा सकता है, जो तृतीय पक्ष उत्पाद होने के कारण इसे बैंक व्यवसाय पर नुकसान समझते हैं एवं इसके प्रति नकारात्मक रवैया रखते हैं. वास्तव में बैंक एश्योरेंस रणनीति सभी पक्षों बैंक, ग्राहक तथा बीमा कम्पनियों के लिए लाभकारी है.

हाल फिलहाल में बैंकों एवं एश्योरेंस नियामक कम्पनी इरडा ने यह पाया है कि बैंकों का किसी एक एश्योरेंस कम्पनी के साथ टाई-अप ग्राहकों को वह स्वतंत्रता नहीं दे पाता जिसके बैंक वाकई हकदार है. जिस कम्पनी के साथ कम्पनी के साथ बैंक गठबंधन करती है, ग्राहकों को न चाहते हुए भी असेट वित के बीमा हेतु उसी कम्पनी का बीमा उत्पाद लेना पड़ता है और गठबंधन वाली यह एकमात्र कम्पनी ग्राहकों से मनमानी दर वसूल करती है. अतः इरडा ने बैंकों को अब यह छूट प्रदान की है कि वे जीवन बीमा क्षेत्र एवं गैर जीवन बीमा क्षेत्र में अधिकतम तीन तीन कम्पनियों से टाई-अप कर सकते हैं.

पूर्व में बैंकों की आय के अनेक स्रोत थे जैसे मांगडापट कमीशन, लेजर फौलियों चार्ज, फंड ट्रांसफर पर कमीशन आदि. कम्प्यूटरीकरण एवं प्रौद्योगिकी के विस्तार से बैंकों की ये गैर ब्याज आय लगभग समाप्त हो गई है. अतः बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे आय के अन्य स्रोतों की तलाश करें ताकि उनकी लाभप्रदता में वृद्धि हो. तृतीय पक्ष उत्पादों के विक्रय ही इसका उचित समाधान है. अतः आज यह समय की आवश्यकता है कि हमारे बैंकर्स स्टाफ इसे समझे और इनके विक्रय के प्रति अपनी नकारात्मक छवि में सुधार करें जिससे ग्राहकों का व्यवहार और विश्वास इन उत्पादों को बैंक के माध्यम से खरीदे जाने हेतु निश्चित ही बढ़ेगा.

15 जनवरी:

2008 - सरकारी क्षेत्र की कंपनी गैस अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (गेल) के बोर्ड ने महाराष्ट्र के दाभोल से बंगलुरु तक गैस पाइप लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी. 1988 - भारत के पूर्व गेंदबाज नरेंद्र हिरवानी ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में ही 16 विकेट लिए थे.

16 जनवरी:

2003 - भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला ने नासा के स्पेस यान कोलंबिया स्पेस शटल से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थीं लेकिन वे दोबारा धरती पर लौट नहीं पाई. 1681 - महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ.





स्वतंत्रता के 75 वर्ष

- प्रवीण ठाकुर
वरिष्ठ प्रबंधक

आंचलिक कार्यालय, अहमदाबाद



दिनांक 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के उपलक्ष्य में रात को बारह बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की जनता को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक भाषण दिया जिसे “ट्रस्ट विथ डेस्टीनी” का नाम दिया गया है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा की यह एक ऐसा क्षण है जो इतिहास में बहुत दुर्लभ है, जब हम पुराने युग को छोड़कर नए जीवन में कदम रख रहे हैं। अब राष्ट्र की चिरकालीन शोषित आत्मा की नयी आवाज़ प्राप्त करनी है। इस क्षण में हम भारत और उसके लोग मानवता के हित के लिए सेवा - अर्पण करने की शपथ ले रहे हैं। उस भाषण में नेहरू जी ने यह भी कहा था की आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम आगे है। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धि हमारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या हम पर्याप्त बुद्धिमान हैं कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें।

आज आज्ञादी के 75 वर्ष बाद जब हम इस भाषण पर नजर डालते हैं तो हम उस वक्त से अपने आप को आज कहीं अधिक विकसित पाते हैं। हम पाते हैं कि हर भारतीय ने चुनौतियों को अवसर में बदला और देश का चौमुखी विकास किया। आज भारत ग्रामीण सड़कों से लेकर मंगल ग्रह तक की दूरी नाप चुका है। प्राचीन भारत के कृषि आधारित देश से हम आज उद्यमी भारत की और बढ़ गए हैं। आज भारत की जी.डी.पी. (नोमीनल) 3.05 ट्रिल्यन डॉलर है जो की विश्व में छठवें स्थान पर है। इसी तरह जी.डी.पी. (पी पी पी) 10.207 ट्रिलियन डॉलर है जो कि विश्व में तीसरे स्थान पर है। ऐसा माना जा रहा कि सन 2040 तक भारत परचेस पावर पारिटी में यू.एस को पछाड़कर दूसरे स्तर पर आ जायगा।

भारत की आज्ञादी से आज तक के मील के पथरों का सफर -
आज्ञादी से पहले शासकीय बैंकिंग व्यवस्था अँग्रेजी शासकों की थी जो की सिर्फ उनके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही संचालित होती थी। उन व्यवस्थाओं में सामाजिक उत्थान और देश की प्रगति से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं था। आज्ञादी मिलने के बाद सरकार ने देश के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को सर्वोपरि रखा। इस तरह की नीतियां बनाई गयी

जिसने न सिर्फ देश का आर्थिक विकास किया वरन् जिसमें सामाजिक विकास भी निहित थां।

भारत की स्वतंत्रता के बाद की कुछ नीति/नियम बनाये गए। जिसने आज के भारत को बुनियाद प्रदान करी वो क्रमवार प्रस्तुत हैं-

बैंकिंग विनियमन अधिनियम (1949) : भारत में बैंकों को बुनियादी ढांचा और बैंकिंग गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 लाया गया, जिसे बाद में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में बदल दिया गया। यह अधिनियम 10 मार्च 1949 से लागू हुआ। इस विनियमन के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय बैंकिंग के पर्यवेक्षण के लिए व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गईं। इस विनियमन ने भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग लाईसेंस प्रदान करना, शेयर होल्डर और उनके वोटिंग के अधिकारों का नियंत्रण, बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, लेखापरीक्षा, केश रिजर्व, तरलता, लेखे, तुलन पत्र आदि के अलावा समय-समय पर जनता और बैंकों के हित में निर्देश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

सहकारी बैंकों का विकास (1951-1956) : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने महसूस किया कि सहकारी समितियों की ग्रामीण क्षेत्रों के में महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकारिता गरीबों को साढ़कारों के चंगुल से दूर करती है। इसका क्षेत्रीय और सहकारी होना, ऋण लेना आसान कर देता है। सहकारिता समाज को स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ ऋण के प्रति ज़िम्मेदार और हिस्सेदार बनाता है। सहकारिता को देश की पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951-1956 का हिस्सा बनाया गया। देश में हरित क्रांति और स़फ़ेद क्रांति की सफलता के पीछे सहकारिता भी है। वर्ष 1984 में सहकारी बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए मल्टी स्टेट को-ऑपेरेटिव सोसाइटी एक्ट को पारित किया गया जिसमें किसी सहकारी बैंक को अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग नियमों के पालन के विरुद्ध एक ही समान नियम बनाए गए।

17 जनवरी:

1941 : स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से जर्मनी के लिए रवाना हुए। 2009 - भारतीय ओलम्पिक संघ के महासचिव रणधीरसिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया।

18 जनवरी:

2009 - ‘बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन’ ने सौरव गांगुली को सोने के बैट से सम्मानित किया।

2006 - संयुक्त राज्य अमेरिका में इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगायी। भारत में इच्छामृत्यु के लिए अरुणा शानबाग सहित 4 अन्य प्रमुख मामले थे जहां दया हत्या की मांग की गई थी।



इस वर्ष 6 जुलाई 2021 को देश में सहकारिता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। इस मंत्रालय का मूलमंत्र है “सहकार से समृद्धि”。 यह मंत्रालय सहकारिता के मामले में प्रशासनिक और कानूनी नीति को मजबूत करके देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाएगा।

इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण (1955) : आज्ञादी के बाद भी बैंकों का ध्रुवीकरण शहरों की तरफ ही रहा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग अनुपात के अंतर को पाटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया जिसे बाद में भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना गया। भारतीय स्टेट बैंक एक्ट बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया गया था कि इस बैंक के जरिए ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा शाखाएं खोली जाय और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सके।

नेशनल क्रेडिट काउंसिल (1967) : नेशनल क्रेडिट काउंसिल की स्थापना दिसम्बर 1967 में की गयी। इस काउंसिल के अध्यक्ष तत्कालीन वित्त मंत्री और उपाध्यक्ष आर. बी. आई. गवर्नर थे। इस काउंसिल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना था और इन प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण की मात्रा और क्रम निर्धारित करना था। इसके अंतर्गत नेशनल क्रेडिट काउंसिल ने 1968 में प्रोफेसर डी. आर. गाडगिल की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया। दल ने अपने अध्ययन में पाया कि व्यापारिक बैंक ने जून 1967 तक सिर्फ 1.5 लाख के करीब ग्रामीण इलाकों में से सिर्फ 5000 गांव में ही अपनी उपस्थिती दर्ज कराई है। कुल 37% ग्रामीण ऋण में से इन बैंकों की हिस्सेदारी सिर्फ 1% ही है। इस अध्यन से यह निश्चिर्ष निकाला गया कि व्यापारिक बैंक ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की अनदेखी कर रहे हैं।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण (1969 से 1980): नेशनल क्रेडिट काउंसिल की सिफारिशों को सरकार ने गंभीरता से लिया। ग्राउंड रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 300 से ज्यादा बैंक दूब चुके हैं और उनमें जमा ग्राहकों का पैसा भी दूब गया है। ज्यादातर बैंक पूँजीपतियों द्वारा संचालित हो रही हैं, और वही लोग बैंक में जमा धन का उपयोग अपने कारखाने या अन्य व्यापार में लगा रहे हैं।

इसी के चलते तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लोकसभा से “दि बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) एक्ट 1969 पारित करवाया और इस एक्ट से बैंकों के राष्ट्रीयकरण की नींव पड़ी। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंके जिनका कुल जमा रु 50.00 करोड़ से अधिक था

उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस तरह प्रथम चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1980 के दूसरे चरण में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। प्रथम और द्वितीय चरण में देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हो गयी। 1993 में सरकार ने दो राष्ट्रीयकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर कर दिया। मर्जर के बाद देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 हो गयी थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (1975) : बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी यह पाया गया की बैंके अब भी ग्रामीण क्षेत्रों की ऋणपूर्ति करने में पर्याप्त नहीं हो पा रही है। इस स्थिति से निपटने के लिये जुलाई 1975 में नरसिंहम की अध्यक्षता में कार्य समूह ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्थापित करने की सिफारिश की। सरकार ने वर्ष 1975 में एक अध्यादेश बनाया जिसे बाद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक्ट 1976 से तब्दील कर दिया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बनाए गए थे। इसका काम ग्रामीणों का बचत खाता खोलना और उन्हें ऋण उपलब्ध कराना था। हर क्षेत्र की आरआरबी का एक प्रयोजक बैंक होगा जो आरआरबी की बैंकिंग गतिविधियों की निगरानी करेगा। आरआरबी के स्वामित्व का ढांचे में 50% शेयर केंद्र सरकार, 15% शेयर राज्य सरकार, 35% शेयर प्रयोजक बैंक के होंगे।

नाबार्ड (1982) : भारत सरकार ने नाबार्ड ‘नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्यर एंड रुरल डेवलपमेंट या राष्ट्रीय कृषी एवं ग्रामीण विकास बैंक’ की स्थापना 12.07.1982 में की। यह ग्रामीण ऋण के मामलों में सरकार की रेग्युलेटरी या विनियम संस्था है। नाबार्ड की स्थापना बी. शिवारमन समिति की सिफारिशों के द्वारा हुई थी। भारत सरकार ने नाबार्ड को निम्नलिखित मुख्य जिम्मेदारियां सौंपी।-

- ग्रामीण क्षेत्रों को कार्यरत ऋण सेवा संस्थाएं जैसे स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विकास बैंक आदि को पुनर्वित प्रदान करना है।
- नाबार्ड केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आर बी आई एवं ग्रामीण विकास नीति से संबंधित अन्य संस्थाओं के साथ तालमेल बनाए रखता है। नए ग्रामीण प्रोजेक्ट का निर्माण करता है, सरकार की विकास की नीति को कार्यान्वित करता है।
- नाबार्ड के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं का मूल्यांकन, निगरानी और निरीक्षण करना है। इसके अलावा यह खुद की पुनर्वित परियोजनाओं का भी समय-समय पर मूल्यांकन, निगरानी और निरीक्षण करता है।

19 जनवरी:

1736 - दुनिया के बड़े आविष्कारकों में से एक जेम्स वॉट का जन्म हुआ था। आप अक्सर बल्ब वगैरा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार पूछता है कि तने वॉट का बल्ब चाहिए। कभी आपने सोचा है कि यह वॉट शब्द बल्ब के साथ क्यों इस्तेमाल होता है। जेम्स वॉट्स के योगदानों के सम्मान में ही पावर के लिए एसआई यूनिट के तौर पर वॉट का चयन किया गया। 1949 - कंप्यूटर का पहला वायरस प्रोग्राम दुनिया के सामने आया और आई बी एम कंप्यूटर्स को प्रभावित किया।

20 जनवरी:

1892 - पहली बार बास्केट बॉल खेला गया। 1957 - प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रांबे (बंबई) में स्थापित देश के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन किया।



नाबार्ड की वैबसाइट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में नाबार्ड ने उसके अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के माध्यम से रु. 1,30,964.00 के करीब अल्प अवधि और रु. 92,786.00 के करीब दीर्घ अवधि के ऋण प्रदान किए हैं।

सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम (1992) : सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह में एक ही गांव के एक जैसे कार्य करने वाले और एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले 10-20 लोगों का समूह होता है। इस समूह के सदस्य कुछ बचत करते हैं और उस बचत के पैसे से एक फंड बनाते हैं। समय-समय पर ये लोग इस फंड को अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और निर्धारित ब्याज देते हैं जिससे फंड में वृद्धि होती है। नाबार्ड की पहल से सन् 1992 में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकों से जोड़ दिया गया। यदि कोई समूह 6 माह से अधिक समय से सफलतापूर्वक चल रहा है तो वह समूह बैंक में खाता खुलवा सकता है। उस समूह को अपने जमा फंड के गुणा में ऋण मिल सकता है। इस तरह के ऋण में प्रतिभूति समूह की होती है। नाबार्ड के अनुसार 31 मार्च 2014 तक 74.30 लाख स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ा गया है।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार - नरसिंहम कमेटी पार्ट 1 (1991) : बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियां एवं नीतियों के पूर्वलोकन एवं बैंकों को अधिक लाभप्रद और सक्षम बनाने के उद्देश्य से तत्कालीन वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 14 अगस्त 1991 में एक 9 सदस्यों की कमेटी बनाई जिसका अध्यक्ष श्री एम नरसिंहम को बनाया गया। इस कमेटी ने बैंकिंग क्षेत्र को लाभप्रद बनाने के लिए कुछ सुझाव दिये जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं -

- 1) तरलता अनुपात सी.आर.आर. और एस.एल.आर. जो कि उस समय क्रमशः 15% और 38.5% थे। कमेटी के सिफारिश की कि सी.आर.आर. को 5% और एस.एल.आर. 25% तक कम करा जाय।
- 2) बैंकिंग ढांचों का पुनर्गठन - कमेटी ने कहा कि देश में 3-4 बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। 8-10 राष्ट्रीय बैंक जिनकी शाखायें पूरे देश में फैली हों। स्थानीय बैंकें जो स्थानीय क्षेत्रों में कामकाज करे और आरआरबी जो ग्रामीण इलाकों में अपनी सेवा दे।
- 3) कमेटी ने पाया की मौजूदा ब्याज दर बहुत जटिल है। कमेटी ने उन्हें बाज़ार के अनुरूप करने को कहा।
- 4) खराब ऋण को लेने के लिए असेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने का सुझाव दिया।

5) रिकवरी में तेजी लाने के लिए डेस्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल स्थापित करने को कहा।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार - नरसिंहम कमेटी पार्ट 2 (1997) : नरसिंहम कमेटी पार्ट 1 के सुझावों से आए हुए बदलाव की समीक्षा हेतु तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा 1998 में गठित की गयी। इस कमेटी के अध्यक्ष भी श्री एम नरसिंहम को बनाया गया। अप्रैल 1998 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कमेटी ने कुछ सुझाव दिये जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं -

- 1) बड़ी और शक्तिशाली बैंकों का मजर किया जाय जिससे मुनाफे में वृद्धि हो।
- 2) नेरो बैंकिंग - वह बैंक जो एन.पी.ए. से मुकाबला कर रहे हैं उन्हें नेरो बैंकिंग करने की सलाह दी जिसमें वे सिर्फ अपने फंड को अल्प अवधि वाले जोखिम मुक्त स्कीम में ही निवेश कर सकें।
- 3) कैपीटल एडीक्वेसी रैशियो को चरणबद्ध तरीके से सन 2000 में 9% और सन 2022 तक 10% करने को कहा।
- 4) कमेटी ने राष्ट्रीय बैंकों में अपनी ईकविटी को कम करने को कहा और बैंक को ऑटोनोमस का दर्जा देने को कहा।

इस कमेटी द्वारा दी गई सलाहों की परीक्षा तब हुई जब सन 2008-09 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई। जहां एक ओर पूरे विश्व के बैंक झूब रहे थे वहीं भारतीय बैंक मजबूती के साथ अपना कामकाज कर रहे थे।

किसान क्रेडिट कार्ड 1998: किसान क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा तत्कालीन वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गयी थी। इस योजना के कार्यवाहक आर बी आई और नाबार्ड हैं। इस योजना में किसानों को खेती में आने वाले खर्च, कृषि उपकरण की खरीद, खाद, बीज आदि की वित्तीय जरूरतों को पूरी करना है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान रु. 1.60 लाख तक का ऋण बिना प्रतिभूति के ले सकता है। ऋण मियाद में चुकाने पर इसका ब्याज महज 4% हो जाता है।

भारत में वित्तीय समावेशन की औपचारिक शुरुवात 2005 - यूं तो भारत में वित्तीय समावेशन शब्द की शुरुवात तब हुई जब खान कमेटी ने देश में बैंकिंग सेवा का अध्यन किया और रिपोर्ट सौंपी कि आज भी देश में 67% लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं। इस रिपोर्ट पर कार्यवाही में आर बी आई ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए निम्नलिखित कार्य किए -

21 जनवरी:

1958 - कॉपीराइट अधिनियम लागू किया गया। यह आपके काम को सुरक्षा उपलब्ध कराता है ताकि आपके विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मौलिक काम की न तो कोई कॉपी कर सके और न ही उस पर अपना हक जता सके। साथ ही, आपके उस काम या उत्पाद की विशिष्टता बनी रहे। 1969 - भारत ने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण में किया।

22 जनवरी:

1947 - संविधान समिति ने भारतीय संविधान की रूपरेखा पर एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। 2009 - फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर का ऑस्कर के लिए नामांकन हुआ।



1. 'नो-फ़िल्ट्स' खाते - रिज़र्व बैंक ने 2005-06 में बैंकों को बिना न्यूनतम जमा राशि पर खाता खोलने को कहा है, जिसमें ए.टी.एम. कार्ड लाभार्थी को प्रदान किया जाय. डिजिटल बैंकिंग से राशि जमा और भुगतान की सुविधा हो.
2. के.वाई.सी. के प्रावधानों में रियायत - रिज़र्व बैंक ने 2005-06 में जल्दी और आसानी से खाता खोलने के लिए आर.बी.आई. ने आधार कार्ड को महत्व दिया है और खाता खोलने के लिए इसे ही पर्याप्त दस्तावेज बनाया.
3. जनरल क्रेडिट कार्ड - ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आर.बी.आई.ने बैंकों के जरिए रु. 25,000.00 तक की राशि के लिए जनरल क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान की है.
4. बिज़नेस कोरेस्पोंडेंट- वे क्षेत्र जहां अभी कोई बैंक नहीं है उन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा पहुंचने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को बिज़नेस कोरेस्पोंडेंट को नियुक्त करने का आदेश दिया. बिज़नेस कोरेस्पोंडेंट घर घर जाकर खाते खोलेंगे और पी ओ एस मशीन के उपयोग से नगद की जमा और निकासी करेंगे. प्रति नए खाता पर बिज़नेस कोरेस्पोंडेंट को पारश्रमिक दिया जायगा.

आरसेटी (2009)- भारत सरकार ने हर बैंक को अपने लीड डिस्ट्रिक्ट में एक व्यावसायिक ट्रेनिंग सेंटर जिसे आरसेटी (रुरल सेल्फ इम्प्लॉइमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) खोलने को कहा. जिसमें हर जिले में गरीबी रेखा से नीचे वाले हर एक परिवार में से एक वयस्क को कोई व्यवसाय लगाने की ट्रेनिंग व व्यवसाय में लगनेवाले ऋण की व्यवस्था की जाय. इससे इस परिवार की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और व्यवसाय लगाने से व्यक्ति वित्तीय समावेशन में आ जायगा.

प्रधानमंत्री जनधन योजना (2014) : भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुवात 28 अगस्त 2014 को की. इस योजना का उद्देश्य लोगों को उचित दरों पर वित्तीय उत्पाद जैसे बचत खाता, ए.टी.एम कार्ड, बीमा और पेंशन निवेश की सुविधा मिलना था. इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को रु. 10,000.00 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है. इसी के साथ रु. 2.00 लाख दुर्घटना बीमा भी मिलता है. इस योजना में 19 अगस्त 2020 तक कुल 40.35 करोड़ खाते खोले गए और इसमें रु. 1.31 लाख करोड़ जमा हुए.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (2015) : भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुवात 8 अप्रैल 2014 को की. इस योजना के अंतर्गत बहुत छोटे व्यापारी, कारीगर, रेहड़ी, सब्जी वाले जैसे लाभार्थी को अपने

व्यवसाय में वृद्धि हेतु ऋण प्रदान किया जाता है. इस ऋण लेने के लिए कोई गारंटी नहीं लगती. इस योजना में रु. 50000.00 तक को शिशु ऋण कहा गया, रु. 50,000.00 से रु. 5.00 लाख तक के ऋण को किशोर और रु. 5.00 लाख से रु. 10.00 लाख के ऋण को तरुण ऋण की श्रेणी दी गयी. 31 मार्च 2019 तक इस योजना में 5.99 करोड़ लोगों ने ऋण लिया है.

स्टैंड अप योजना (2016) : भारत सरकार ने स्टैंड अप योजना की शुरुवात 5 अप्रैल 2016 को की. इस योजना के अंतर्गत बैंक की प्रत्येक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति या जनजाति और एक महिला उद्यमी को विनिर्माण, सेवा या व्यापार की शुरुवात करने के लिए रु. 10.00 लाख से रु. 1.00 करोड़ तक का ऋण मिल सकता है. इसमें प्रतिभूति को ऋण गारंटी योजना से प्रतिभूत किया जा सकता है.

आत्मनिर्भर भारत -ई. सी. एल. जी. एस. (मई 2020 से 2021)- आत्मनिर्भर भारत की शुरुवात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2020 में की गयी. इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य देश में आयात को कम करना है. इसी कार्यक्रम के तहत इमेर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को लाया गया है जो लॉक डाउन के चलते व्यापार / कारखानों की आर्थिक समस्या को दूर करेगा. इसके तहत व्यापार में फ़ंड की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु मौजूदा आउट स्टैंडिंग की 20% - 40% के बिना प्रतिभूति के टॉप अप ऋण की व्यवस्था की गयी है.

उपसंहार और वे-फॉरवर्ड: आज का विकास महज विकास नहीं यह हमारी संकल्पनाओं की वो ज्ञांकी है जो हमने 75 वर्ष पहले देखी थी. सर्वांगीण विकास का हर मील का पथर हमारी विकास के प्रति दृढ़ निश्चय को दर्शाता है. इन मील के पथरों ने केवल हमारी राह आसान ही नहीं की वरन हमें समाज की कुरीतियों और शोषण को कुचलने का साहस भी दिया है. इन 75 वर्षों में हमने नए सपने देखना और उन्हें पूरा करना सीखा है. कल तक जो वस्तुएं और सुविधा सिर्फ़ चंद अमीर लोगों के बस में थी आज उनका रसास्वादन हम सब कर रहे हैं. आज हम समाज की ऊँच - नीच से निकल कर सबके साथ एक ही सामाजिक स्तर पर खड़े हैं. आज हमारी नयी पीढ़ी अन्य की तरह उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है. जन सेवा में उच्च पद प्राप्त कर रही है. अंतरिक्ष में जा रही है. विमान बना रही है. 75 वर्ष पहले तो यह स्वप्न था पर आज की हकीकत है.

हमें इस विकास की इस रफ्तार को बनाए रखना है अपने स्वार्थ से उठकर समाज के विकास में साथ देना है. समाज की अशिक्षा को दूर करना है. समय-समय पर आने वाली योजनाओं की जानकारी जनमानस को देनी है और उन्हें इसका उपयोग करने की प्रेरणा देना है.

23 जनवरी:

1920 - एयरमेल एवं वायु परिवहन सेवाओं की शुरुआत हुई.

24 जनवरी:

1896 - भारत का राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' सर्वथम गाया गया. जिसे बंकिम चन्द्र चटर्जी ने लिखा था और रविंद्र नाथ टैगोर ने स्वरबद्ध किया. ये बंगाली भाषा में लिखी गयी एक कविता थी, इसे कानूनी रूप से राष्ट्रीय सिद्ध कर दिया गया. दिसम्बर 1905 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में गीत को राष्ट्रीयता का दर्जा प्रदान किया गया. 24 जनवरी, 1950 - संविधान सभा ने रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित 'जन गण मन' को हमारे राष्ट्रगान के रूप में मंजुरी दी.





बैंकिंग में ग्राहक सेवा का महत्व

- सुश्री श्रुति पाल
सहायक प्रबंधक
एम.एस.आर.ओ.



“लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा. वे भूल जाएंगे कि आपने क्या किया. लेकिन वे यह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया” - माया एंजेलो

उस बुजुर्ग ग्राहक से मिले हुए आशीर्वाद की याद आज भी मन में संतुष्टि का समाधान कर देता है जब उनका एक छोटा सा काम उनके बिना विनती किये पूर्ण कर दिया गया। उस छोटे बच्चे का मुस्कुराता चेहरा आज भी खुशी दे जाता है जब अपना पहला बैंक खाता खुलाने के साथ उसे एक चॉकलेट की भेट मिली। ग्राहक सच में धनवान तो खूब होता है - सीख, संतुष्टि और प्रसन्नता का वाहक होता है।



वर्तमान प्रतिस्पर्धी बाजार स्थितियां, जहाँ कंपनियों को अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत है, वहाँ यह स्पष्ट है कि ग्राहकों के साथ संबंध बनाना और प्रबंधित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

“उत्कृष्ट ग्राहक सेवा किसी भी कंपनी में नंबर एक काम है! यह कंपनी का व्यक्तित्व है और ग्राहकों के वापस आने का कारण है। ग्राहकों के बिना कोई कंपनी नहीं है!” - कोनी एडलर

प्रत्येक दीर्घकालिक संबंध के परिप्रेक्ष्य में ग्राहकों की संतुष्टि निहित होती है। सेवा क्षेत्र में संतुष्टि का निर्माण सेवा प्रदाता के साथ प्रतिसाद के लिए बाध्य है जो उनके मूल्यांकन को और भी अधिक महत्व देता है।

ग्राहक सेवा क्यों महत्वपूर्ण है?

“केवल एक ही मालिक है, ग्राहक. और वह कंपनी में किसी को भी - अध्यक्ष से लेकर नीचे के कर्मचारी को, बस अपना पैसा कहीं और खर्च करके निकाल सकता है।” - सैम वाल्टन

बैंकों के लिए ग्राहक संतुष्टि कितनी महत्वपूर्ण है? अत्यंत प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत कम कीमत के साथ, एक शानदार ग्राहक अनुभव प्रदान करना आपके बैंक को अलग दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है।



- **ग्राहकों की अपेक्षाओं का बदलना:** आज ग्राहक तीस साल पहले की तुलना में अधिक डिमांडिंग और अधिक परिष्कृत हैं।
- **ग्राहक सेवा का बढ़ता महत्व:** ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं के साथ, प्रतिस्पर्धी ग्राहक सेवा को एक हथियार के रूप में देख रहे हैं जिसके साथ वे अपने उत्पादों और सेवाओं में अंतर करते हैं।
- **एक रिश्ते की रणनीति की आवश्यकता:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहक सेवा रणनीति जो ग्राहकों के लिए एक मूल्य पूर्वसर्ग तैयार करेगी, उसे कार्यान्वित और नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसे एक केंद्रीय भूमिका देना आवश्यक है, न कि वह जो विपणन मिश्रण के विभिन्न तत्वों में समाहित है।

25 जनवरी:

1983 - आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 2011 - भारत सरकार ने हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस '25 जनवरी' को ही 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के रूप में मनाने की शुरुआत की थी।

26 जनवरी:

26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 1972 - अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था।



ग्राहक वाणिज्यिक बैंकों जैसे विकास संगठनों में किंगपिम है, जो संस्थाएं उनके हुक्म पर चलती हैं, वही फलती-फूलती है।

“केवल संतुष्ट ग्राहकों का होना ही पर्याप्त नहीं है, यदि आप वास्तव में एक फलता-फूलता व्यवसाय चाहते हैं, तो आपको उत्साही प्रशंसक बनाने होंगे।” - केन ब्लैंचर्ड

कम कीमत पर गुणवत्ता, निरंतरता और स्थायित्व ग्राहक की अंतिम अपेक्षाएं हैं। ग्राहक की प्रतिक्रिया त्वरित और सक्षम भी होनी चाहिए। गति, प्रदर्शन और लागत सफलता के नए मूल्य ‘मंत्र’ हैं।

कोर कस्टमर सर्विस स्किल्स

बैंकिंग उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। समाइ अर्थशास्त्र के व्यापक आर्थिक पहलुओं के माध्यम से देश में आर्थिक तरकी और विकास को प्रोत्साहित करने के अलावा, बैंकिंग उद्योग मुख्य रूप से एक सेवा क्षेत्र है जिसमें ग्राहक राजा हैं।

किसी भी सेवा क्षेत्र की तरह, बैंकिंग उद्योग भी मुख्य रूप से अपने ग्राहकों पर निर्भर करता है, चाहे वह ग्राहक कोई कॉर्पोरेट यूनिट हो या ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति। और किसी भी अन्य ग्राहक-केंद्रित व्यवसाय मॉडल की तरह, बैंकों को भी अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए उन्हें क्वालिटी सर्विस प्रदान करनी होती है।

यदि हम ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाओं की बात करे तो बैंक के कर्मचारी इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएँ तो प्रदान करनी ही होती है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होता है कि वे अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं / आवश्यकताओं को पूरा करें। ऐसा करने के लिए, बैंक कर्मचारियों को कोर कस्टमर सर्विस स्किल्स विकसित करने की आवश्यकता होती है जो उन्हें अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम संभव तरीके से बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने में मदद करती है।

1. कम्युनिकेशन

“ग्राहकों से आमने-सामने बात करने में बहुत समय व्यतीत करें। आपको आश्वर्य होगा कि कितनी कंपनियां अपने ग्राहकों की नहीं सुनती हैं।” - रॉस पेरोट

कम्युनिकेशन शायद किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है और यह बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी सत्य है। अच्छे कम्युनिकेशन में सुनना और

बोलना दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं। ग्राहक द्वारा किये गए प्रश्नों/ समस्याओं को ध्यान से सुनना और समस्या का सबसे उपयुक्त समाधान ढूँढना और अंत में अपने ग्राहक को इस समाधान को बताने/ समझाने में सक्षम होना ही एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल को प्रदर्शित करता है।



ग्राहक द्वारा पूछे गये हर प्रश्न का उत्तर या समाधान इस तरीके से देने की कोशिश करिए जैसे आप किसी 5 वीं कक्षा के छात्र को कोई महत्वपूर्ण बात समझा रहे हो। भारतीय बैंकिंग उद्योग जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ (CEO), किसानों और रोजाना मजदूरी करने वाले श्रमिकों से लेकर विभिन्न क्लाइंटों के साथ काम करता है, के लिए कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। एक अच्छे बैंक कर्मचारी को ग्राहक के अनुसार अपनी कम्युनिकेशन तकनीकों को बदलने में सक्षम होना चाहिए तथा ग्राहक की समस्याओं को सरलतम तरीके से सुलझाने में और कम से कम समय-सीमा के भीतर सहायता प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।



2. संवेदना

“अपने ग्राहकों के दर्द को कम करें।” - हेजल एडवडस

संवेदना की परिभाषा के अनुसार, संवेदना किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति को उनके परिप्रेक्ष्य से समझने का अनुभव है। बैंकिंग उद्योग के सन्दर्भ

27 जनवरी:

1880 - थॉमस अल्वा एडीसन ने बिजली से चलने वाले बल्ब का अविष्कार किया था। 1988 - पहली बार हेलिकॉप्टर डाक सेवा का उद्घाटन किया गया।

28 जनवरी:

1961 - एचएमटी घड़ियों की पहली फैब्रिट्री की आधारशिला बैंगलुरु में रखी गयी। 2000 - अंडर -19 आईसीसी क्रिकेट विश्वकप भारत ने जीता।




में, संवेदना का तात्पर्य अपने ग्राहकों की समस्याओं को तकनीकी व अन्य पहलुओं के साथ-साथ भावनात्मक पहलुओं को भी समझना है।

कई विशेषज्ञों के मुताबिक, संवेदना किसी भी उद्योग में अच्छे ग्राहक सेवा संबंधों का आधार हैं। हालांकि, जैसा कि बैंकिंग क्षेत्र लोगों की वित्त व्यवस्था/योजना से संबंधित होता है, अतः इस क्षेत्र में लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदना के साथ एक प्रभावी दृष्टिकोण होना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। संवेदना दिखाकर आप ग्राहकों के साथ एक मजबूत निजी रिश्ता बना सकते हैं, जो कि आपके बैंक द्वारा लागू की गयी नीतियों और योजनाओं में ग्राहक का विश्वास बनाये रखने के लिए बहुत आवश्यक है।

3. धैर्य

“लोग परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं जब तक वे नहीं जानते कि आप कितना ध्यान रखते हैं।” - टेडी रुजवेल्ट



बैंक के कर्मचारियों को हर रोज कई प्रकार के ग्राहकों से डील करना होता है; जिसमें से कुछ शिक्षित होते हैं और बैंक की नीतियों से अवगत हो सकते हैं। परन्तु कुछ अशिक्षित होते हैं और बैंकिंग नियमों से परिचित नहीं होते हैं। एक बैंक कर्मचारी के रूप में आपको अपने ग्राहकों को उनके स्वभाव, शैक्षणिक या वित्तीय पृष्ठभूमि का विचार किए बिना खुशी से सहायता और सेवा करने में सक्षम होना चाहिए।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत इसकी भेदभावहीन प्रकृति रही है, जो अपने सभी ग्राहकों को समान रूप से मानती है और उन सभी को गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करती है। बैंक के कर्मचारियों को उत्कृष्ट आत्म-नियंत्रित और संयमित होना चाहिए और अपने ग्राहकों को महत्वपूर्ण नियमों और जटिल बैंकिंग नीतियों को धैर्यपूर्वक समझाना चाहिए। इस प्रकार बैंक के कर्मचारियों में धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है।

4. विश्वास / दृढ़ता



एक अन्य महत्वपूर्ण कस्टमर सर्विस स्किल जो सभी बैंक कर्मचारियों को विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए वह आत्मविश्वास है। सभी बैंक कर्मचारियों को आत्मविश्वासी और उनके क्षेत्र का पूर्ण जानकार होना चाहिए। इससे उनके ग्राहक मेहनत से अर्जित किये गये धन को लेकर बैंक पर भरोसा कर पायेंगे।

बैंक के कर्मचारियों को अपने सभी कार्यों जैसे ग्राहकों के प्रश्नों का जवाब देना, उन्हें नए उत्पादों के बारे में बताना या पिच करना या एक किसी समस्या को सुलझाना इत्यादि में कुशल होना चाहिए। अपने ग्राहकों की समस्याओं को कम-से-कम संभव समय में सबसे अच्छे तरीके से सुलझाना आपके ग्राहकों के बीच आपके साथ-साथ आपके बैंक की भी एक अच्छी छवि बनाएगा।

“कल्यन करें कि आपका ग्राहक आपका सबसे अच्छा दोस्त है - उनकी चित्ताओं को सुनें, द्वाके रहने के लिए एक कंधा बनें और फिर जो गलत हुआ, उस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप इसे सही बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं।” - राहेल हैंग

5. आश्र्यों को संभालने की योग्यता

बैंकिंग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे विविध उद्योगों में से एक है। दूर-दराज के क्षेत्रों में फैली हुई बैंकिंग शाखाएं, विविध ग्राहकों, विभिन्न नियमों और नीतियों का लगातार विस्तार इस उद्योग को और भी अधिक

29 जनवरी :

1953 - संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। 1979 - भारत के सबसे पहले जंबो ट्रेन (दो इंजन वाली) तमिलनाडु एक्सप्रेस को नयी दिल्ली स्टेशन से झांडी दिखाकर चेन्नै के लिए रवाना किया गया।

30 जनवरी :

1949 - रात्रि एयरमेल सेवा की शुरूआत हुई थी।

2007 - माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज विस्टा जारी किया।



चुनौतीपूर्ण बनाता है। इन मिश्रित कारकों का संयोजन समय-समय पर बैंक कर्मचारियों के सामने कई आश्र्य और चुनौतियों को पेश करता है। उदाहरण के लिए बैंकिंग नीतियों के संबंध में केंद्रीय बैंक की एक नई नीति बैंकों के पूरे ढांचे को बुनियादी रूप से बदल सकती है। ऐसे समय में, बैंक कर्मचारियों को कुछ आश्र्यजनक समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है।



उपरोक्त वर्णित गुण बैंक कर्मचारियों द्वारा उनके कर्तव्यों को सर्वोत्तम तरीके से निर्वहन करने के लिए टॉप कस्टमर सर्विस स्किल हैं। इनके अलावा, कई अन्य संबंधित गुण जैसे सेल्फ-मोटिवेशन, लक्ष्य-उन्मुख (goal-oriented) फोकस, संघर्ष समाधान तकनीक (conflict resolution techniques), समय-प्रबंधन (time management), जो बैंक कर्मचारियों को अपने व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए।

रोजाना बैंकिंग में ग्राहक सेवाओं के निम्नलिखित दस प्रमुख क्षेत्रों में समय पर और नियमित रूप से भाग लिया जाना है:

1. ग्राहकों को खाते का विवरण प्रस्तुत करना
2. बचत पासबुक का अद्यतनीकरण.
3. टेलर सिस्टम दक्षता.
4. परिसर की सफाई और रखरखाव.
5. इंस्टीट्यूशन चेक/भूमि बिलों के लिए इंटरमीडिएट क्रेडिट.
6. परिपक्वता पर सावधि जमा रसीदों के पुरस्कार के लिए ग्राहकों को अग्रिम सूचना.
7. खातों में डेबिट/क्रेडिट के लिए अग्रिम.
8. कर्मचारियों की समयबद्धता.

9. शिकायत रजिस्टर का संचालन.


10. शिकायत रजिस्टर मेंटेन करना.

ग्राहक बैंक से क्या चाहते हैं?

“धारणाएं रिश्तों की दीमक हैं。” - हेनरी विंकलर

आज के डिजिटल जानकार ग्राहकों के पास अपने फोन के एक टैप पर बैंकिंग विकल्पों की एक दुनिया उपलब्ध है - और अगर उन्हें अपनी इच्छा का अनुभव नहीं मिलता है तो वे बैंकों को बदलने के लिए तैयार हैं। ग्राहक जो चाहते हैं उसे शीर्ष पर रखना स्पष्ट रूप से एक नया ग्राहक प्राप्त करने और मौजूदा ग्राहकों को उच्च स्विचिंग और कम वफादारी के वातावरण में बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जब वित्तीय संस्थान समझते हैं कि उनके ग्राहक वास्तव में क्या चाहते हैं, तो बैंक और ग्राहक दोनों जीतते हैं। प्यूचर बैंकिंग इकोसिस्टम के बारे में सोचते समय निम्नलिखित शीर्ष पांच चीजों को ध्यान में रखें जो ग्राहक अपने बैंक से चाहते हैं।

1. ग्राहक चाहते हैं कि बैंकिंग आसान हो



शेष राशि, ऋण, अंतरण ग्राफिक यह सुनने में सीधा लगता है, लेकिन एक बेहतरीन ग्राहक अनुभव के साथ आसान बैंकिंग भाष्मक रूप से कठिन है। बैंक उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने का एक सरल, निर्बाध अनुभव होना चाहिए - स्वच्छ मैदून जिसमें बुनियादी बैंकिंग कार्यों तक पहुंचने के लिए अनगिनत क्लिक या टन टैप की आवश्यकता न हो।

डिजिटल परिवर्तन ने नाटकीय रूप से ग्राहकों की अपने बैंक के साथ बातचीत की संख्या को बढ़ा दिया है। यदि कोई वित्तीय फर्म बुनियादी बैंकिंग कार्यों को सरल और एकीकृत करने में विफल रहता है, तो ग्राहक उस बैंक में चले जाएंगे।

31 जनवरी :

1961 - अमेरिका ने जीवित प्राणियों पर अंतरिक्ष के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक चिपांजी को अंतरिक्ष में भेजा। 1963 - मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। 2007 - भारतीय स्टील कम्पनी टाटा, एंगलो डच इस्पात कम्पनी कोरस के अधिग्रहण के बाद विश्व की पांचवीं बड़ी कम्पनी बनी।

1 फरवरी -

1884 - ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पहला वॉल्यूम प्रकाशित हुआ।

1964 - भारत में 'यूनिट ट्रस्ट' की स्थापना हुई।


2. ग्राहक इस बात के विकल्प चाहते हैं कि वे कैसे बैंकिंग करें



बैंकिंग ऐप्स की ग्राफिक आसानी पर्याप्त नहीं है - बैंकिंग ग्राहक 24/7 एक्सेस और विकल्प चाहते हैं: घर पर वेब पर, चलते-फिरते अपने फोन पर, भौतिक शाखाओं में और बहुत कुछ. आज के ग्राहक डिजिटल और फिजिकल दोनों में काम करते हैं, जिसमें 65 प्रतिशत ग्राहक अपने बैंक के साथ कई चैनलों के माध्यम से बातचीत करते हैं. यहां तक कि पुराने, कम तकनीकी रूप से व्यस्त जनसांख्यिकी, जो व्यक्तिगत रूप से बैंकिंग को प्राथमिकता देते हैं, अन्य चैनलों को शामिल करने और अपने वेब या मोबाइल-आधारित इंटरैक्शन का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं.

डिजिटल परिवर्तन ने कई उद्योगों में तत्काल संतुष्टि को सक्षम किया है. ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम होना चाहते हैं और उन्हें किसी भौतिक शाखा में सूचना या कार्यों को दोहराना नहीं पड़ता है. बैंकों के लिए कई विकल्प और एक सहज, आसान अनुभव प्रदान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आज के ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए यह महत्वपूर्ण है.

3. ग्राहक उत्तरदायी ग्राहक सेवा चाहते हैं



ग्राहक सेवा ग्राफिक उत्कृष्ट सेवा गुणवत्ता एक आवश्यकता है, क्योंकि ग्राहकों के पास तब स्विच करने के बारे में कोई आरक्षण नहीं है जब उन्हें निराशाजनक रूप से अपारदर्शी जुमाना और शुल्क प्राप्त होता है या उनका बैंक उनकी समस्याओं को हल करने में विफल रहता है. बैंकों को पारदर्शी होने और अपने ग्राहकों के साथ संवाद करने की आवश्यकता है, और यदि समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, तो उन्हें पहले प्रयास में ही उन्हें दर्द रहित ढंग से हल करने के लिए शीघ्रता से कार्य करना चाहिए.

एक तिहाई बैंकिंग ग्राहक रिपोर्ट करते हैं कि खराब ग्राहक सेवा उनके बैंक छोड़ने का प्राथमिक कारण है. जिन ग्राहकों ने खराब सेवा के कारण बैंक बदले हैं, उनके लिए 80 प्रतिशत से अधिक ने कहा कि यदि बैंक के साथ उनके पहले संपर्क पर उनकी समस्या का समाधान किया गया होता तो उन्हें बनाए रखा जा सकता था. हालांकि उत्तरदायी ग्राहक सेवा बैंकों को नए ग्राहक नहीं दिला सकती है, लेकिन मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

4. ग्राहक बेहतर ढंग से समझा जाना चाहते हैं



ग्राहक अपने बैंक से व्यक्तिगत ध्यान और प्रारंभिक ऑफर चाहते हैं, न कि सामान्य स्पैम विज्ञापन ग्राफिक सामान्य विज्ञापन. यदि कोई ग्राहक नए क्रेडिट कार्ड पर शोध कर रहा है, तो उनके द्वारा खोजे जा रहे कार्ड के लिए अनुकूलित किए गए कार्ड पर उनके बैंक की ओर से एक लक्षित ऑफर ग्राहक के समय और धन की बचत करता है. ग्राहक इतना अधिक समझा जाना चाहते हैं कि वे व्यक्तिगत डेटा को अनुकूलित पेशकशों के लिए व्यापार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. जैसे-जैसे अधिक ग्राहक डिजिटल चैनलों का लाभ उठाते हैं, वे अपने बैंक के साथ अधिक बातचीत करते हैं - बैंकों को ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने, सही समय और स्थान पर अधिक प्रारंभिक ऑफर पेश करने और अंततः अतिरिक्त उत्पादों को बेचते समय प्रतिधारण बढ़ाने के अधिक अवसर प्रदान करते हैं.

2 फरवरी:


1953 - अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया. 2008 - राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कर्नाटक की पहली लकड़री ट्रेन 'गोल्डन चैरियट' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

3 फरवरी:

1916 - बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई. 1815 - विश्व में पनीर उत्पादन का पहला कारखाना स्विटजरलैंड में खोला गया.



5. ग्राहक अपने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं से बढ़िया मूल्य चाहते हैं



छूट, सौदे, लाभग्राहक लॉयल्टी कार्यक्रम अपनाना बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ग्राहक वास्तव में अपने बैंक के प्रति अधिक वफादार होते हैं। प्रतिस्पर्धा करने के लिए, बैंकों को मौजूदा ग्राहकों के लिए वैयक्तिकरण से परे जाना चाहिए और महान, उच्च-मूल्य वाली वित्तीय पेशकशों का निर्माण करना चाहिए जो आज के जानकार बैंकिंग ग्राहकों को आकर्षित करती हैं। ग्राहक सुविधा और मूल्य चाहते हैं, और वे अच्छे सौदों और छूट के लिए अपने व्यक्तिगत डेटा का आदान-प्रदान करने के इच्छुक हैं।

जाहिर है, आज के ग्राहक अपने बैंक से काफी उम्मीदें रखते हैं। वित्तीय संस्थानों के लिए चुनौती न केवल सभी पांच ग्राहकों की इच्छाओं को पूरा करना है, बल्कि प्रतिस्पर्धा से खुद को अलग करना है। नए ग्राहकों को प्राप्त करने और मौजूदा ग्राहकों को उच्च-मंथन वाले वातावरण में बनाए रखने के लिए प्रमुख ग्राहक आवश्यकताओं को पार करना महत्वपूर्ण है।

शाखाओं के सामान्य प्रबंधन के लिए नीति

चूंकि एक ग्राहक बैंकिंग उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ग्राहक सेवा का बहुत महत्व है और इसलिए, यह हमारे लिए सर्वोपरि है। लाखों ग्राहकों के साथ पूरे देश में फैली शाखाओं के विशाल नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए, बैंक के सिस्टम को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने की दिशा में उन्मुख होने की आवश्यकता है। तदनुसार, बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वह समय-समय पर अपनी प्रणालियों और ग्राहक सेवा पर उनके प्रभाव का अध्ययन करे।

1) बुनियादी ढांचा:



एक नीति के रूप में, बैंक सभी शाखाओं में अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराए, ताकि ग्राहकों को निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देते हुए कारोबार करते समय सहज महसूस हो:

- ग्राहकों के लिए पर्याप्त जगह
- उचित फर्नीचर
- पीने के पानी और शौचालय की सुविधा
- पार्किंग के लिए जगह, जहाँ भी संभव हो
- शाखाओं में रैम्प, जहाँ भी संभव हो।

पेंशनभोगियों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि पर विशेष जोर देने के साथ।

2) पूछताछ काउंटर

परिपत्र संख्या: डीबीआर सं. लेग.बीसी.21/09.07.006/2015-16 दिनांक 07.07.2015 के तहत आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंकों को छोटी शाखाओं को छोड़कर सभी शाखाओं में “पूछताछ” या “क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ” काउंटर प्रदान करना चाहिए। छोटी शाखाओं में “मै आई हेल्प यू” काउंटर को एंट्री पॉइंट पर स्थित काउंटर के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यह ग्राहकों को उनकी बैंकिंग आवश्यकताओं से निपटने में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

3) संकेतक बोर्ड

संकेतक बोर्ड सभी काउंटरों पर संबंधित क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी में प्रदर्शित होना चाहिए। अर्ध-शहरी और ग्रामीण शाखाओं में व्यावसायिक पोस्टर भी संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में होने चाहिए।

4) फरवरी:

2004 - 4 फरवरी को मार्क जुकरबर्ग ने हावर्ड यूनिवर्सिटी में अपने साथ पढ़ने वाले तीन दोस्तों के साथ मिलकर बनाई वेब साइट ‘फेसबुक’ को लांच करके दुनियाभर के लोगों को ‘फ्रेंड्स’ और ‘लाइक’ को गिनते रहने का एक नया गणित दिया। जुकरबर्ग ने फेसबुक के जरिए अपनी तकदीर और पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी।

5) फरवरी:

2007- भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अन्तरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी। 2010 - भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने नीदरलैंड इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 600 में से 596 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीत लिया।



4) धूमने वाले अधिकारी

ग्राहकों को उनके दिन-प्रतिदिन के लेन-देन करने में मार्गदर्शन करने के लिए ग्राहकों की अधिक संख्या वाली शाखाओं में ग्राहक मित्र उपलब्ध हो. अन्य शाखाओं में, अन्य कर्तव्यों वाले कर्मचारी को ‘‘ग्राहक मित्र’’ की भूमिका सौंपी जानी चाहिए. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहकों को व्यवसाय के लेन-देन में आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है और ग्राहकों के प्रति कर्मचारी की प्रतिक्रिया की निगरानी करते हैं. शाखा प्रबंधक या कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर बैंकिंग हॉल का दौरा करे और घटनाक्रम पर नजर रखें; और सेवाओं के वितरण के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कुछ ग्राहकों के साथ बातचीत करें.

5) पुस्तिकाओं / पैम्फलेट आदि की भाषा

ग्राहकों को बैंक में उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं के सभी विवरणों से युक्त प्रासंगिक क्षेत्रीय भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी में पुस्तिकाएं प्रदान की जाएं. भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार भाषा का क्रम क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी होगा. ग्राहक जानकारी का संग्रह बैंकिंग हॉल में एक प्रमुख स्थान पर रखा जाए, जो ग्राहकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो.

6) संचार / लेनदेन की भाषा

ग्राहकों के साथ संचार करते समय, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी का प्रयोग किया जाए. ग्राहकों के साथ प्रभावी संचार के लिए, उन्हें ज्ञात भाषा का उपयोग सभी स्तरों पर किया जाए.

7) सुरक्षा प्रणाली

सुरक्षा दिशानिर्देश न केवल बैंक की संपत्ति, मुद्रा तिजोरी आदि को कवर करेंगे, बल्कि कर्मचारियों और जनता दोनों के लिए उनके बैंकिंग कार्यों के संबंध में एक सुरक्षित वातावरण भी बनाएंगे.

8) पहचान पत्र और ड्रेस कोड

एक नीति के रूप में, बैंक यह अपेक्षा करता है कि सभी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से फोटो और नाम प्रदर्शित करने वाला एक पहचान पत्र पहनें.

9) स्टाफ कर्तव्यों का रोटेशन

सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि सभी अधिकारियों को डेस्क और जिम्मेदारियों के आबंटन में समय-समय पर बदलाव होता रहे. आरबीआई और सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन में शाखा और केंद्र में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के ठहरने की अवधि निर्धारित करने वाली एक अच्छी तरह से निर्धारित नीति है और इसका सावधानीपूर्वक पालन होना चाहिए.

10) कर्मचारियों का प्रशिक्षण

ग्राहक सेवा अभिविन्यास के अनुरूप सभी स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण देना चाहिए. कर्मचारियों को केवाइसी, एमएल और सीएफटी, भूमिका आधारित आवश्यकताओं आदि जैसे क्षेत्रों में अनिवार्य प्रशिक्षण देना होगा. ई-लर्निंग, सर्कुलर की उपलब्धता, हेल्पलाइन, संस्थागत प्रशिक्षण, ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रश्नोत्तरी और परीक्षण आदि से लेकर प्रशिक्षण / वितरण के अभिनव तरीके अपनाने चाहिए.

11) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शाखाओं का दौरा

नियंत्रण कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मौके पर अध्ययन के लिए समय-समय पर बैंक के मानदंडों के अनुसार शाखाओं का संरचित दौरा होना चाहिए, अपनी टिप्पणियाँ/निष्कर्षों को विजिट रजिस्टर/सीवीएस में दर्ज करें और पाई गई कमियों, यदि कोई हो, पर आवश्यक उपचारात्मक उपाय शुरू करना चाहिए.

12) ग्राहक संबंध कार्यक्रम

ग्राहक संबंध कार्यक्रम और ग्राहकों के साथ आवधिक बैठकें ग्राहकों के विभिन्न वर्गों के साथ बातचीत करने के लिए आयोजित होने चाहिए ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जिनमें सुधार की आवश्यकता है, ताकि समग्र ग्राहक सेवा में सुधार हो सके.

ग्राहक दिवस हर महीने दो दिनों में मनाया जाना चाहिए, जब शाखा अधिकारी ग्राहकों को उनकी शिकायतों पर ध्यान दे और उनके सुझावों को सुनने के लिए कम से कम दो घंटे के लिए खुद को उपलब्ध कराएं.

13) नए उत्पादों और सेवाओं की स्वीकृति

नए उत्पादों और सेवाओं को एक अच्छी तरह से स्थापित अनुमोदन प्रक्रिया के माध्यम से पेश किया जाए, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाता है.

14) नियामक दिशानिर्देशों और गुणवत्ता आश्रासन का अनुपालन

बैंक इस विषय पर आरबीआई के निर्देशों के अलावा ग्राहक सेवा पर विभिन्न संहिताओं के विभिन्न प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध हैं. कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

- बीसीएसबीआई का ‘ग्राहकों के प्रति बैंक प्रतिबद्धता’ कोड, जो बैंकों के लिए ग्राहक सेवा में न्यूनतम मानक बैंकिंग अभ्यास और बेंचमार्क निर्धारित करता है, अनुरोध पर ग्राहकों को उपलब्ध कराना चाहिए.

6 फरवरी :

1971 - अपोलो 14 के जरिए चांद पर पहुंचे एलन शेपर्ड ने दो दिन तक चांद पर चहलकदमी के दौरान एक गोल्फ क्लब से गोल्फ बॉल को हिट किया और चांद पर गोल्फ खेलने वाले पहले व्यक्ति बन गए. 1999 - देश का पहला पेस मेकर बैंक कोलकाता में स्थापित हुआ.

7 फरवरी :

1992 - स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहली पमडुब्बी (आईएनएस शाल्की) को नौसेना में शामिल किया गया. 2010 - दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 19वाँ अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला नौ दिनों तक चला. इस पुस्तक मेले में लगभग दो हज़ार प्रकाशकों ने भाग लिया.



- बैंक ग्राहकों के बीच सोशल इंजीनियरिंग धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नोटिस प्रदर्शित होना चाहिए.
- शाखाओं में ग्राहक संबंध कार्यक्रम बैठकों के आयोजन पर सूचना का प्रदर्शन.
- वित्तीय समावेशन.
- नोटिस के प्रदर्शन के साथ ड्रॉप बॉक्स का प्रावधान कि ग्राहक काउंटर पर चेक जमा कर सकता है और यदि वह चाहे तो पावती आदि प्राप्त कर सकता है. शाखाओं को चेक ड्रॉप बॉक्स के ऊपर प्रदर्शित करना है कि जिस कट ऑफ टाइम को बॉक्स में डाला गया है, उसी दिन समाशोधन के लिए लिया जाएगा.
- बैंकिंग हॉल में प्रमुख स्थान पर अद्यतन विवरण के साथ व्यापक नोटिस बोर्ड का प्रदर्शन.
- कटे-फटे नोटों को बदलने की सुविधा सभी शाखाओं में उपलब्ध कराई जाए.

15) संपर्क केंद्र:

संपर्क केंद्र नियामक मानदंडों के अनुसार उचित प्रमाणीकरण के बाद पात्र ग्राहकों को आरएमएन (पंजीकृत मोबाइल नंबर) और आईबीआर (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस) के आधार पर विभिन्न सेवाएं/सूचना प्रदान करना चाहिए.

सेवाओं में खाते में शेष राशि, पिछले पांच लेनदेन, जमा और अग्रिम पर व्याज दरें, ग्रीन पिन का सूजन, डेबिट कार्ड को अवरुद्ध करना और इसके अवरुद्ध होने के बाद डेबिट कार्ड को फिर से जारी करने का अनुरोध शामिल हो.

16) शिकायत निवारण

बैंक वॉक-इन ग्राहकों द्वारा शिकायतों की रिकॉर्डिंग के लिए शिकायत पुस्तिका रखा जाए और उन्हें पावती प्रदान कराया जाए. शाखा में बैंकिंग हॉल में शिकायत/सुझाव पेटी भी होनी चाहिए और यह आरबीआई के नियमों के अनुपालन में ग्राहकों को प्रमुखता से दिखाई दे.

बैंक शाखा के व्यापक नोटिस बोर्ड पर शाखा प्रबंधक, नियंत्रक और बैंकिंग लोकपाल आदि का नाम और संपर्क विवरण प्रदर्शित होना चाहिए. एटीएम लेनदेन संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर भी एटीएम साइटों पर प्रदर्शित किया जाए.

उपसंहार

“आपके सबसे दुखी ग्राहक आपके सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है.”

- बिल गेट्स

बैंकिंग उद्योग में ग्राहक का असंतोष न तो हाल का है और न ही अज्ञात. ऐतिहासिक रूप से, ग्राहक अनुभव नवाचारों के अनुकूल होने में धीमी

गति के लिए बैंकिंग क्षेत्र की आलोचना की गई है. यह कई कारकों के कारण था. उदाहरण के लिए, पारंपरिक बैंकों के पास आमतौर पर बड़ी मात्रा में विरासती बुनियादी ढाँचे और नीतियां होती हैं जो नई तकनीक को अपनाने को एक दुःखिया बना सकती हैं. अतीत में कुछ नया करने का दबाव भी कम था. ग्राहक आमतौर पर एक बैंक में लंबे समय तक रहें, शायद उनका पूरा जीवन. हालांकि, समय बदल गया है. ग्राहक अब खरीदारी करने में अधिक सहज हैं. हजारों समीक्षाएं केवल एक गूगल खोज दूर हैं!

अंततः बैंकिंग संबंध बनाना व्यक्तिगत संबंध बनाने से अलग नहीं है. हम सभी एक ऐसा बैंक चाहते हैं जो लगातार अच्छी ग्राहक सेवा प्रदर्शित करने में सक्षम हो, जो हमें यह दिखाने में सक्षम हो कि वह अपने ग्राहक अनुभव और सेवा को गंभीरता से लेता है, और जो अपने ग्राहकों को खुश करने के तरीके खोजने के लिए अतिरिक्त मील जाने को तैयार है. और हाँ, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करें.

एक बैंक जो वह सब करता है, हमारी राय में, एक ऐसा बैंक है जो वास्तव में अलग होगा, और हमारे लिए आकर्षक होगा, हमारी बढ़ती डिजिटल दुनिया में.



बहतर ग्राहक अनुभव के लाभ - निचले स्तर के परिणाम और मजबूत ग्राहक और फ्रंटलाइन-वर्कर वफादारी - बैंकों पर नहीं खोते हैं. ग्राहकों की यात्रा को सफलतापूर्वक बदलने के लिए मुट्ठी भर तत्वों पर ध्यान केंद्रित करके, बैंक टिकाऊ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए उन लाभों का लाभ उठा सकते हैं.

“कुंजी यह है कि जब कोई ग्राहक यह सोचकर चला जाता है, ‘वाह, मुझे उनके साथ व्यापार करना अच्छा लगता है, और मैं दूसरों को अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ.’” - शेप हाइकेन



8 फरवरी :

1971 - दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार नासडैक की शुरुआत हुई.

1986 - दिल्ली हवाई अड्डे पर पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू हुई.

9 फरवरी :

1951 - स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना करने के लिये सूची बनाने का कार्य शुरू किया गया.

2008 - बाबा आमटे न सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता थे बल्कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इसी दिन उनका निधन हुआ था.





वसूली और ऋण निगरानी

भा

रत्तीय अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आज एनपीए यानि अनर्जक आस्तियों की समस्या से जूझ रहे हैं। सामान्य भाषा में बैंकों द्वारा दिये गए ऐसे ऋण जिनकी वापसी नहीं हो पा रही है वह अनर्जक आस्तियां कहलाती है। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए सबसे भयावह शब्द है। यह समस्या किसी भी बैंक में चौतरफा मार करती है। पहली बैंकों को एनपीए से किसी प्रकार की आय नहीं होती है। दूसरा एनपीए के लिए आवश्यक उच्चतर प्रावधान बैंकों की आय को घटा देते हैं। तीसरा अतिरिक्त कर्मचारियों को वसूली में तैनात करना पड़ता है जिससे शाखाओं के दैनिक कार्य बाधित होता है। चौथा अधिक एनपीए होने से कर्मचारियों का मोनोबल तेजी से नीचे गिरता है और उनके कार्य निष्पादन में कमी आ जाती है।

एनपीए की वजह से बैंकों में नकारात्मता छा जाती है एवं नए ऋण प्रदान करने में कमी करनी पड़ती है। ऋण नीति में परिवर्तन करना पड़ता है। खर्चों एवं भत्तों में कटौती करनी पड़ती है। कार्यक्षेत्र में नकारात्मता आने से कई मामलों में कर्मचारियों के स्वास्थ्य में भी विपरीत प्रभाव देखा गया है। कुल मिलाकर एक तनावपूर्ण वातावरण बन जाता है। नियामकों और आम जनता की नजर में बैंक रेटिंग कम हो जाती है।

एनपीए की समस्या को स्थायी न मानकर यदि इसी का सामना हम इसे एक चुनौती के रूप में लें तो हम इसके प्रभाव से जल्दी मुक्त हो सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम भविष्य में अपनी स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो हमारा प्राथमिक ध्यान ऋण वसूली पर होना चाहिए। बैंकों में एनपीए का स्तर बढ़ रहा है। एनपीए खातों की वसूली की जाती है, तो राशि बिना किसी अतिरिक्त लागत के बैंक के संसाधनों में जोड़ दी जाती है। वसूल की गई राशि का पुनर्निवेश किया जा सकता है, जिससे बैंक की आय में वृद्धि होगी। बैंक के पूंजी ढांचे को और मजबूती मिलेगी। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे बैंक में ऋण वसूली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसने 'मिशन रिकवरी' अभियान भी चलाया। हमारे बैंक ने इस अभियान के दौरान भारी मात्रा में वसूली की है।

एनपीए की श्रेणी

विलुप्त डिफॉल्ट्स: ये ऐसे कर्जदार होते हैं जिनके पास पर्याप्त धन और भुगतान क्षमता होती है, लेकिन वे ऋण चुकाना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार के खातों में बैंक को सरफेसी अधिनियम, एनसीएलटी, डीआरटी / सिविल सूट के लिए जाना चाहिए और साथ ही उन्हें खाते की आवश्यकता के अनुसार अन्य प्रयास करने होंगे।

- संजय भट्ट

वरिष्ठ प्रबंधक, राजभाषा

आंचलिक कार्यालय, अहमदाबाद



उधारकर्ता के नियंत्रण से परे कारण: इस प्रकार के खातों को उधारकर्ताओं के नियंत्रण से परे कारण के लिए एनपीए श्रेणी में खिसकाया जा सकता है यानी बाज़ार का गिरना, उत्पादन मांग में अचानक आयी कमी, वैश्विक मंदी आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम इस प्रकार की समस्या का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार के खातों में बैंक को खातों का पुनर्निर्धारण करके पुनर्भुगतान के लिए कुछ और समय देना चाहिए।

धोखाधड़ी: इस प्रकार के खातों में, उधारकर्ता द्वारा आपराधिक कृत्य किया जाता है। बैंक को चाहिए कि वह इस प्रकार के कर्जदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, कर्जदार पर दबाव बनाए ताकि कर्जदार कर्ज की रकम चुका सके।

रिकवरी के विधिक उपाय:-

सूट फाइल: इसके अंतर्गत, मुकदमा केवल तभी दायर किया जा सकता है जब सीमा अवधि समाप्त नहीं हुई हो। अशोध्य ऋणों की वसूली के लिए बंधकवाद, धनवाद और समरी वाद न्यायालय में दावा दायर किया जा सकता है।

लोक अदालत: सभी संदिग्ध और लोस श्रेणी के 20.00 लाख रुपये से ऊपर फाइल और नान सूट फाइल, एनपीए खातों को जिला कानूनी सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालत में भेजा जा सकता है। रु. 20 लाख रुपये से अधिक राशि के लिए डीआरटी लोक अदालत भी आयोजित की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि रु.10 लाख रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए।

SARFAESI: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम 2002 सुरक्षित लेनदार को सिक्योर्ड संपत्तियों को कब्जा लेने, बेचने या पट्टे पर देने, व्यवसाय का प्रबंधन संभालने, प्रबंधक नियुक्त करने, उधारकर्ताओं को तीसरे पक्ष द्वारा देय किसी भी धन की वसूली करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम के तहत ऋणदाता अदालत के हस्तक्षेप के बिना संपत्ति का कब्जा लेने के बाद बैंक को चार्ज की गई संपत्ति का निपटान कर सकते हैं। मॉर्गेज संपत्तियों की बिक्री से पहले, एक अधिकृत अधिकारी द्वारा जो मुख्य प्रबंधक से नीचे के पद पर नहीं है, ऋणी और गरंटर को 60 दिनों का 13 (2) नोटिस भेजना होता है। 13(2) नोटिस के 60 दिन बाद 13(4) का नोटिस भेजकर संपत्ति का कब्जा लेना होता है।

डी आर टी - आरडीडीबी अधिनियम 1993 के अनुसार स्थापित डीआरटी (ऋण वसूली न्यायाधिकरण), क्षेत्राधिकार में रु. 10 लाख और उससे अधिक के बकाया वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ऋण राशि शामिल है। डीआरटी

10 फरवरी :

1992 - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विदेशी पर्यटकों के लिए खुला।

2009 - प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।

11 फरवरी :

1955 - भारत में पहली बार अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ।

1990 - दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला को 27 साल की लंबी कैद से रिहाई मिली।



का नेतृत्व पीठासीन अधिकारी करते हैं, जो जिला न्यायाधीश होने के योग्य हैं। डीआरटी द्वारा पारित आदेश की अपील उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के योग्य अध्यक्ष की अध्यक्षता वाले डीआरएटी (ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण) में की जा सकती। कार्य सुगमता के लिए बैंक को सुयोग अधिकता की सेवा लेनी चाहिए।

आई बी सी: इन्सोल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड 2016 मई 2016 में संसद द्वारा पारित किया गया है। IBBI (भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड) इसके नियामक है। लेनदार एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉट्रिभ्यूनल) में एक दिवाला समाधान योजना (आईआरपी) शुरू कर सकते हैं। परिसमापन प्रक्रिया की समय सीमा 180 दिन है (इसे अतिरिक्त 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है)। इस अवधि में एनसीएलटी के आदेश से पीड़ित व्यक्ति एनसीएलएटी में अपील दायर कर सकता है और एनसीएलटी के आदेश से पीड़ित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है।

एआरसी: एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी डिस्काउंट पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादित आस्तियों का अधिग्रहण करती है और परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण या बिक्री के माध्यम से इन ऋणों की वसूली के लिए कदम उठाती है। कुछ मामलों में, वे प्रबंधन का भी सहारा लेते हैं।

राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरसीसी):- ₹ 10 लाख से कम एन पी ए खातों की वसूली हेतु आरसीसी जारी कर स्थानीय राजस्व अधिकारियों की सहायता से वसूली की जाती है।

रिस्ट्रक्चरिंग: बैंक को यदि, स्टैण्डर्ड और सब-स्टैण्डर्ड ऋण खातों में उधारकर्ता से पुनर्भूतान का एक उचित आधार प्राप्त होता है तो उस तरह के ऋण खातों को रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज के नियमों और शर्तों के अनुसार रिस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है। जैसे ही खाते में कोई चूक होती है, ऋणदाता समाधान योजना (आरपी) के माध्यम से डिफॉल्ट को ठीक करने के लिए कदम उठाते हैं। आरबीआई के संशोधित ढांचे के आधार पर हमारे बैंक ने स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट पर दिशानिर्देशों को मंजूरी दी है।

वसूली एजेंट: बैंक नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त वसूली / प्रवर्तन एजेंटों की सेवाओं का उपयोग देय राशि की वसूली और प्रतिभूतियों को वापस लेने के लिए कर सकता है। यदि बैंक किसी वसूली मामले के लिए ऐसी वसूली / प्रवर्तन / जब्ती एजेंट की सेवा लेता है, तो एजेंट की पहचान उधारकर्ता को बताई जाएगी और ऐसे एजेंटों को ग्राहकों के साथ अपने व्यवहार को कवर करने वाली आचार संहिता का पालन करना होगा।

रिकवरी के गैर विधिक उपाय:- रिकवरी के विधिक उपाय बहुत जटिल व खर्चीले हैं और इसमें समय भी बहुत लगता है। केस तो केस बेसिस पर गैर विधिक उपाय का सहारा भी लिया जा सकता है -

- वन टाइम सेटेलमेंट (ओटीएस):- जमानती अथवा गैर जमानती ₹. 20 लाख तक के ऋण खातों व ₹.20 लाख से ₹.5 करोड़ तक के सूट फाइल केस में वसूली के लिए वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम को लाया गया है। यह स्कीम बहुत प्रभावी है व ऋणी भी इस स्कीम को कर्ज से उत्तरने का अवसर की तरह लेते हैं।

2) रिकवरी कैंप का आयोजन करना।

3) ऋणी से समझौता।

एनपीए को नियंत्रित करने के लिए ऋण की पहचान, निर्धारण एवं अनुवर्ती कार्यवाही अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋणी व्यक्ति या संस्था के रीपेमेंट पर निगरानी की जाय और सही तकनीक अपनाये जाय तो जल्द रिकवरी संभव है। रिकवरी के लिए ऋणी से संपर्क बनाये रखें और उसके डीफाल्टर होने की जानकारी देते रहें। इसके साथ साथ उसके आर्थिक हालातों का जायजा लेना भी महत्वपूर्ण है। संपर्क बनाये रखने से ऋणी के रीपेमेंट के प्रति उसकी मानसिकता आ जायेगी। इससे हमें वसूली के तरीकों का इस्तेमाल करने में आसानी होनी और जल्दी रिकवरी संभव हो सकेगी।

ऋण निगरानी -

आज पूंजी संरक्षण के दौर में बैंकों को दिये गए ऋणों में सुरक्षा, वापसी, आरबीआई के नीति नियतांक सुनिश्चित करना बैंकों की ज़िम्मेदारी है। बैंकों द्वारा दिये गए ऋण को सुरक्षित रखने के लिए ऋणी के अकाउंट पर निगरानी करना परम आवश्यक है। जिस उद्देश्य से ऋण दिया गया है ऋणी ने उसी उद्देश्य में फंड को निवेशित किया है या नहीं, गिरवी संपत्ति पर चार्ज और सुरक्षा, ऋणी के व्यवसाय की ऋण संबंधित गतिविधियां आदि ऋण निगरानी के अंतर्गत आता है।

हमारे बैंक में ऋण निगरानी हेतु अलग अलग स्तर जैसे शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, आंचलिक कार्यालय और केन्द्रीय कार्यालय पर क्रेडिट मोनिट्रिंग कमिटी का गठन किया गया है जोकि मासिक अंतराल में ऋणों की निगरानी और अपनी रिपोर्ट देती है। इसी के साथ वे आडिटरो, एल आर ओ आदि द्वारा दिये गए अनियमिताओं को नियमित करने की ज़िम्मेदारी लेती है। यदि किसी खाते में अनियमिताएं रह जाती हैं तो उसकी जानकारी यह कमेटी अपनी उपरी कमिटी को देती है। इसके अलावा यह कमिटी ऋण खातों का वर्गीकरण, खातेदारों का वर्गीकरण आदि कार्य करती है।

ऋण निगरानी के अंतर्गत शाखा प्रबंधक को सुनिश्चित करना होता है की ऋणी के सीसी / ओड़ी खाते में लेन-देन ऋण देते समय में की कई परिकल्पना के अनुसार हो रहा है या नहीं। इसके अलावा शाखा प्रबंधक को सुनिश्चित करना होता है कि ऋणी के खाते में जमा राशि ब्याज के भुगतान हेतु पर्याप्त है या नहीं। अप्रिय स्थिति में शाखा प्रबंधक को उचित कार्यवाही करने खाते में पर्याप्त राशि जमा करनावा है जिससे खाता एनपीए न हो जाय।

एक पुरानी कहावत है की इलाज के बदले बीमारी का बचाव बेहतर होता है। यदि दिये गए ऋण की निगरानी हम बैंकों के मापदंड के अनुसार करते रहें और किसी ऋण में गलत संकेत के मिलने पर जरूरी कार्यवाही समय पर करें तो हम निश्चित रूप से भविष्य में होने वाले स्लिपेज से बच सकते हैं।

यदि ऋण प्रदान करना बैंक की जरूरत है तो ऋण निगरानी ऋण से होने वाले दीर्घामी फायदे को सुनिश्चित करती है। आज के दौर में एक सुधार ऋण निगरानी पॉलिसी बैंकों में एन पी ए के मामलों को कम कर सकती है और बैंक वसूली के दौरान आने वाले अतिरिक्त खर्च और मुनाफे में कटोरी से बचा सकती है।

12 फरवरी :

1975 - भारत को चेचक से मुक्त देश घोषित किया गया।

2009 - भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने डीलिट् की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की।

13 फरवरी :

1959 में बच्चों की पसंदीदा बार्बी डॉल की बिक्री शुरू हुई। 2004 - भारतीय टीम ने क्वालालम्पुर में दसवीं एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप



अतीत के इतिहास के साथ विश्व की आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतियां और हमारा बैंक

हम सभी जानते हैं कि बैंक एक कारोबारी संस्था है और यह लगातार अपने व्यवसाय की वृद्धि में संलग्न रहता है। हमारे देश में बैंक अपने व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ-साथ सामाजिक बैंकिंग के प्रति सदैव प्रयासरत रहते हैं। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था अपने बीते जमाने की बैंकिंग से काफी हद तक आगे निकल गई है। इस परिवर्तन से कोई भी बैंक अछूता नहीं रह गया है। सच देखा जाए तो अब बैंकिंग का स्वरूप वैश्विक बैंक का हो गया है और इसलिए हमारे भारतीय बैंक देश की सीमा में न बंधकर सार्वभौमिक हो गये हैं। वर्तमान में बैंक, पारम्परिक बैंकिंग के साथ-साथ पैरा बैंकिंग गतिविधियों में भी अपनी बढ़-चढ़कर भूमिका अदा कर रहे हैं।

प्रसंगवश, यहां हमारे सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की संक्षिप्त चर्चा करके बैंकिंग उद्योग में अतीत से लेकर वर्तमान तक के परिवर्तनों को समझना आसान होगा। हमारे बैंक की स्थापना को लगभग 110 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस बैंक ने इस लम्घी अवधि में अनेक उत्तर चढ़ाव देखे हैं। इस अवधि में बैंक ने अपने दूरदृष्टा एवं अनुभवी तथा पक्के इरादों वाले महान संस्थापक सर सोराबजी पोचखानावाला के आदर्शों, उद्देश्यों और लक्ष्यों को आत्मसात करते हुए अपनी गति जारी रखी है। उनका विज्ञन था ‘हमारा बैंक ग्राहकों के साथ उचित, पारदर्शी और भेदभाव रहित व्यवहार करने हेतु प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध रहेगा।’ उनके इस विज्ञन से ओत-प्रोत होकर हमारे बैंक की कॉर्पोरेट अभिवृद्धि है ‘मानवीय, वित्तीय और तकनीकी संसाधनों तथा प्रभावी जोखिम प्रबंधक पद्धतियों के निरन्तर समन्यन द्वारा मजबूत, गतिशील और क्रियाशील बैंक/वित्तीय सुपर मार्केट के रूप में उभरना और अर्थव्यवस्था की नई आवश्यकताओं की पूर्ति में सकारात्मक योगदान देना।’ इन सभी आदर्शों पर चलकर बैंक अपने लाखों ग्राहकों के लिए नित-नई ऊर्जा के साथ सतत ग्राहक सेवा दे रहा है।

प्रत्येक बैंक यद्यपि अपनी निर्धारित नीतियों के अनुरूप कार्यरत है परंतु निजी बैंकिंग व्यवस्था, विदेशी बैंकों के प्रदुर्भाव और अनेक वैश्विक परिवर्तनों के चलते हमारा बैंक भी नई-नई चुनौतियों से जूझ रहा है। लेकिन हमारे गतिशील एवं सक्रिय शीर्ष प्रबंधतंत्र के नेतृत्व में बैंक

- प्रदीप कुमार गोयल

मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय



का पूरा स्टाफ इन चुनौतियों से निपटने के लिए इन्हें एक अवसर के रूप में लेता है। इस समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में ब्याज दरों में सतत विचलन होना, अपने समकक्ष बैंकों द्वारा मार्केट में नए नए उत्पाद लाकर बाजार को स्पंदित करते रहना, कोविड-19 जैसे महाप्रकोप के कारण बाजार एवं कारोबार की गति में जबरदस्त बाधा उत्पन्न होना, नित नई सूचना प्रौद्योगिकी का प्रादुर्भाव होना इत्यादि जैसे अनेक कारण हैं। वर्तमान में पिछले दो माह से अधिक की अवधि में रूस एवं यूक्रेन की बीच महाविनाशक युद्ध भी विश्व कारोबार के लिए एक बड़ी चुनौती परिलक्षित हो रही है, इन तमाम प्रकार की चुनातियों से बैंक के कारोबार में वृद्धि करना एक चुनौती बनी हुई है। वर्तमान में हमारे बैंक का अखिल भारतीय नेटवर्क 4600 से अधिक शाखाएं, 90 क्षेत्रीय कार्यालय एवं 12 आंचलिक कार्यालय का विशाल नेटवर्क है। इसमें ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में लगभग 64 प्रतिशत शाखाएं हैं जबकि शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में 36 प्रतिशत शाखाएं हैं। बैंक का कुल व्यवसाय 5.00 लाख करोड़ से ऊपर है। इससे यह सिद्ध होता है कि बैंक का एक बड़ा भाग भारत के ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में है। इन क्षेत्रों में तुलनात्मक दृष्टि से व्यवसाय में बढ़ोत्तरी की संभावनाएं कम रहती हैं। इसके बावजूद बैंक के व्यवसाय के साथ-साथ, हमारे देश के इन क्षेत्रों में रहने वाले रहवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हमारा बैंक सतत कार्यरत है। जनसंख्या का सर्वेक्षण यह बताता है कि भारत का लगभग 70 प्रतिशत भाग गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में बसता है। राष्ट्रियता गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों और कस्बों में निवास करती है। इस मायने से हमारा बैंक, भारत के गरीबों और निर्धनों की माली हालत के सुधार में लगातार 110 वर्षों से बेहतर कार्य कर रहा है। यद्यपि इन क्षेत्रों की प्रगति, प्रकृति के रहमोकरम पर निर्भर करती है, जो कि हमारे बैंक के लिए भी एक प्रकार की अप्रत्यक्ष चुनौती है।

हम जब पुरातन बैंकिंग इतिहास पर नज़न डालते हैं तो पाते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ से भी इस बात का पता चलता है कि प्राचीन काल में साहूकारी के कुछ नियम होते थे; परंतु ब्याज की दर एवं राशि

14 फरवरी :

269 - ए.डी. सेंट वैलेंटाइन ने राजा के आदेश का विरोध करते हुए कई अधिकारियों और सैनिकों की शादी कराई। राजा इस बात पर भड़क गए और उन्होंने आज ही के दिन सेंट वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ा दिया। उनके निधन के बाद हर साल 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन को याद करने के लिए इसे ‘प्यार के दिन’ के तौर पर मनाया जाने लगा। 1881 - भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की कोलकाता में स्थापना।

15 फरवरी :

1903 - दुनिया का सबसे पसंदीदा सॉफ्ट टॉय टैडीबियर को मॉरिस मिल्बॉम द्वारा बाजार में उतारा गया।



वसूल करने के नियम आज जैसे नियत नहीं थे। मध्य एशिया में हुंडी का प्रयोग 12वीं शती के आसपास होने लगा; जबकि विदेशी व्यापार का क्षेत्र बढ़ने लगा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की आवश्यकता हुई।

मुगल सम्राटों ने धनी महाजनों और साहूकारों को कर वसूली के अधिकार सौंपे और उन्हें स्थान-स्थान पर कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। जनसाधारण अपनी बचत राशि को इन महाजनों के पास जमा करते और जमा राशि पर महाजन ब्याज भी देते थे। आवश्यकता पड़ने पर लोग इन्हीं महाजनों से राशि उधार लेते थे जिसपर उन्हें ब्याज देना पड़ता था। इस प्रकार आधुनिक बैंकों का प्रारंभ होने के पूर्व महाजन ही बैंकिंग का काम करता था, जिसके पास धन राशि जमा की जाती थी और रुपया उधार भी मिलता था।

अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक एवं मौद्रिक आवश्यकताओं के लिए एजेंसी गृह और ज्वाइन्ट स्टाक बैंक स्थापित किए। 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप इंग्लैंड और यूरोप में व्यापार की वृद्धि हुई और वहाँ नए-नए व्यापारिक केंद्र बनते गए। भारत में भी वर्ष 1806 में ‘बैंक ऑफ कलकत्ता’ स्थापित हुआ तथा इसके पश्चात् वर्ष 1840 तथा वर्ष 1843 में क्रमशः ‘बैंक ऑफ बंबई’ और ‘बैंक ऑफ मद्रास’ स्थापित किए गए। ये तीन प्रेसीडेंसी बैंक विदेशी पैसूंजी और संचालन से चलाए गए थे और इनका काम ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में सहायता करना था। इसी काल में वर्ष 1844 में बैंक चार्टर एक्ट के अनुसार इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाया गया। अंशधारियों का बैंक भारत में सीमित देनदारी के आधार पर सबसे पहले वर्ष 1881 में ‘अवध कर्मशियल बैंक’ बनाया गया। यद्यपि इससे पहले भी इलाहाबाद बैंक और एलायंस बैंक ऑफ शिमला बन चुके थे परंतु ये दोनों बैंक विदेशी प्रबंध में थे। इसके पश्चात् व्यावसायिक बैंकों की संख्या बढ़ती गई। वर्ष 1906 से लेकर वर्ष 1913 तक बैंकों में काफी वृद्धि हुई। भारत के प्रसिद्ध बैंक, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा इसी बीच स्थापित हुए। परंतु वर्ष 1913 के बाद बैंकों का संकटकाल आया जिसमें अनेक बैंक बंद करने पड़े। वर्ष 1913-17 के बीच भारत में लगभग 90 बैंकों को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा। प्रथम महायुद्ध समाप्त होने पर बैंकों की स्थिति में पुनः सुधार हुआ। वर्ष 1921 में भारत के तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। यह एक सरकारी बैंक था परंतु जनता के साथ भी लेनदेन करता था। 1 अप्रैल 1935 को भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई।

द्वितीय युद्धकाल में अनेक नए नए बैंक खोले गए। भारत का युनाइटेड कर्मशियल बैंक इसी काल में बनाया गया। युद्ध समाप्त होने के पश्चात् बैंकिंग व्यवसाय में कुछ शिथिलता आने लगी। बैंकिंग कानूनों में परिवर्तन संशोधन किए जाने लगे ताकि बैंकों के प्रबंध संचालन में कुशलता एवं मितव्ययिता आ जाए। भारत का बैंकिंग कंपनी कानून वर्ष 1949 में पास किया गया। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण क्रमशः वर्ष 1949 और वर्ष 1955 में कर लिया गया।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि बैंकों ने सदियों से अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित किया है। सदियों से बैंकिंग उद्योग केवल व्यापार से सीधी संपर्क रखता था। वाणिज्यिक ऋण आज भी बैंकिंग कारोबार का प्रमुख घटक है और यह भी सर्वमान्य तथ्य है कि बैंक जोखिम की दृष्टि से अतिसंवेदनशील होते हैं, इनमें जोखिमों में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम यानी वह जोखिम जब उधारकर्ता ऋण की चुकौती न करने पर उत्पन्न होती है, ब्याज दर जोखिम शामिल हैं।

इस तरह की बैंकिंग जोखिमों से उत्पन्न संकट इतिहास में दर्ज हैं। इनमें वर्ष 1980 से वर्ष 1990 के दशक में उत्पन्न अमेरिका देश के बैंकों में बचत और ऋण संकट शामिल है। वर्ष 1990 के दशक के दौरान ही जापानी देश के बैंकों में बैंक संचालन से उत्पन्न जोखिम शामिल है। साथ ही, केन्द्रीय बैंक नाइजीरिया का अधिग्रहण भी शामिल है, जिसमें लगभग 25 बैंकों का अधिग्रहण करना पड़ा था।

वर्तमान में बैंकों के समक्ष अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा की एक बड़ी चुनौती है क्योंकि बाजार में आज निजी, सार्वजनिक एवं विदेशी बैंकों की भरमार है। ऐसी परिस्थिति में बैंक का व्यवसाय बढ़ाना और बैंक के वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए ग्राहक सेवा एवं ग्राहक की जरूरतों के मुताबिक उत्पाद की पेशकश सबसे बड़े उपाय हैं। इन सबके प्रबंधन के लिए आधुनिक समय में सूचना प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो कार्य की गति को आसान करने में सक्षम है। सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीक का समुचित अद्यतन ज्ञान और त्रिभिरुद्ध निर्णय लेने की कला बैंक के व्यवसाय को बढ़ाने में सहायक होती है।

निष्कर्ष: यह कहा जा सकता है कि हर कालखंड में बैंकिंग उद्योग में किसी न किसी प्रकार की चुनौतियां हमेशा विद्यमान रही हैं। उनसे निपटने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्यान्वयन किया जाता रहा है और अधिकतम सीमा तक उनसे निपटने में बैंकिंग उद्योग सक्षम रहा है। वर्तमान में चुनौतियों का स्वरूप पूर्व से निश्चय ही अलग है; परंतु आज भी प्रत्येक बैंक अपने-अपने स्तर से समय-समय पर निवारक उपाय उठाते

16 फरवरी :

2010 - हिन्दी के प्रसिद्ध कवि कैलाश वाजपेयी को वर्ष 2009 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यसभा सांसद एवं प्रसिद्ध हिन्दी अनुवादक वाई. लक्ष्मीप्रसाद को तेलुगु साहित्य के लिये पुरस्कार दिया गया।

17 फरवरी :

1915 - गांधी जी ने पहली बार शांतिनिकेतन का दौरा किया था।

2008 - अनिल अंबानी ग्रुप ने रिलायंस पावर के सभी नान-प्रमोटर शेयर धारकों को मुफ्त बोनस शेयर देने पर विचार करने की घोषणा की।



रहते हैं तथा अपने बैंक की प्रगति सुनिश्चित करते हैं। हमारा बैंक वर्तमान में अपनी स्थिति बेहतर करने में सतत प्रयासरत है तथा यह निश्चय ही सुखद है कि पिछले वर्ष की हर तिमाही में हमारे बैंक ने शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो बैंक के उज्जवल भविष्य का परिचायक है।

बैंक के व्यवसाय में बढ़ोत्तरी के लिए बहुत अधिक परिवर्तन एवं प्रयास के स्थान पर, समझदारी एवं पूरी निष्ठा की आवश्यकता है। स्टाफ सदस्यों के मन में बैंक के प्रति जुनून पैदा करने की आवश्यकता है। इसलिए मेहनत के स्थान पर बुद्धिमानी पूर्वक उठाए गए प्रत्येक कदम से वर्तमान चुनौती भरे दौर में बैंक के व्यवसाय में बढ़ोत्तरी संभव है।

प्रसंगवश, यहां इस बात पर गौर करने की जरूरत भी है कि क्या बात है कि बड़े-बड़े और अच्छे ग्राहक आज निजी क्षेत्र के बैंकों की ओर बढ़ रहे हैं। क्या बात है कि बैंक के व्यवसाय में उस अनुपात से बढ़ोत्तरी नहीं

हो रही है, जिस अनुपात में निजी क्षेत्र के बैंकों में हो रही है। जब तक हम इस मूल बात का पता नहीं लगाएंगे; तब तक हम केवल आदेशों और निर्देशों से बैंक के व्यवसाय में अपेक्षित बढ़ोत्तरी नहीं कर पाएंगे। आज के दौर में हमारे बैंकों में युवा पीढ़ी प्रौद्योगिकीमुख है और बैंक के लिए निश्चय ही यह अच्छी बात है क्योंकि भविष्य में बैंकिंग पूरी तरह से कागजरहित बैंकिंग होगी और पूरा कारोबार प्रौद्योगिकी पर ही निर्भर होगा। बैंकों का वर्तमान स्वरूप वैश्विक हो जाने पर इसके कई सकारात्मक पहलू भी हैं। अब व्यवसाय का क्षेत्र घरेलू कारोबार न रहकर, वैश्विक हो गया है तथा इससे बैंकिंग कारोबार के लिए नए आयाम खुल गए हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि विश्व की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव भले ही हमारे बैंकों पर पड़ता है पर इसके सकारात्मक लाभ भी हैं, जिनका दोहन करने से हम अपने बैंक को प्रगति पथ पर आरूढ़ कर सकते हैं।

काव्यकुंज



ગુજરાત

धરમ करમ બહુત કિયે, અબ દૂજા કુછ આજમાતે હૈન,
ચલ એસા કરતે હૈન્ અબકી માં સે મિલ કર આતે હૈન્।

બદિયા કારેં ઊંચે બંગલે ખુશી નહીં અબ દેતે હૈન્,
ચલ ફિર સે દરિયા ચલતે હૈન્ સોંપેં ચુનકર લાતે હૈન્।

બડે-બડે ઉપદેશક સચ્ચી રાહ દિખાયેંગે ?
સંજીવા મહફિલ મેં આકાર વો ચુટકુલે સુનાતે હૈન્।

આખિર અપની ખુશિયોં કા હમ કબ તક રાસ્તા દેખેંગે,
ચલ આજા થોડા સા અપને ગમ કા જશન મનાતે હૈન્।

કિસકે શિકવે દૂર કરેં ઔર કિસસે કિસસે બદલે લેં,
છોડ યહીં સબ દુનિયાદારી ચલ ઘર મેં સો જાતે હૈન્।

18 ફરવરી :

1911 - ડાક પહુંચાને કે લિએ પહ્લી બાર વિમાન કા ઇસ્ટેમાલ કિયા ગયા. એયર મેલ કી પહ્લી આધિકારિક ઉડાન ઇલાહાબાદ મેં હુઈ ઔર ઇસમે કુલ 6500 પત્ર નૈની લે જાએ ગએ. 1998 - કૃષિ મંત્રી રહ ચૂકે શ્રી સી.સુબ્રહ્મણ્યમ કો સમાજ સેવા કે ક્ષેત્ર મેં ઉલ્લેખનીય યોગદાન કે લિએ 'ભારત રત્ન' સે સમ્માનિત કિયા ગયા.

19 ફરવરી :

1891 - અમૃત બાજાર પત્રિકા કા પ્રકાશન દૈનિક કે રૂપ મેં હુआ.
1986 - દેશ મેં પહ્લી બાર કમ્પ્યુટરી કૃત રેલવે આરક્ષણ ટિકટ કી શુરુઆત હુઈ।



- સર્વેશ ઉમરાવ

વરિષ્ઠ પ્રબન્ધક - સુરક્ષા


આંચલિક કાર્યાલય ભોપાલ




केन्द्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस



गणतंत्र दिवस



क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर



मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय



सर एसपीबीटी महाविद्यालय, मुंबई



क्षेत्रीय कार्यालय, बडौदा



आंचलिक कार्यालय, हैदराबाद.



क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरपुर



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस



न कोई किसी का मित्र है और न शत्रु, संसार में व्यवहार से ही लोग मित्र ओर शत्रु होते रहते हैं - नारायण पंडित

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस



आंचलिक कार्यालय, दिल्ली



आंचलिक कार्यालय, पुणे



आंचलिक कार्यालय, कोलकाता



आंचलिक कार्यालय, अहमदाबाद



आंचलिक कार्यालय, हैदराबाद



आंचलिक कार्यालय, पटना



आंचलिक कार्यालय, गुवाहाटी



मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय



क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्गापुर



क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस



क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी



क्षेत्रीय कार्यालय, रांची



क्षेत्रीय कार्यालय, धनबाद



क्षेत्रीय कार्यालय, दरभंगा



क्षेत्रीय कार्यालय, इटारा



क्षेत्रीय कार्यालय, गया



क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर



क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल



क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई



क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस



क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ



क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़



क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्ची



क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ



क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर



क्षेत्रीय कार्यालय, अकोला



मुंबई उपनगरीय क्षेत्रीय कार्यालय



क्षेत्रीय कार्यालय बड़ौदा



क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरपुर



क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर




**दिनांक 31.03.2022 को राजभाषा विभाग केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा
राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया**



दिनांक 31.03.2022 को राजभाषा विभाग केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया



**दिनांक 31.03.2022 को राजभाषा विभाग केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा
राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया**



विभिन्न अंचल तथा केंद्र में आयोजित राजभाषा सम्मेलन



दिनांक 23.02.2022 को मुंबई अंचल द्वारा आयोजित ऑनलाइन अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। सम्मेलन में अंचल प्रमुख श्री राजेश कुमार, उप अंचल प्रमुख सुश्री काकोली दास; द.मु.क्षे.का के क्षेत्रीय प्रमुख श्री एन. उत्तीकृष्णन.



दिनांक 15.03.2022 को आंचलिक कार्यालय पटना द्वारा आयोजित ऑनलाइन भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध शिक्षाविद डॉ. ज्ञान देव मणि त्रिपाठी; अंचल प्रमुख श्री बी.एस. हरिलाल; उप अंचल प्रमुख श्री डी.सी. मिश्रा एवं क्षेत्रीय प्रमुख श्री राजीव रंजन सिंहा.



दिनांक 07.03.2022 को चेन्नै अंचल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में उप अंचल प्रमुख श्री वी. लक्ष्मण राव; सहायक महाप्रबंधक श्री सतीश एन. तलरेजा; सहायक महाप्रबंधक श्री विद्याधर पेडनेकर; श्री हितेंद्र धुमाल, मुख्य प्रबंधक(राजभाषा).



दिनांक 25.02.2022 को अहमदाबाद अंचल के निर्देशन में क्षेत्रीय कार्यालय बड़ौदा द्वारा आयोजित ऑनलाइन अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अंचल प्रमुख श्री मोहित कोडनानी.



दिनांक 05.2.2022 को पुणे अंचल के निर्देशन में नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अंचल प्रमुख श्री बी.बी. मुटरेजा तथा उप महाप्रबंधक श्री संदिप्त कुमार पटेल; नागपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख श्री एम. पिचैया; के.का. के उप महाप्रबंधक श्री कै.सी. प्रकाश जी.

20 फरवरी :

1968 - मुंबई के के.ई.एम. अस्पताल के डाक्टर पी.के. सेन ने हृदय प्रत्यारोपण का पहला आपरेशन किया। 2008 - भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में चार सरकारी बैंकों ने प्राथमिकी ऋण दरों में 0.25.-0.50% तक कटौती की।

21 फरवरी :

2004 - लॉन टेनिस में सानिया मिर्जा डब्ल्यू.टी.ए. खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। 2000 - भारतीय मूल के 52 वर्षीय उज्जल दोसांझ कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रान्त के नये मुख्यमंत्री (प्रीमियर) बने।



विविध



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, खम्मम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए वारंगल क्षेत्राधीन शाखा खम्मम को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। नराकास अध्यक्ष तथा गृहमंत्रालय, राजभाषा विभाग के उपनिदेशक श्री नरेन्द्र मेहरा से पुरस्कार ग्रहण करते हुए शाखा प्रबंधक।



जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय को नराकास जयपुर द्वारा वि.व. 2021-22 में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार।



दिनांक 26.04.2022 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) मेरठ के तत्वावधान में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा हिन्दी गीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के क्षेत्र प्रमुख श्री आर.एल. नायक मंच पर हैं। साथ में है नराकास सचिव श्रीमती स्वाति, श्री राजीव लोचन, मु.प्र.राजभाषा, श्री आर.के.जैन, मु.प्र., श्रीमती अर्चना गुप्ता, प्रबंधक राजभाषा।



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) हैदराबाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। नराकास एवं सीजीएम श्री अमित डिग्रेन तथा गृहमंत्रालय, राजभाषा विभाग के उपनिदेशक श्री नरेन्द्र मेहरा से शील्ड से ग्रहण करते हुए अंचल प्रमुख, हैदराबाद श्री के एस एन वी सुब्बाराव। राजभाषा अधिकारी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) भुवनेश्वर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार प्राप्त करते हुए कार्यालय प्रमुख श्री अनादि बिस्वास जी।



क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर में राजभाषा कक्ष द्वारा आयोजित राजभाषा संगोष्ठी विषय: 'आज्ञादी का अमृत महोत्सव' दिनांक: 05.03.2022 को व्याख्यान देते हुए सेन्ट आरसेटी, निदेशक, ग्वालियर श्री अशोक कुमार शर्मा साथ में क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अमरीक सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा श्री दिनेश कुमार तिवारी आदि दिख रहे हैं।



विविध



दिनांक 09.03.2022 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय पुणे द्वारा वैन गतिविधि के माध्यम से महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं यथा सेंट ग्रहलक्ष्मी एवं सेंट वाहिनी का व्यापक प्रचार किया गया। कार्यपालक निदेशक श्री राजीव पुरी के करकमलों से कुल पांच (5) साइक्ल वैनों को झङ्डी दिखा कर पुणे नगर के विभिन्न आवासीय इलाकों यथा हडपसर, कोकरूड, खराडी, कोडवा एवं पुणे सिटी में रवाना किया गया।



नराकास बैंक बरेली के तत्वावधान में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित आशुभाषण प्रतियोगिता।



क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर, पोस्टर विमोचन।



राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिये वर्ष 2020-2021 के लिये हुबली क्षेत्राधीन शाखा बेलगावी को नराकास(बैंक), बेलगावी की ओर से प्रथम पुरस्कार प्राप्त।




बैंक ऑफ बड़ौदा की अंतर बैंक आलेख प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता हमारे छिंदवाड़ा क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक राजभाषा श्री अर्पण वाजपेई जी मैसूर में आयोजित सेमिनार में अपना आलेख प्रस्तुत करते हुए।



क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद की ओर से स्पोर्ट्स मीट का आयोजन


पुस्तक प्रदर्शनी



क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून - राजभाषा पुस्तक प्रदर्शनी



क्षेत्रीय कार्यालय आगरा परिसर में हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी एवं वाट्सएप सन्देश प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री एल सी. मीणा क्षेत्रीय प्रबंधक, महोदय आगरा द्वारा किया गया, इस अवसर पर श्री राजीव सिंह, मुख्य प्रबंधक, श्री अनिल पाण्डेय मुख्य प्रबंधक, श्री दीपक सक्सेना मुख्य प्रबंधक (सतर्कता) एवं सभी स्टाफ सदस्य उपस्थिति रहे।



हिन्दी पुस्तक प्रदर्शनी, क्षेत्रीय कार्यालय परिसर झाँसी के उद्घाटन अवसर पर श्री संजय उपाध्याय, क्षेत्रीय प्रबंधक, बीरपाल सिंह प्रबंधक-राजभाषा एवं सभी स्टाफ सदस्य।



राजभाषा कक्ष, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर द्वारा आदरणीय क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अमरीक सिंह की अध्यक्षता में राजभाषा प्रदर्शनी।




क्षेत्रीय कार्यालय रांची द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों से संबंधित हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।



नागपुर में केंद्रीय कार्यालय के उप महाप्रबंधक श्री के सी प्रकाश जी एक राजभाषा पोस्टर का विमोचन करते हुए।



पुस्तक प्रदर्शनी



क्षेत्रीय कार्यालय तिरुवनंतपुरम में हिन्दी पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।



क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालय हैदराबाद में पुस्तक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुये अंचल प्रमुख श्री के.एस.एन.वी. सुब्बाराव एवं उप आंचलिक प्रबंधक श्री सतीश तलरेजा।



क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर में सहायक महाप्रबंधक औडिटर, आंचलिक लेखा परीक्षक कार्यालय, कोलकाता श्री राजेश गेरा जी की उपस्थिति में राजभाषा एवं पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन।



क्षेत्रीय कार्यालय अकोला में दिनांक 11 मार्च 2022 राजभाषा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

“समस्त आर्यावर्त या ठेठ हिंदुस्तान की राष्ट्र तथा शिष्ट भाषा हिन्दी या हिंदुस्तानी है।”
- सर जार्ज ग्रियर्सन।

22 फरवरी :

1999 - भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री श्री जगदीश भगवती जी को कोलकाता विश्वविद्यालय में भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था केंद्र के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया। 2008 - समकालीन भारतीय कला के संपादक एवं युवा आलोचक डॉ. ज्योतिष जोशी को देशीशंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिए जाने की घोषणा।

23 फरवरी :

1952 - कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम पारित किया गया।

2009 - भारतीय तीरंदाजों ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एशियाई ग्रां प्री तीरंदाजी चैम्पियनशिप टीम स्पर्धा में तीन रजत पदक जीते।





स्वतंत्रता संग्राम में ओडिशा राज्य की महिला सेनानियों की भूमिका

- पूनम राठौर
राजभाषा अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय भुबनेश्वर



मालती चौधरी

ओडिशा की एक प्रेरक स्वतंत्रता सेनानी मालती चौधरी मूल रूप से ढाका के बिक्रमपुर के कमरखंड की रहने वाली हैं। लेकिन वह ओडिशा के एक छोटे से गांव में बस गई थी। उन्होंने 1927 में नवकृष्णा चौधरी से शादी की।

1934 में, मालती चौधरी पदयात्रा में महात्मा गांधी के साथ शामिल हुई और 1946 में, उन्होंने अंगुल में स्वतंत्रता सेनानियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और समाज के वंचित वर्गों के बच्चों के बीच शिक्षा का प्रसार करने के लिए बाजीरात छत्रवा का गठन किया गया था और 1948 में ओडिशा के अंगुल में उत्कल नवजीवन मंडल की स्थापना की।

1946 में मालती चौधरी को भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। भूदान आंदोलन के दौरान वह आचार्य विनोबा भावे के साथ थीं।



सरला देवी

सरला देवी, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, 1921 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन में शामिल हुई।

वे महात्मा गांधी से प्रेरित थीं और उन्होंने सामाजिक बुराइयों को सुधारने और महिलाओं की स्थिति को उन्नत करने के लिए कड़ी मेहनत की।

वह स्वतंत्र भारत की ओडिशा राज्य की पहली महिला थी जो ओडिशा विधान सभा की सदस्य बनी। सरला देवी को विधान सभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में भी चुना गया था, उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था।



लक्ष्मी पंडा

24 फरवरी :

2008 - मुंबई की शगुन साराभाई ने जोहांसवर्ग में मिस इण्डिया वर्ल्ड वाइट का खिताब जीता।

2009 - केन्द्र सरकार ने सेवा कर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की।

25 फरवरी :

2008 - एच.डी.एफ.सी. व सेंचुरियन बैंक ऑफ़ पंजाब के विलय के लिए शेयर अनुपात को मंज़ूरी दी गई।

2009 - पूर्व सैन्य अधिकारी धीरज मल्होत्रा आईपीएल टूर्नामेंट के निदेशक नियुक्त हुए।



भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रीय सेना में सबसे कम उम्र की सदस्य लक्ष्मी पंडा ने देश की आजादी के लिए लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

लक्ष्मी नेताजी बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थी अथवा यूं कहे की ओडिशा महिला जो आईएनए में शामिल हुई थी और उस समय वर्षा में उनके शिविर में शामिल हुई थी। बोस ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें इंदिरा का नाम दिया, ताकि उन्हें उस समय की प्रसिद्ध (कप्तान) लक्ष्मी सहगल के नाम के साथ भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो सके।

उन्होंने भारत की संप्रभुता के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। 1943 में ब्रिटिश हवाई हमले में लक्ष्मी के माता-पिता मारे गए और वह और उनका छोटा भाई अनाथ हो गए। वह अपने माता-पिता की मौत का बदला लेने के लिए दृढ़ थी और आईएनए में शामिल हो गई।

लक्ष्मी ने जानकी थेवर, गौरी, शाह नवाज खान, लक्ष्मी सहगल और फिल्मों जैसे प्रसिद्ध योद्धाओं के साथ आईएनए में सहयोग किया है।



रमा देवी

रमा देवी ओडिशा की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थीं। उनका जन्म 1899 में कटक के पास सत्यभामपुर के छोटे से गाँव में हुआ था। उन्हें उचित शिक्षा नहीं मिली और उन्होंने 15 साल की उम्र में गोपबंधु चौधरी से विवाह कर लिया। वह और उनके पति 1921 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। वह महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थी और महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गांव-गांव जाती थी। जय प्रकाश नारायण, विनोबा भावे और उनके चाचा मधुसूदन दास ने उन्हें प्रभावित किया।

1921 में, वह गांधीजी से मिली और अपने पति के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हुई। उसी वर्ष वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गईं और खादी पहनना शुरू कर दिया। उन्हें और उनके अन्य सहयोगियों को नवंबर 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजों द्वारा विभिन्न

जेलों में डाल दिया गया। उन्हें अन्य महिला स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं जैसे सरला देवी, मालती चौधरी और अन्य के साथ कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया।

उन्होंने खुद को हरिजन कल्याण में सक्रिय रूप से शामिल किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, उनके पति गोपबंधु चौधरी सहित रमा देवी के पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था।

कस्तूरबा गांधी की मृत्यु के बाद, गांधीजी ने उन्हें उड़ाइसा (ओडिशा) चैप्टर के कस्तूरबा ट्रस्ट के प्रतिनिधि का काम सौंपा। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित कर दिया तथा 22 जुलाई 1985 को वह पंचतत्व में विलीन हो गई।



अन्नपूर्णा महाराणा

अन्नपूर्णा महाराणा को लोकप्रिय रूप से चुनी आपा के नाम से जाना जाता है जो ओडिशा में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक जाना माना नाम है। वह बानर सेना, बच्चों के एक समूह की सदस्य थीं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। अन्नपूर्णा पंडित, गोपबंधु दास से लोगों की सेवा करने और समाज के उत्थान की दिशा में काम करने के लिए अत्यधिक प्रेरित थीं। अन्नपूर्णा को पहली बार ब्रिटिश सरकार ने 1930 में नमक आंदोलन से जुड़ने के लिए गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में समाज से गरीबी, अंधविश्वास और अशिक्षा को मिटाने के लिए अथक प्रयास किया और गांधीवादी सिद्धांतों का पालन किया।

कुंतला कुमारी सबत

पेशे से चिकित्सक और दिल की कवियत्री, कुंतला कुमारी सबत की कविता ने देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित किया, जिससे महिलाओं को महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अहवान और गदजाता कृषक नामक उनके विचारोत्तेजक कविता संग्रह ने कई लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अग्रसर होने के लिए बहुत प्रेरित किया।

26 फरवरी :

1972 - वर्धा के निकट अरवी में स्थित विक्रम अर्थ सेटेलाइट स्टेशन को भारत के चौथे राष्ट्रपति वी वी गिरि ने देश को समर्पित किया।

1975 - गुजरात के अहमदाबाद में देश का पहला पतंग संग्रहालय 'शंकर केद्र' स्थापित किया गया।

27 फरवरी :

2010 - भारत ने आठवीं राष्ट्रमंडल निशानेबाजी प्रतियोगिता में 35 स्वर्ण, 25 रजत और 14 काँस्य सहित कुल 74 पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया।

2012 - उर्जा क्षेत्र की वैश्विक कंपनी बीपी ने यह अनुमान लगाया कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, लेकिन उसकी ऊर्जा की मांग घटकर 4.5 प्रतिशत रह जाएगी।





बैंकों में ऋण निगरानी - एक अंतर्दृष्टि

- राजीव तिवारी
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)
आंचलिक कार्यालय, पुणे



बैंक का मुख्य कार्य ऋण देने के उद्देश्य से ग्राहक से जमा स्वीकार करना है, किसी भी मामले में बैंकर और ग्राहक का संबंध देनदार और लेनदार का होता है, यदि कोई बैंक कर्जदार है तो जमाकर्ता बैंक पर लेनदार के रूप में विश्वास करता है क्योंकि इसे भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहचाना और प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार लेनदार (जमाकर्ता) को उनकी संपत्ति के सभी जोखिमों से मुक्त होने और मांग पर समय पर पुनर्भुगतान का आश्वासन दिया जाता है, यदि बैंक लेनदार है तो यह हमारे लिए अनिवार्य है कि हम उधारकर्ता/ऋणी को सही ढंग से पहचानें और प्रमाणित करें। हमें उधारकर्ता की सत्यनिष्ठा और चुकौती क्षमता का पता लगाना होगा, संवितरण के बाद की स्थितियों को उधार देने से पहले आंक लिया जाना चाहिए, हमारी संपत्ति पर जोखिम विद्यमान है और ऋण की चुकौती सुनिश्चित भी नहीं है, जोखिम को कम करने और पुनर्भुगतान का आश्वासन देने के लिए ऋण निगरानी (Credit Monitoring) की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

1969 से बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् आम लोगों, किसानों, व्यापारियों, छोटे/मध्यम उद्यमियों और छात्रों को ऋण देने से भारतीय समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बदल गई है, बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण का सीधा संबंध किसी समाज और राज्य के सर्वांगीण विकास से होता है, ऋण देने के कार्यों में लगे अधिकारियों के लिए इसे किसी उच्च अधिकारी/प्रबंधन द्वारा कभी भी संहिताबद्ध नहीं किया जा सकता है, हमें भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए उधार पर दिशानिर्देशों और अधिकारियों के पिछले अनुभव के उपयोग का पालन करना चाहिए, हमारी बैंकिंग प्रणाली में ऋण निगरानी (Credit Monitoring) के लिए उपलब्ध सभी दिशानिर्देशों के अतिरिक्त, निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं-

➤ स्वीकृति प्राधिकारी और सभी अधिकारी जो स्वीकृति/संवितरण प्रक्रिया में सहायता के रूप में भाग लेते हैं, उन्हें निगरानी करनी चाहिए कि क्या कोई ऋण निर्णय को प्रभावित कर रहा है? सहायक अधिकारियों में बैंक के अपने अनुशंसा/निरीक्षण अधिकारी,

मूल्यांकनकर्ता, वकील, सर्वेक्षक और सीए फर्म सम्मिलित होते हैं जो क्रेडिट प्रस्तावों पर कार्रवाई करते हैं, प्रस्ताव के प्रसंस्करण के दौरान एक या अन्य निश्चित रूप से प्रस्ताव की कमियों को देख पाते हैं और उन्हें दूसरों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, यहां, सहायक अधिकारी आमतौर पर मंजूरी देने वाले अधिकारी के साथ जाते हैं, जिनकी रिपोर्टिंग और प्रसंस्करण कार्य में उनकी रक्षात्मक स्थिति होती है।

- अच्छी साख योग्यता वाला आवेदक हमेशा मंजूरी की शर्तों, ऋण की राशि, लगाए जाने वाले शुल्क और लागू होने वाली व्याज दर पर अपने ऋण प्रस्ताव की निगरानी करता है, वह बैंक की उपरोक्त सभी लागतों की बाजार में अन्य के साथ तुलना करता है, हमें इन्हें प्रस्तावों के प्लस पॉइंट के रूप में देखना होगा, इसके विपरीत, किसी भी उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा दी जाने वाली कोई भी कीमत पर ऋण की राशि को आवेदक द्वारा स्वीकार किया जाता है, इस प्रकार के प्रस्तावों को नकारात्मक बिंदुओं के रूप में देखा जाना चाहिए।
- निरीक्षण के दौरान केवाईसी दस्तावेजों को सत्यापित किया जाना चाहिए और इसे निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा चिह्नित किया जाना चाहिए, इसे प्रत्येक भागीदार/आवेदक/सह-आवेदक/गारंटर/निदेशक के लिए बनाया जाना चाहिए, अकेला केवाईसी अनुपालन कुल क्रेडिट निगरानी के 50% भार की गणना करता है, आम तौर पर हम उधारकर्ता/गारंटर द्वारा जमा किए गए मूल कार्ड से पते के प्रमाण के लिए आई-कार्ड और दस्तावेज की ज़ेरॉक्स कॉपी सत्यापित करते हैं, मूल से ज़ेरॉक्स कॉपी को सत्यापित करने के बाद सत्यापित की गई टिप्पणी डालते हैं, यह दस्तावेजों की सटीक प्रतिलिपि का सरल सत्यापन और पुष्टि होता है, अधिक स्पष्ट रूप से, हम उधार लेने वाले ग्राहक के बारे में जानने के लिए उसके नाम, पिता का नाम, पेशा, पता और अन्य चीजों के संबंध में उसके दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया जाता है, दुर्लभतम मामले में आपके सामने पेश होने वाला व्यक्ति किसी

28 फरवरी :

1928 - इसी दिन भारतीय वैज्ञानिक श्री सी वी रमन ने “रमन प्रभाव” का आविष्कार किया था और इसीलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यही वजह है कि हर साल यह दिन ‘नेशनल साइंस दिवस’ के तौर पर मनाया जाता है।

1 मार्च :

2010 - भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सऊदी अरब यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि समेत व्यापार, विज्ञान-तकनीक, संस्कृति आदि क्षेत्रों में दस समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

2008 - निजी क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने न्यूयार्क में अपनी शाखा खोली।



अन्य व्यक्ति/यहां तक कि एक मृत व्यक्ति के वास्तविक दस्तावेजों के साथ हो सकता है। मान लीजिए, यदि केवाईसी संकलित किया गया है, लेकिन बैंक को दी गई प्रतिभूति जाली है, व्यवसाय बंद हो गया है, संपत्ति बेची गई है / नहीं बनाई गई है, सभी मामलों में उधारकर्ता अपने अन्य स्रोतों/संपत्ति से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यदि केवाईसी का अनुपालन किया जाता है, तो उधारकर्ता/गारंटर सभी समस्याओं को हल करने के लिए बाध्य होंगे। उच्च राजनीतिक आधार वाले उधारकर्ता के साथ अनुपालन केवाईसी के साथ भी व्यवहार करना मुश्किल है। इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति के प्रस्तावों से निपटने में हमेशा सावधान रहना चाहिए।

- फील्ड निरीक्षण के दौरान आवेदक/सह-आवेदक/गारंटर द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किए गए अभिलेखों/विवरणों से किसी भी कमी/विचलन को नकारात्मक बिंदु माना जाएगा। निरीक्षण के समय छोटे मूल्य का मामला भी बड़ी बातों को उजागर कर सकता है और हमारी और बैंक की रक्षा कर सकता है।
- मंजूरी देने वाले और सिफारिश करने वाले प्राधिकारी को अन्य कर्मचारियों के साथ प्रस्ताव के बारे में खुले तौर पर चर्चा करनी चाहिए। किंतु मूल्यवान ग्राहकों के साथ गोपनीय रूप से चर्चा करनी चाहिए, विशेष रूप से जो समान व्यवसाय में काम कर रहे हैं या जो आपके आवेदक को जानते हैं।
- फील्ड निरीक्षण हमेशा आवेदक, संपत्ति के मालिक की अनुपस्थित में किया जाना चाहिए यदि पहली बार संभव न हो तो इसे अगली बार के लिए दोहराएं।
- प्रस्तावों के संबंध में किसी वरिष्ठ/कार्यकारी द्वारा दिए गए सकारात्मक संदर्भ पर विचार न करें। प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर ही कार्य करें, क्योंकि वरिष्ठों/कार्यकारियों ने केवल आवेदक के अनुरोध पर या आपके ऋण वृद्धि के लिए संदर्भित किया होगा। उस प्रस्ताव में हुई प्रगति का मूल्यांकन वरिष्ठों/कार्यकारियों को करें।
- मंजूरी देने से पहले, सिबिल, वित्तीय रिपोर्ट और सुरक्षा से संबंधित अन्य सभी रिपोर्टें, दस्तावेजों, रिटर्न और कागजात को व्यक्तिगत रूप से देखें।
- प्रस्ताव को संसाधित करते समय केवल वास्तविक आंकड़ों पर विचार किया जाए।
- सावधी ऋण के मामले में विधिवत भरे हुए प्रभावी और वैध दस्तावेज निष्पादन की तारीख, निष्पादन की जगह, ऋण की

राशि, ब्याज दर, निष्पादकों के नाम और चुकौती अनुसूची के साथ निष्पादित किए जाए।

- प्रतिभूति - प्राथमिक और या संपार्श्चक सभी रिपोर्टें और दस्तावेजों के साथ ठीक से प्रभारित किया जाना चाहिए। हमारे ऋण को सुरक्षित करने के लिए लागू करने योग्य दस्तावेज और पर्याप्त विपणन योग्य मूल्य की सुरक्षा पर शुल्क उचित मार्जिन के साथ होना चाहिए।
- दस्तावेजों के निष्पादन के लिए केवल सत्यापित केवाईसी और ज्ञात मूल्य वाले गारंटरों पर विचार किया जाए।
- सभी वित्तीय अनुशासन का पालन किया जाना चाहिए और स्वीकृति की शर्तों का बिंदु-दर-बिंदु अनुपालन किया जाना चाहिए। इसे उच्च प्राधिकारी को कंट्रोल रिटर्न वापसी में सूचित किया जाना चाहिए।
- स्वीकृति/पूर्व निरीक्षण अधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा ऋणोपरांत निरीक्षण किया जाए। इसे ऋण के आकार के आधार पर नियमित रूप से 3 या 6 महीने के अंतराल पर किया जाना चाहिए।
- शाखा के कर्मचारियों को उधारकर्ता के साथ नियमित रूप से संपर्क करना चाहिए और उनके व्यवसाय और सुरक्षित संपत्ति पर नजर रखनी चाहिए।
- ऋण खाते को एसएमए की ओर बढ़ते देखने पर शाखा को सतर्क रहना चाहिए। सुरक्षा का समायोजन और वसूली की प्रक्रिया समय पर शुरू की जाए।
- ऋण की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने, प्रतिभूतिकरण के तहत नोटिस, गारंटरों के साथ अनुवर्ती कार्यवाई, उधारकर्ता पर सामाजिक दबाव जैसे सभी दबावों को ऋण की वसूली होने तक अपनाया जाए।
- ऋण परियोजनाओं की निगरानी किसी बच्चे या पेड़ की देखभाल करने के समान है। इसके विकासशील समय में ही सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। एक बार जब यह अच्छी तरह से विकसित हो जाता है तो इसके लाभ सुखद होते हैं। बृहत उधारकर्ता की बजाय कई छोटे और खुदरा उधारकर्ताओं के साथ जाना हमेशा बेहतर होता है। हमें अपने जोखिम प्रबंधन, सतर्कता, लेखा परीक्षा और निरीक्षण आदि की अपनी सभी प्रणालियों द्वारा एनपीए से होने वाले नुकसान की जांच में विवेकपूर्ण और सतर्क रहना चाहिए।
- अंत में, उधारकर्ता का चयन, उसके केवाईसी का अनुपालन, सिबिल के साथ विवेकपूर्ण प्रसंस्करण, लागू करने योग्य दस्तावेज, आसानी से विपणन योग्य प्रतिभूतियां, उचित अनुवर्ती कार्यवाई और अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट इत्यादि ऋण निगरानी की कुंजी हैं।

2 मार्च :

1982 - बिहार की राजधानी पटना में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन हुआ।

2009 - रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी अनुषंगी रिलायंस पेट्रोलियम के निवेशकों के निदेशक बोर्ड ने दोनों कम्पनियों के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

3 मार्च :

2008 - कन्या भूण हत्या रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने धन लक्ष्मी नामक नई योजना शुरू की।

2009 - स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने स्मार्ट यूनिट योजना को लांच किया।





एक भरोसा

- सुजीत कुमार
मुख्य प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना



मेरी बेटी की शादी थी और मैं कुछ दिनों की छुट्टी ले कर शादी के तमाम इंतजाम को देख रहा था। उस दिन सफर से लौट कर मैं घर आया तो पत्नी ने आ कर एक लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। लिफाफा अनजाना था, लेकिन प्रेषक का नाम देख कर मुझे एक आश्वर्यमिश्रित जिज्ञासा हुई। ‘जगत’ एक ऐसा नाम - जिसे मिले मुझे वर्षों बीत गए थे।

मैंने लिफाफा खोला तो उस में 1 लाख डालर का चेक और एक चिट्ठी थी। इतनी बड़ी राशि वह भी मेरे नाम पर। मैंने जल्दी से चिट्ठी खोली और एक सांस में ही सारा पत्र पढ़ डाला। पत्र किसी परी कथा की तरह मुझे अचंभित कर गया...लिखा था :

“आदरणीय सर, मैं एक छोटी सी भेंट आप को दे रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि आप के एहसानों का कर्ज मैं कभी उतार पाऊंगा, ये उपहार मेरी अनदेखी बहन के लिए है। घर पर सभी को मेरा प्रणाम, आपका जगत...”

मेरी आंखों में वर्षों पुराने दिन सहसा किसी चलचित्र की तरह तैर गये। एक दिन मैं कोलकाता में टहलते हुए एक किताबों की दुकान पर अपनी मनपसंद पत्रिकाएं उलट-पलट रहा था कि मेरी नज़र बाहर पुस्तकों के एक छोटे से देर के पास खड़े एक लड़के पर पड़ी। वह पुस्तक की दुकान में घुसते हर संभ्रांत व्यक्ति से कुछ अनुनय-विनय करता और कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर वापस अपनी जगह पर जा कर खड़ा हो जाता। मैं काफी देर तक मूकदर्शक की तरह यह नज़ारा देखता रहा। पहली नज़र में यह फुटपाथ पर कान लगाने वालों द्वारा की जाने वाली सामान्य सी व्यवस्था लगी, लेकिन उस लड़के के चेहरे की निराशा सामान्य नहीं थी। वह हर बार नई आशा के साथ अपनी कोशिश करता और फिर वही निराशा। मैं काफी देर तक उसे देखने के बाद अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाया और उस लड़के के पास जा कर खड़ा हो गया। वह लड़का कुछ सामान्य सी विज्ञान की पुस्तकें बेच रहा था। मुझे देख कर उसमें फिर उम्मीद का संचार हुआ और बड़ी ऊर्जा के साथ उसने मुझे पुस्तकें दिखानी शुरू की। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा। साफ-सुधरा, चेहरे पर आत्मविश्वास लेकिन पहनावा बहुत ही साधारण। ठंड का मौसम था

4 मार्च :

- 2008 - हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान् डॉ. मदन लाल मधु को प्रतिष्ठित सम्मान मीडिया यूनियन ने स्वर्णाक्षर पुरस्कार से सम्मानित किया।
2009 - रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने प्रमुख ब्याज दरों में आधा प्रतिशत कटौती की घोषणा की।

5 मार्च:

- 1999 - अभिनेता सुनील दत्त ने कोलंबो से अपने 17 सदस्यीय दल के साथ दक्षिण एशिया की 13 हज़ार किलोमीटर लम्बी सद्वावना यात्रा का शुभारम्भ किया।
2008 - भारत ने समुद्र से ज़मीन पर हमला करने वाले ‘ब्रह्मोस’ मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

और वह केवल एक हलका सा स्वेटर पहने हुए था। पुस्तकें मेरे किसी काम की नहीं थीं फिर भी मैंने जैसे किसी सम्मोहन से बंध कर उससे पूछा, ‘बच्चे, ये सारी पुस्तकें कितने की हैं?’ ‘आप कितना दे सकते हैं, सर?’ ‘अरे, कुछ तुमने सोचा तो होगा।’ ‘आप जो दे देंगे,’ लड़का थोड़ा निराश हो कर बोला। ‘तुम्हें कितना चाहिए?’ उस लड़के ने अब यह समझना शुरू कर दिया कि मैं अपना समय उस के साथ गुज़ार रहा हूं। ‘5 हजार रुपए,’ वह लड़का कुछ कड़वाहट में बोला। ‘इन पुस्तकों का कोई 500 भी दे दे तो बहुत है,’ मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था फिर भी अनायास मुंह से निकल गया। अब उस लड़के का चेहरा देखने लायक था। जैसे देर सारी निराशा किसी ने उस के चेहरे पर उड़े ली हो। मुझे अब अपने कहे पर पछतावा हुआ। मैंने अपना एक हाथ उस के कंधे पर रखा और उससे सांत्वना भरे शब्दों में फिर पूछा- ‘देखो बेटे, मुझे तुम पुस्तक बेचने वाले तो नहीं लगते, क्या बात है? साफ-साफ बताओ कि क्या ज़रूरत है?’

वह लड़का तब जैसे फूट पड़ा। शायद काफी समय निराशा का उतार चढ़ाव अब उसके ब्रदाश्त के बाहर था। ‘सर, मैं 10+2 कर चुका हूं। मेरे पिता एक छोटे से रेस्टरां में काम करते हैं। मेरा मेडिकल में चयन हो चुका है। अब उसमें प्रवेश के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। कुछ तो मेरे पिताजी देने के लिए तैयार हैं, कुछ का इंतजाम वह अभी नहीं कर सकते,’ लड़के ने एक ही सांस में बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी में कहा। ‘तुम्हारा नाम क्या है?’ मैंने मंत्रमुग्ध हो कर पूछा। ‘जगत.’ ‘तुम जगत हो और दिल छोटा करते हो। कितना पैसा चाहिए?’ ‘5 हजार,’ अब की बार उस के स्वर में दीनता थी। ‘अगर मैं तुम्हें यह रकम दे दूं तो क्या मुझे वापस कर पाओगे? इन पुस्तकों की इतनी कीमत तो है नहीं,’ इस बार मैंने थोड़ा हँस कर पूछा। ‘सर, आपने ही तो कहा कि मैं जगत हूं।

आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं पिछले 4 दिन से यहां आता हूं, आप पहले आदमी हैं जिसने इतना पूछा। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं भी आपको किसी होटल में कप प्लेटें धोता हुआ मिलूंगा,’ उसके स्वर में अपने भविष्य के ढूबने की आशंका थी। उसके स्वर में

जाने क्या बात थी जो मेरे जेहन में उसके लिए सहयोग की भावना तैरने लगी.

मस्तिष्क उसे एक जालसाज से ज्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं था जबकि दिल में उसकी बात को स्वीकार करने का स्वर उठने लगा था। आखिर में दिल जीत गया, मैंने अपने पर्स से 5 हजार रुपए निकाले जिनको मैं शेयर मार्किट में निवेश करने की सोच रहा था और उसे पकड़ा दिए। वैसे इतने रुपए तो मेरे लिए भी मायने रखते थे लेकिन न जाने किस मोह ने मुझ से वह पैसे निकलवा लिए। 'देखो बेटे, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बातों में, तुम्हारी इच्छाशक्ति में कितना दम है लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इसीलिये मैं ये कर रहा हूं, तुमसे 4-5 साल छोटी मेरी बेटी भी है सुरभि, सोचुंगा उसके लिए ही कोई खिलौना खरीद लिया,' मैंने पैसे जगत की तरफ बढ़ाते हुए कहा।

जगत हृतप्रभ था, शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू तैर आये। उसने मेरे पैर छुए तो आंखों से निकली दो बूंदें मेरे पैरों को चूम गईं। 'ये पुस्तकें मैं आप की गाड़ी में रख दूँ?' 'कोई ज़रूरत नहीं, इन्हें तुम अपने पास रखो, यह मेरा कार्ड है, जब भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना।' वह मूर्ति बन कर खड़ा रहा और मैंने उस का कंधा थपथपाया, कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी...

कार को चलाते हुए वह घटना मेरे दिमाग में धूम रही थी और मैं अपने खेले जुए के बारे में सोच रहा था जिसमें अनिष्टित्व ही ज्यादा थी, कोई दूसरा सुनेगा तो मुझे एक भावुक मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं समझेगा।

अतः मैंने यह घटना किसी को न बताने का फैसला किया, दिन गुजरते गए।

जगत ने अपने मेडिकल में दाखिले की सूचना मुझे एक पत्र के माध्यम से दी, मुझे अपनी मूर्खता में कुछ मानवता नज़र आई। एक अनजान सी शक्ति में या कहें दिल में अंदर बैठे मानव ने मुझे प्रेरित किया कि मैं हजार 2 हजार रुपए उसके पते पर फिर भेज दूँ, भावनाएं जीतीं और मैं ने अपनी मूर्खता फिर दोहराई, दिन हवा होते गये, उसका संक्षिप्त सा पत्र आता जिसमें 4 लाइनें होतीं, 2 मेरे लिए, एक अपनी पढ़ाई पर और एक सुरभि के लिए जिसे वह अपनी बहन बोलता था, मैं अपनी मूर्खता दोहराता और उसे भूल जाता।

मैंने कभी चेष्टा भी नहीं की कि उसके पास जा कर अपने पैसे का उपयोग देखूं और न कभी वह मेरे घर आया।

कुछ साल तक यही क्रम चलता रहा, एक दिन उसका पत्र आया कि वह उच्च शिक्षा के लिए आस्ट्रेलिया जा रहा है, छात्रवृत्तियों के बारे में भी बताया था और एक लाइन सुरभि के लिए लिखना वह अब भी नहीं भूला, मुझे अपनी उस मूर्खता पर दूसरी बार फख्त हुआ, बिना उस पत्र की सचाई जाने, समय पंख लगा कर उड़ता रहा, जगत ने अपनी शादी का कार्ड भेजा, वह शायद आस्ट्रेलिया में ही बसने के विचार में था।

सुरभि भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, एक बड़े परिवार में उस का रिश्ता तय हुआ था, अब मुझे सुरभि की शादी लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से करनी थी, एक सरकारी उपक्रम का बड़ा अफसर कागजी शेर ही होता है, शादी के प्रबंध के लिए ढेर सारे पैसे का इंतजाम... उधेड़बुन... और अब वह चेक?

मैं वापस अपनी दुनिया में लौट आया, मैंने जगत को एक बार फिर याद किया और सुरभि की शादी का एक कार्ड जगत को भी भेज दिया, शादी की गहमागहमी चल रही थी, मैं और मेरी पत्नी व्यवस्थाओं में व्यस्त थे और सुरभि अपनी सहेलियों में, एक बड़ी सी गाड़ी पोर्च में आ कर रुकी, एक संभांत से शख्स के लिए ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला तो उस शख्स के साथ उस की पत्नी जिसकी गोद में एक बच्चा था, भी गाड़ी से बाहर निकले।

मैं अपने दरवाजे पर जा कर खड़ा हुआ तो लगा कि इस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है, उसने आ कर मेरी पत्नी और मेरे पैर छुए, "सर, मैं जगत..." वह बड़ी श्रद्धा से बोला...

मेरी पत्नी अचंभित सी खड़ी थी, मैंने बड़े गर्व से उसे सीने से लगा लिया, उसका बेटा मेरी पत्नी की गोद में घर सा अनुभव कर रहा था, सुरभि अब भी संशय में थी, जगत अपने साथ ढेर सारे उपहार ले कर आया था, सुरभि को उस ने बड़ी आत्मीयता से गले लगाया, सुरभि भाई पकर बड़ी खुश थी, जगत शादी में एक बड़े भाई की रस्म हर तरह से निभाने में लगा रहा, उसने न तो कोई बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर ढाली और न ही मेरे चाहते हुए मुझे एक भी पैसा खर्च करने दिया, उसके भारत प्रवास के दिन जैसे पंख लगा कर उड़ गये, इस बार जगत जब आस्ट्रेलिया वापस लौटा तो हवाई अड्डे पर उसको विदा करते हुए न केवल मेरी बल्कि मेरी पत्नी, सुरभि सभी की आंखें नम थीं, हवाई जहाज ऊंचा और ऊंचा आकाश को छूने चल दिया और उसी के साथ साथ मेरा विश्वास भी आसमान छू रहा था, मैं अपनी मूर्खता पर एक बार फिर गर्वित था और सोच रहा था कि इस नश्वर संसार को चलाने वाला कोई भगवान और हमारा विश्वास ही है।

6 मार्च:

2008 - राजस्थान से राज्यसभा सांसद प्रभा ठाकुर को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

2009 - भारतीय वायुसेना को तीन दशक तक अपनी सेवाएँ देने के बाद स्किंग-विंग लड़ाकू विमान मिग-23 ने अन्तिम उड़ान भरी।

7 मार्च :

2009 : नासा ने केप्लर दूरबीन लॉन्च की, जो सूरज की परिक्रमा करता है और पृथ्वी जैसे करीब एक लाख सितारों की टोह लेता रहता है।

केप्लर दूरबीन उस समय मानव जाति के इतिहास की सबसे ताकतवर दूरबीन मानी गई थी।





महिला बैंककर्मी

- राजीव वार्ष्णेय

सहायक महाप्रबंधक, राजभाषा,
केंद्रीय कार्यालय, मुम्बई



मानव सभ्यता के विकास क्रम में वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रकार के

प्रगति हुई है। भारत में भी महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय प्रभावशाली कार्य किया जा रहा है। यही कारण है कि भारतीय महिलायें स्वयं को अब घर की देहरी तक सीमित नहीं रखती हैं और वे अब केवल घर - गृहस्थी संहालने से लेकर, चौका - चूल्हे में ही व्यस्त नहीं रहती हैं, अपितु प्राथमिक शिक्षा से आगे बढ़कर उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। भारत की महिलाओं ने घर की चौखट लांघकर हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना प्रारंभ कर दिया है। परिणामस्वरूप आज हमारे देश की किसी भी संस्था के कर्मियों में पुरुष एवं महिला दोनों ही होते हैं। इनकी संख्या कम या अधिक हो सकती है। भारत की बैंकिंग संस्थाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी बैंक की शाखा में महिला कर्मचारियों को कार्य करते हुये देखा जाना सामान्य सी बात हो चुकी है। वर्तमान समय में अनेकानेक महिलायें विभिन्न राष्ट्रीयकृत तथा निजी क्षेत्र के बैंकों में छोटे से लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर सफलतापूर्वक कार्य करते हुये दिखायी देती हैं।

यह सर्वविदित है कि बैंकिंग जन - जन से जुड़ा एक अति महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र है। अपने बैंक के ग्राहकों को संतोषजनक सेवा प्रदान करना प्रत्येक बैंककर्मी का प्राथमिक दायित्व होता है। सभी बैंककर्मियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक शाखा में आने वाले हर व्यक्ति से, चाहे वह बैंक का ग्राहक हो अथवा न हो, शिष्टापूर्वक व्यवहार करें। बैंक शाखा परिसर में बैंक के प्रशासनिक कार्यालय में आने वाले हर व्यक्ति से, चाहे वह धनवान हो अथवा निर्धन, महानगर वासी हो अथवा ग्रामीण, महिला हो अथवा पुरुष, किशोर हो अथवा प्रौढ़, वह जमा करने के कार्य से आया हो अथवा ऋण लेने के कार्य से आया हो, या अन्यथा किसी कार्य से आया हो, सभी बैंककर्मियों द्वारा उसके साथ सौम्य व्यवहार अपेक्षित होता है। इस क्रम में यदि हम महिला अथवा पुरुष की बात करें तो "महिला" शब्द से सेवा एवं शिष्टापूर्वक व्यवहार की अनुभूति स्वतः ही होने लगती है। बैंककर्मी के रूप में एक महिला भी इसका अपवाद नहीं है।

एक महिला बैंककर्मी से भी अन्य बैंककर्मियों की भाँति अपने बैंक के

ग्राहकों साथ शिष्टापूर्वक व्यवहार की आशा की जाती है। सामान्यतः ऐसा होता भी है। इस क्रम में उल्लेखनीय है कि जब एक अजनबी व्यक्ति किसी बैंक की शाखा या कार्यालय के परिसर में प्रवेश करता है तो वह ऐसे कर्मचारी के पास जाना चाहता है जो उसके कार्य के संबंध में सही जानकारी दे सके एवं उसका सही मार्गदर्शन कर सके। यह कार्य महिला बैंककर्मी बहुत ढंग से करती है। जिससे आगंतुक संतुष्ट होकर जाये, क्योंकि विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना महिलाओं का सहज स्वभाव है।

परिवार का दायित्व - महिलाओं के समक्ष एक बड़े दायित्व के रूप में अपने परिवार का दायित्व भी होता है। विवाहित महिलाओं का दायित्व थोड़ा अधिक होता है। इससे भी अधिक दायित्व छोटे बच्चों वाली महिलाओं का होता है। सभी महिलाओं विशेषकर कामकाजी महिलाओं की भाँति महिला बैंककर्मी भी को भी इन दायित्वों का निर्वहन करना होता है। इसके लिये वे सुबह जल्दी उठती हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों का नाश्ता एवं लंच का डिब्बा तैयार करके फिर उनको (बच्चों को यदि छोटे हैं) तैयार करती हैं, फिर घर के अन्य सदस्यों का नाश्ता, डिब्बा आदि तैयार करने के बाद खुद समय पर बैंक पहुंचने के लिये तैयार होती हैं। प्रातःकाल के यह सब कार्य उन्हें बहुत फुर्ती से करने पड़ते हैं। क्योंकि बैंकों में समय से कार्यालय पहुंचना होता है। इसीलिये सब कार्य जल्दी- जल्दी निपटाने की हड्डबड़ी में, कभी रसोई में जल जाना या कहीं पांच फिसल जाना अथवा सब्जी आदि काटने के दौरान चाकू से उंगली आदि कट जाना इत्यादि समस्यायें महिला बैंककर्मियों को अक्सर झेलनी पड़ती हैं। आमतौर पर वे इसकी शिकायत करना तो दूर किसी से ऐसी चोटों का जिक्र भी नहीं करती हैं। सायंकाल को कार्यालय से घर लौटने पर फिर से घर के दायित्व प्रारंभ हो जाते हैं। बच्चों का होम वर्क, स्कूल की समस्याओं का समाधान करने के बाद रात का खाना बनाना उस पर बच्चों की इच्छा का भी ध्यान रखना होता है। ये सब करते हुये उनके खुद के सोने की बारी देर में ही आती है। इतना सब होते हुये भी महिला बैंककर्मी कार्यालय में सहज स्मित के साथ सेवा प्रदान करती है।

पदोन्नति - बैंकों में विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नियमित रूप से पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की जाती है। समस्त बैंक कर्मियों के लिये पदोन्नति प्रक्रिया एक ऐसा अवसर होता है जब वे उसके माध्यम से अपने

8 मार्च :

8 मार्च 1917 - हजारों रुसी महिलाओं ने बदलाव की मांग करते हुए सड़कों पर उतरीं। तब रूस ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आधिकारिक अवकाश घोषित किया। पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975 में मनाया गया था जब इसे संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा बहस चल रही थी। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 को मनाया गया।

2018 - भारत के उच्चतम न्यायालय ने सशर्त इच्छा-मृत्यु की अनुमति दी।



जो तुझे मिल गया है उस पर संतोष कर और सदैव प्रसन्न रहने की चेष्टा करता रह। लम्बी उम्र का यहीं नुस्खा है - हाफिज

कैरियर को प्रगति के पथ पर अग्रसरित कर सकते हैं। तदनुसार महिला बैंकर्मी भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहती हैं। वे अपनी योग्यता और दक्षता के माध्यम से उच्चतर पद के दायित्व का निर्वहन करने को तैयार होती हैं। इसीलिये प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में महिला बैंकर्मी पदोन्त्रित प्रक्रिया में सहभागिता करती हैं। पदोन्त्रित प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा, साक्षात्कार इत्यादि उत्तीर्ण कर प्रत्येक वर्ष अनेक महिला बैंकर्मी उच्चतर पद पर पदोन्त्रित होती हैं। वे उच्चतर पद पर अपने दायित्व का निर्वहन वर्खूबी करती हैं। इसके फलस्वरूप आज के दौर में अनेक महिला बैंकर्मी शाखा प्रबंधक के पद पर कार्य करते हुये दिखायी देती हैं। तो वहाँ दूसरी ओर कई वरिष्ठ प्रबंधक, कई मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत दिखायी देती हैं। इतना ही नहीं क्षेत्रीय प्रबंधक, आंचलिक प्रबंधक, महाप्रबंधक जैसे उच्चतर पदों के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसे सर्वोच्च पद पर भी महिला बैंकर्मी का होना अब सामान्य माना जाने लगा है। वास्तविकता यह है कि महिला बैंकर्मी उच्च से उच्चतम स्तर के पद के दायित्व का निर्वहन भी सफलतापूर्वक कर रही हैं।

बैंकिंग सेवा में स्थानांतरण हो जाना एक नियमित प्रक्रिया है। अधीनस्थ एवं लिपिकीय संवर्ग में सामान्यतः स्थानीय स्तर पर या निकटवर्ती केंद्रों पर स्थानांतरण हो जाता है। वहाँ अधिकारी संवर्ग में 3 से 5 वर्षों में नियमित रूप से स्थानांतरण होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारियों को अनिवार्य ग्रामीण सेवा तथा अर्धशहरी सेवा भी करनी होती है। बैंकों में पदोन्त्रित पर स्थानांतरण होना सामान्य बात होती है। स्थानांतरण सभी के लिये चिंता का बड़ा कारण होता है। विशेष रूप से महिला बैंक अधिकारी अधिक चिंतित हो जाती हैं। जिन महिला बैंक अधिकारियों का नाम स्थानांतरण होने वाली संभावित सूची में होती है उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। स्थानांतरण के परिणामस्वरूप महिला बैंकर्मियों के समक्ष कई बार बहुत विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनके पारिवारिक दायित्व का निर्वहन बाधित हो जाता है। अविवाहित महिला बैंकर्मियों को विवाह के पश्चात यही समस्या होती है। यद्यपि सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार उनको अपने परिवार से जुड़ने के लिये स्थानांतरण में वरीयता दी जाती है। लेकिन पदोन्त्रित पर अथवा अन्यथा हर स्थानांतरण पर ऐसी वरीयता संभव नहीं हो पाती है। स्थानांतरण से आशंकित अनेक महिला बैंकर्मियों द्वारा पदोन्त्रित प्रक्रिया में सहभागिता नहीं की जाती है।

दूरस्थ कार्यक्षेत्र - हमारे देश में आज बैंकों की शाखायें सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोली जा चुकी हैं। ऐसे स्थानों तक जाना आना अपेक्षाकृत कठिन होता है। उस स्थान पर रहने के लिये यदि अनुकूल व्यवस्था न हो तो उन्हें निकटवर्ती अपेक्षाकृत बड़ी बस्ती, कस्बे या नगर में रहना पड़ता है। वहाँ से भी अक्सर अपनी शाखा तक जाने आने के नियमित

एवं समुचित साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। खचाखच भरे अँटो या टेंपो जैसे वाहन में बैठकर जाना आना तो सभी के लिये कष्टदायक होता है। विकल्प के रूप में अपने दुपहिया वाहन से जाना आना भी सहज नहीं होता है। कई अवसरों पर जब किसी महिला बैंकर्मी की पद स्थापना ऐसी शाखा में हो जाती है। तब उन्हें भी तत्संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

मार्केटिंग एवं वसूली कार्य - आज बैंकिंग में मार्केटिंग एवं वसूली दोनों कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो गये हैं। अनेक महिला बैंकर्मियों को भी इन कार्यों में लगाया जाता है। ये दोनों कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं। इन कार्यों के लिये अक्सर जल्दी जाना तथा देर से आना होता है। तब भी देखा ये जाता है कि मार्केटिंग एवं वसूली दोनों कार्यों में महिला बैंकर्मी सफल होती हैं।

दौरों पर जाना - बैंकिंग के विभिन्न कार्यों के संबंध में दौरों पर भी जाना होता है। महिला बैंकर्मियों को भी कई बार दौरों पर जाना पड़ता है। यह अवसर उनके लिये बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन कार्य के लिये जाना पड़ता ही है। बहुत दूर के नगर में प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता के लिये कई महिला बैंकर्मी अपने पति को साथ लेकर जाती हैं। छोटे बच्चों वाली महिलाओं के लिये दौरे की स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण बन जाती है। लेकिन फिर भी उनके द्वारा इस प्रकार के दायित्वों का निर्वहन किया जाता है।

लक्ष्य - आजकल विभिन्न बैंकों के मध्य परस्पर प्रतिस्पर्धा अत्यधिक बढ़ चुकी है। बैंकिंग व्यवसाय लक्ष्योन्मुख हो गया है। जमा के लक्ष्य, ऋण देने के लक्ष्य, वसूली के लक्ष्य के साथ साथ अन्य विविध कार्यों के लक्ष्य तो होते ही हैं, इन लक्ष्यों को तिमाही और मासिक आधार पर भी विभाजित कर दिया जाता है। अर्थात् नियमित रूप से लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया जाना आवश्यक होता है। इस बातावरण में महिला बैंकर्मियों को उनके पद के अनुरूप लक्ष्य दिये जाते हैं। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से व्यवसायिक बैठकों में प्रगति की समीक्षा की जाती है। महिला बैंकर्मी यह जानती हैं कि बैंकों में लक्ष्य प्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिये वे लक्ष्य प्राप्ति के लिये हर संभव प्रयास करती हैं।

एक महिला जिसने बैंक सेवा को अपने कैरियर के रूप में चुना है वह जानती है कि बैंकों में समय से कार्य किया जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बैंकों में ग्राहक सेवा का बहुत महत्व होता है। बैंकों में लक्ष्य प्राप्ति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सब मिलाकर बैंक सेवा एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इन सबके मध्य सभी दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुये महिला बैंकर्मियों द्वारा मुस्कराते हुये सेवा प्रदान करना बहुत सराहनीय है।

9 मार्च :

2009 - तमिलनाडु ने पश्चिम बंगाल को 66 रनों से पराजित कर विजय हारारे ट्रॉफी जीती।

2018 - बिप्लब कुमार देब ने भारतीय राज्य त्रिपुरा के दसवें मुख्यमन्त्री के रूप में शपथ ली।

10 मार्च :

2010- भारतीय संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया।

2007 - वैश्वनाथन आनन्द यूक्रेन के वैसिलीइवानचुक को हराकर शतरंज में प्रथम स्थान पर पहुँचे।



भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए वार्षिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यह वार्षिक कार्यक्रम भारत सरकार की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है। तथापि आपके तत्काल संदर्भ एवं अनुपालन के लिए मुख्य बिन्दुओं को कार्यान्वयन हेतु संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है :

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञाप्तियाँ, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएँ और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों में जारी किए जाएँ। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निषादित अथवा जारी किए जाएँ।
2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केन्द्र सरकार के कार्यालयों से हिन्दी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना है।
3. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केन्द्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएँ। इसके अंतर्गत अधिसूचित बैंकों की शाखाओं में निम्नलिखित कार्य हिन्दी में किए जाएँ :-

ग्राहकों द्वारा हिन्दी में भरे गए आवेदनों और ग्राहकों की सहमति से अंग्रेजी में भरे गए आवेदनों पर जारी किए जाने वाले मांग ड्राप्ट, भुगतान आदेश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी प्रकार की सूचियाँ, विवरणियाँ, सावधि जमा रसीदें, चेक बुक संबंधी पत्रादि, दैनिक बही, मस्टर रोल, प्रेषण बही, पास बुक, लॉग बुक में प्रविष्टियाँ, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, सुरक्षा एवं ग्राहक सेवा संबंधी कार्य, नये खाते खोलना, लिफाफों पर पते लेखना, कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, अवकाश, भविष्य निधि, आवास निर्माण अग्रिम, चिकित्सा संबंधी कार्य, बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त आदि।
4. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अनुसार केन्द्र सरकार ऐसे अधिसूचित कार्यालयों के हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारूपण और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिन्दी में करने के लिए आदेश जारी कर सकती है, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो।
5. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार सभी मैनुअल, संहिताएँ और प्रक्रिया साहित्य, रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक, नामपट्, साइन बोर्ड, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मद्दे हिन्दी और अंग्रेजी में होंगी।
6. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम के प्रावधानों तथा इनके अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो तथा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त एवं प्रभावकारी जाँच बिन्दु बनाए जाएँ।
7. सभी मंत्रालय/ विभाग / कार्यालय आदि हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन करें।
8. “क” तथा “ख” क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यतः हिन्दी माध्यम से हो।

“ग” क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराइ जाए और प्रशिक्षणार्थी की मांग के अनुसार हिन्दी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराइ जाए।

9. हिन्दीतर राज्यों में बोर्ड, साइन बोर्ड, नामपट् तथा दिशा संकेतकों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी तथा अंग्रेजी, इसी क्रम में, प्रयोग की जानी चाहिए।
10. संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के नौ खंडों पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
11. हिन्दी के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कर्मचारियों को नामित किया जाये।
12. सभी कर्मचारियों को राजभाषा नीति की जानकारी दी जाये, जिससे कि वे अपने दायित्व अच्छी तरह निभा सकें।
13. विभाग/कार्यालय अपने विषयों से संबंधित संगोष्ठियाँ हिन्दी माध्यम से आयोजित करें।
14. राजभाषा अधिकारियों द्वारा निर्धारित संख्या में शाखाओं का निरीक्षण किया जाये।
15. नराकास की बैठकें में सदस्य कार्यालय के कार्यालय प्रमुख, बैठक के लिए निर्धारित तारीख को, बैठक में भाग लें।
16. सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में नियमों का उल्लंघन न किया जाये।
17. अंतर विभागीय पत्राचार तथा ई-मेल में हिन्दी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाये।
18. भारत सरकार के पोर्टल में ऑन-लाइन सिस्टम द्वारा तिमाही रिपोर्ट 30 दिन के अंदर अवश्य पंच कर दी जाये।
19. भारत सरकार के पोर्टल में ऑन-लाइन सिस्टम द्वारा वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 30 जून तक अवश्य पंच कर दी जाये।
20. जो भी विज्ञापन अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा में दिये जाते हैं उन्हें हिन्दी भाषा में भी दिया जाये। हिन्दी के समाचार पत्रों में हिन्दी में विज्ञापन दिये जाएं व अंग्रेजी के समाचार पत्रों में अंग्रेजी में विज्ञापन दिये जाएं। जब अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जाते हैं तो विज्ञापन के अंत में यह उल्लेख अवश्य कर दिया जाये कि अधिसूचना/विज्ञापन/रिक्ति संबंधी परिपत्र का हिन्दी रूपांतर वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके लिए पूर्ण लिंक भी दिया जाये।
21. सभी कार्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड की सुविधा हो ताकि उन पर हिन्दी में सरलता और सहजता से काम किया जा सके।
22. ‘क’, ‘ख’ व ‘ग’ क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षण हिन्दी में दिया जाये, जिससे कि वे अपना कामकाज मूल रूप से हिन्दी में भी कर सकें।
23. हिन्दी में पत्राचार करने के लिए भाषिक क्षेत्र ‘क’ में 100%, ‘ख’ क्षेत्र में 90% व ‘ग’ क्षेत्र में 55% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें ई-मेल संदेश शामिल हैं।
24. कृपया ध्यान दियें, हिन्दी में टिप्पण - लेखन के लिए हिन्दी पत्रों पर शत-प्रतिशत हिन्दी में तथा अंग्रेजी पत्रों पर ‘क’ क्षेत्र में 75%, ‘ख’ क्षेत्र में 50% व ‘ग’ क्षेत्र में 30% नोटिंग हिन्दी में करने का लक्ष्य है।

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2022-23 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्य विवरण	‘क’ क्षेत्र	‘ख’ क्षेत्र	‘ग’ क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	4. ‘क’ क्षेत्र से ‘क’ क्षेत्र को 100% 2. ‘क’ क्षेत्र से ‘ख’ क्षेत्र को 100% 3. ‘क’ क्षेत्र से ‘ग’ क्षेत्र को 65% 4. ‘क’ क्षेत्र से ‘क’ व ‘ख’ क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति 100%	1. ‘ख’ क्षेत्र से ‘क’ क्षेत्र को 90% 2. ‘ख’ क्षेत्र से ‘ख’ क्षेत्र को 90% 3. ‘ख’ क्षेत्र से ‘ग’ क्षेत्र को 55% 4. ‘ख’ क्षेत्र से ‘क’ व ‘ख’ क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति 90%	1. ‘ग’ क्षेत्र से ‘क’ क्षेत्र को 55% 2. ‘ग’ क्षेत्र से ‘ख’ क्षेत्र को 55% 3. ‘ग’ क्षेत्र से ‘ग’ क्षेत्र को 55% 4. ‘ग’ क्षेत्र से ‘क’ व ‘ख’ क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पणी	75%	50%	50%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षणी (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय	50%	50%	50%

11 मार्च :

1999 - इंफोसिस कंपनी पहली भारतीय कंपनी है जो नशदाक (NASDAQ) अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की सूची में आई.

2011 - भारत ने 350 किलोमीटर दूर तक का निशाना साधने वाले प्रक्षेपास्त्र 'धनुष' और 'पृथ्वी' का सफल परीक्षण किया.

12 मार्च :

1930 - राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह के लिये दांडी यात्रा शुरू की थी. इस मार्च के जरिए बापू ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़कर उस सत्ता को चुनौती दी थी.

1954 - भारत सरकार ने साहित्य अकादमी की स्थापना की.



क्र. सं.	कार्य विवरण	“क” क्षेत्र	“ख” क्षेत्र	“ग” क्षेत्र
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों	40%	30%	20%
(न्यूनतम अनुभाग)				
सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, “क” क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, “ख” क्षेत्र में 25% और “ग” क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए				

13 मार्च :

1963 : विभिन्न खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने का ऐलान किया गया। 1997 : मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी के रूप में सिस्टर निर्मला को मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल के पद पर चुना गया।

14 मार्च :

1931 - भारत की पहली बोलती फिल्म आलमआरा का बॉम्बे (अब मुम्बई) में प्रदर्शन हुआ। 2007 - कारगिल और स्कार्डु के बीच भारत-पाकिस्तान में बस सेवा प्रारम्भ करने पर सहमति।



सेवानिवृत्ति / RETIREMENT

सेवानिवृत्ति उपरांत सुखद एवं दीर्घायु जीवन हेतु मंगलकामनाएं...!!



श्री गोपीनाथन, महाप्रबंधक



श्री विपिन कुमार महेन्द्र, महाप्रबंधक



श्री आर जयकृष्णन,
उप महाप्रबंधक



श्री पी वी सार्डेसै,
उप महाप्रबंधक



श्री रमेश लक्ष्मण चौहान,
उप महाप्रबंधक

पदोन्नति / PROMOTION

सेन्ट्रलाइट परिवार की ओर से हार्दिक बधाई...!!



श्री के एस एन वी सुब्बा राव,
महाप्रबंधक



श्री राजेश वर्मा,
महाप्रबंधक



श्री वाय अनिल कुमार,
महाप्रबंधक



श्री के सुरेश कुमार,
उप महाप्रबंधक



श्री डी पी खुराना,
उप महाप्रबंधक



श्री प्रमोद मिश्रा,
उप महाप्रबंधक



श्री रजनीश शर्मा,

उप महाप्रबंधक

सुश्री येरागुंटा श्यामला डी, उप महाप्रबंधक



श्री हरलाल मीणा,
उप महाप्रबंधक



अपने बैंक को जानिए मार्च, 2022

KNOW OUR BANK, MARCH - 2022

(₹ करोड़ में / ₹ in Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण DETAILS	इकाई UNIT	मार्च, 2021 अंतिम (31.03.21) March, 2021 FINAL (31.03.21)	फरवरी, 2022 अंतिम (28.02.22) February, 2022 FINAL (28.02.22)	मार्च, 2022 अंतिम (31.03.22) March 2022 FINAL (31.03.22)
1	भारत में शाखाएं / BRANCHES IN INDIA	सं./No.	4608	4528	4528
1.1	ग्रामीण / Rural	सं./No.	1603	1604	1604
1.2	अर्ध शहरी / Semi-Urban	सं./No.	1332	1330	1330
1.3	शहरी / Urban	सं./No.	810	783	783
1.4	महानगरीय / Metropolitan	सं./No.	863	811	811
2	अनुबंधी कार्यालय / SATELLITE OFFICES	सं./No.	10	10	10
3	विस्तार पटल / EXTENSION COUNTERS	सं./No.	1	1	1
4	आकारवार शाखाएं / SIZE WISE BRANCHES	सं./No.	4608	4528	4528
4.1	अत्याधिक बड़ी शाखाएं / ELB	सं./No.	40	22	22
4.2	बहुत बड़ी शाखाएं / VLB	सं./No.	415	550	550
4.3	बड़ी शाखाएं / Large Branches	सं./No.	1274	1637	1637
4.4	मध्यम शाखाएं / Medium Branches	सं./No.	2490	2296	2296
4.5	लघु शाखाएं / Small Branches	सं./No.	311	0	0
4.6	विशेष शाखाएं / Specialised Branches	सं./No.	78	23	23
5	कुल जमाएं / AGGREGATE DEPOSITS	₹	328877	337200	341036
5.1	चालू / Current	₹	16259	15526	16515
5.2	बचत / Savings	₹	145667	152946	155965
5.3	मियादी / Time	₹	166951	168728	168556
6	अनु. वाणि बैंकों में से.वै.इं.का हिस्सा / SHARE OF CBI IN SCBs (DEPOSITS)	%	2.16	2.06	2.04
7	प्रति शाखा जमाएं / PER BRANCH DEPOSITS	₹	71.37	74.47	75.32
8	औसत जमाएं / AVERAGE DEPOSITS	₹	319889	331831	332282
9	पिछले मार्च की तुलना में वृद्धि / GROWTH OVER PREVIOUS MARCH				
9.1	कुल जमाएं / Aggregate Deposits	%	6.02	2.53	3.70
10	विंडु-दर-विंडु कुल जमाओं में वृद्धि	%	6.02	3.00	3.70
11	सीआरआर / CRR:-	₹	10034	13617	13712
	ए) अनिवार्य / Obligatory (31.12.2021)	₹	10044	13631	13729
	बी) वास्तविक (औसत) / Actual (Average) (31.12.2021)	₹			
12	एसएलआर / SLR:-	₹	60412	61291	61865
	ए) अनिवार्य / Obligatory (31.12.2021)	₹	123697	123059	121598
	बी) वास्तविक / Actual (31.12.2021)	₹			
13	हाथ में नकदी / CASH IN HAND (31.12.2021)	₹	1458	1566	1493
14	भारत में स्थित बैंकों में कुल शेष / BALANCE WITH BANKS IN INDIA (31.12.2021)	₹	50	63	49
15	भारतीय रिजर्व बैंक में शेष / BALANCE WITH RBI (31.12.2021)	₹	14736	15300	13275
16	निवेश / INVESTMENT	₹	153820	146256	146759
16.1	सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	₹	110414	104752	105842
16.2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities	₹	0	0	0
16.3	अन्य गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां / Other Non SLR Securities	₹	43406	41504	40917
17	उधार (पांग वाजार) / LENDING (Call Market)	₹	200	359	464
18	निवल ऋण (बैंक को छोड़कर ऋण) / NET CREDIT (Excl. Credit to Bank)	₹	176913	181157	189712
	प्राथमिकता क्षेत्र के लिए समायोजित ऋण (आरआयडीएफ मिलाकर) #	₹	169787	167598	167598
19	कुल ऋण / TOTAL CREDIT @	₹	176913	181157	189712
19.1	खाद्य / Food	₹	1775	2338	1696
19.2	गैर-खाद्य / Non Food	₹	175138	178819	188016
19.3	प्राथमिक क्षेत्र / Priority Sector	₹	88222	90062	93887
20	औसत ऋण / AVERAGE CREDIT	₹	175548	174555	175184
21	निर्यात ऋण / EXPORT CREDIT	₹	4446	4251	4388
22	से.वै.इं. और अनु.वाणि.बैंक की (31.12.2021) को पिछले मार्च की तुलना में वृद्धि (26.03.2021)				
	कुल ऋण	से.वै.इं.	%	6.22	-0.12
		अनु.वाणि.बैंक	%	5.60	6.19
23	ऋण : जमा अनुपात / CREDIT: DEPOSIT RATIO	से.वै.इं. / CBI	%	55.25	5372
		अनु. वाणि. बैंक / SCBs	%	72.46	71.69
	निवल ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र का हिस्सा (आरआयडीएफ मिलाकर) / Share of Priority Sector in Adj. Net Credit (Incl. RIDF),	%	40.93	46.41	48.35
	निवल ऋण में कृषि का हिस्सा (आरआयडीएफ मिलाकर) / Share of Agriculture in Adj. Net Credir (Incl. RIDF)	%	18.03	20.64	21.30
	निक्षिय आस्तियां : कुल जमाएं / Idle Assets: Aggregate Deposits	%	0.44	0.46	0.44
	निवेश : कुल जमाएं / Investment: Aggregate Deposits	%	46.77	43.37	43.03

शाखाओं की कुल संख्या में अनुपाती कार्यालय शामिल नहीं है।
- अनुशूलित वाणिज्यिक बैंकों के आकड़े 31.12.2021 के हैं (अनुमानित)



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India



सिर्फ एक मिस कॉल से लोन हासिल कीजिए



लोन के लिए
इस नम्बर पर
हमें मिस कॉल दें,
डायल करें

922 390 1111

www.centralbankofindia.co.in

*Terms & Conditions apply